Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ४३वां दिवस [संख्या २६

सोमवार, ३० मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर ज़िले में बाढ़ और वर्षा से प्रभावित ग्रामों को क्षति संबंधी

७३२. **श्री गोवरधनसिंह केन** (बयाना-सु.) :क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर ज़िले में बाढ़ और अधिक वर्षा से कितने ग्रामों को इस वर्ष क्षति हुई है ? सूची सदन में तहसीलवार प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(२) तहसीलवार क्या तकावी दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) अब इन प्रभावित तहसीलों में कितनी कितनी सहायता की आवश्यकता है और उसके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(४) जो सहायता दी गई या तकावी दी गई उसमें से हरिजन व अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को कितनी दी गई ?

उप-मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) भरतपुर ज़िले में इस वर्ष बाढ़ व अधिक वर्षा से ४६३ ग्राम प्रभावित हुए हैं । तहसीलवार ग्रामों की सूची प्रस्तुत करना संभव नहीं ।

(२) इस सम्बन्ध में किस किस को कितनी सहायता दी गई, इसकी आसामीवार सूचना सदन में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है ।

(३) सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(४) जहां तक तकावी का प्रश्न है, इच्छुक व्यक्तियों को खाने व चारे के लिये अब भी दी जा रही है । इसके अतिरिक्त २,८०,००० रु० की राशि गिरे हुये मकानों

Page No.2

(श्री सम्पतराम)

को बनवाने के लिये सुरक्षित है जिसको सर्वे करने के उपरान्त वितरित की जावेगी।

हाल ही में प्रधान मन्त्री कोष से १०,००० रु० की राशि प्राप्त हुई है जिसकी रजाइयां बनवा कर वितरित की जायेगी।

(५) हरिजन व अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जो सहायता व तकावी दी गई उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत कर दी गई है, नामवार व जिलेवार सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गोवरधनसिंह केन : बाड़ी, बसेरी के लिये कोई रकम नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : जहां हरिजन काफी संख्या में हों। अब तक सर्वे कम्पलीट नहीं हुआ है, जब तक सर्वे कम्पलीट न हो तब तक रकम देना पोसिबल नहीं।

श्री गोवरधनसिंह केन : इसकी सर्वे का कार्य कब से प्रारंभ किया गया है ?

श्री सम्पतराम : यह काम अभी भी चल रहा है।

श्री गोवरधनसिंह केन : यह काम कब तक समाप्त हो जावेगा ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही समाप्त हो जावेगा ?

श्री गोरधनसिंह केन : इस माह में खत्म हो जावेगा ।

श्री सम्पतराम : महीने में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा समाप्त किया जावेगा ?

श्री गोवरधनसिंह केन :क्या यह अगली वर्षा तक हो जावेगा ?

श्री सम्पतराम : अगली वर्षा तक यह कोशिश की जावेगी की सब कार्य पूरा हो जावेगा।

श्री श्री भानसिंह (बयाना) : सर्वे किससे कराई जा रही है। किसी स्पेशल अधिकारी द्वारा या रेवेन्यू अधिकारी द्वारा ?

श्री सम्पतराम : कलेक्टर करा रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : जिस समय बाढ़ आई थी उस समय क्या यह बात कलेक्टर के ध्यान में नहीं थी ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, पोज़िशन साफ है। उस समय बाढ़ पीड़ितों के लिये व्यवस्था करने की समस्या थी। लोग बहुत परेशान थे। ऐसे समय में इस समस्य को लेकर उसपर विचार किया जाना संभव नहीं था। अब जब सारी कन्डीशनें नोर्मल हो गई तो उसके बाद में इसको करना वाजिब था।

श्री श्री भानसिंह : What steps did the Government take to meet out the abnormal conditions...

जब बाढ़ में मकान गिर रहे थे, लोगों

Page No.3

(श्री श्रीभानसिंह)

को पहिनने के लिये कपड़े नहीं थे, खाने को अन्न नहीं था तो उस सिचुएशन को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री सम्पतराम : The Government has taken so many steps from so many side. From the Revenue side an amount of Rs. 11, 07, 200 were given...

श्री अध्यक्ष : यों तो कई चीज़ों में तकावी दी है और सहायता दी गई है।

श्री श्रीभानसिंह : मुख्य मन्त्री ने जो सहायता दी है उसके पैसों की रजाइयें तो अभी तक बन कर नहीं बांटी गई है। टंड तो चली गई है अब तक वे रजाइयें वितरित नहीं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : राहत का कार्य अभी तक चल रहा है।

श्री सम्पतराम : मैंने बता दिया कि सूची देना सम्भव नहीं और इसके कारण मैंने पहले ही बता दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७३३।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल

पुष्करणा हाई स्कूल (बीकानेर) के हिसाब में गोलमाल

७३४. **गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पुष्करणा हाई स्कूल (बीकानेर) को सन् १६५१ से अब तक कितनी ऐड सरकार की ओर से दी गई ? कृपया साल वाइज़ इसकी एक तालीका सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त संस्था के हिसाब का ऑडिट कब कब किया गया और उसका परिणाम क्या निकला ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्था के हिसाब में हज़ारों रुपयों का गोलमाल है ? अगर हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(४) उपरोक्त संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव कब व किस तरीके से हुआ ? कृपया समिति के सदस्यों के नामों की एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(५) उपरोक्त संस्था में लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदने के लिए सन् १६५१ से अब तक कितना बजट रखा गया और कितनी कीमत की पुस्तकें खरीदी गई ? कृपया साल वाइज उसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त संस्था के हिसाब का ऑडिट १६५५—५६ तक बीकानेर के निरीक्षक द्वारा किया गया व बाद में चारटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गयी।

(३) जी नहीं। संस्था के हिसाब में कोई गोलमाल नहीं पाया गया।

(४) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव संस्था के डोनर द्वारा सन् १६४६ में हुआ था। समिति के सदस्यों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या २ देखिये)

श्री गिराधरीलाल : क्या यह सही है कि सन् १६५१ से इस संस्था का ऑडिट केवल दो बार ही हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि ५५—५६ तक बीकानेर के निरीक्षक द्वारा किया गया व बाद में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया ?

श्री गिरधारी लाल : क्या यह माना जावे कि इसका ऑडिट हर साल होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पिछले वर्ष में बराबर हुआ है। यह मैं जानकारी दे रहा हूँ।

श्री गिरधारी लाल : क्या यह ५५—५६ में एक ही बार हुआ है या पहले भी हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : नम्बर ५ में मैंने यह पूछा है कि...

श्री अध्यक्ष : १६५५-५६ तक बीकानेर के निरीक्षक द्वारा इन्सपेक्शन किया गया और बाद में चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया। आप बतादें की किस साल का अकाउन्ट ऑडिट नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १६५५-५६ के पहले का ऑडिट बीकानेर के निरीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया, उसके बाद चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया, यह मैंने बता दिया है।

श्री गिरधारीलाल : यह ऑडिट हर साल हुआ या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले के सालों का ऑडिट पूरा किया जा चुका है।

श्री गिरधारीलाल : न० ५ में मैंने पूछा है कि लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदने के लिए अब तक कितना बजट रखा गया और कितनी कीमत की पुस्तकें खरीदी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर मैंने दिया है और तालिका रखदी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह इन्सपेक्शन

(श्री भैरोंसिंह)

१६५५-५६ में ही एक बार हुआ या १६५१ से लेकर १६५६ तक जितने समय में होना चाहिये हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मेरे पास जानकारी नहीं कि हर साल हुआ या नहीं। लेकिन इतनी जानकारी है कि पहले हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सरकार को मालूम है कि इसके पहले जो सहायता दी जाती रही है उसकी रिपोर्ट हर साल पेश होती रही है और उसके बाद उसको आगे सहायता दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि यह मेरी जानकारी में नहीं है। नियम के अनुसार हिसाब की जांच की जानी चाहिये तो की गई होगी।

श्री गिरधारीलाल : आपने २२ हज़ार की एड दी है। इतनों की किताबें खरीदी गई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे मालूम नहीं कि किस साल में यह दी और कितनी किताबें खरीदी गई। आपने सूचना मांगी वह सूचना मैंने दे दी।

श्री गिरधारीलाल : मैंने पूछा कि कितनों की पुस्तकें खरीदी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : -सरकारी सहायता १६५१-५२ में ७०००, १६५२-५३ में ८, ७६८,....

श्री गिरधारी लाल : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि कितनी सहायता दी गई। मैं यह पूछ रहा हूं कि जो सहायता किताबें खरीदने के लिये दी उनकी पुस्तकें खरीदी गई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने, पुस्तकें खरीदी गई, उसकी सूचना भी दी है :

१६५१—५२ में नहीं,

१६५२—५३ में ८१०,० रू०की

१६५३— ५४ में नहीं,

१६५४—५५ में ४७१५ रू० की।

श्री गिरधारीलाल : ७ हज़ार की एड सन्' ५१ में दी है और पुस्तकें नहीं खरीदी गई इसका क्या कारण था ? उसके बाद भी कुछ सालों में ऐड दी गई है जैसे ५३-५४ में ऐड दी है लेकिन पुस्तकें नहीं खरीदी हैं। ५६-५७ में भी ऐड दी गई है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐड देने का मतलब यह नहीं है सबकी पुस्तकें ही खरीदी जानी चाहिये थी। ऐड इसीलिए दी जाती है कि स्कूल के अन्य कार्यों के खर्चे को भी मीट-आउट किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहते हैं कि २२ हज़ार की ऐड दी, पुस्तकों के लिए जिससे पुस्तकें नहीं खरीदी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केवल पुस्तकों की खरीद के लिए ही ऐड दी हो, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि लाइब्रेरी के लिए जितनी

(श्री भैरोंसिंह)

सहायता दी गई थी वह रकम उतनी ही खर्च की जा चुकी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लाइब्रेरी को अलग से ही दी गई हो ऐसा नहीं है लेकिन जो ग्रान्ट-इन-ऐड दी जाती है वह स्कूल के अन्य कार्यों में जो खर्चा किया गया है उसका प्रतिशत ही खर्चे को मीट करने के लिए ग्रान्ट-इन-ऐड दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : हर साल खर्चा हुआ है या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो खर्चा किया गया है उसका प्रतिशत दिया गया है। यदि किसी आइटम पर कोई खर्चा किया ही नहीं तो मिलेगी ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सात हज़ार की रकम किस बुनियाद को मानकर दी गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने आपको बताया कि जो खर्चा किया गया है उसका प्रतिशत दिया जाता है। जैसे मास्टरों को तनख्वाह दी जाती है और भी अन्य कार्यों में खर्चा किया गया है, ७ हज़ार है, १४ हजार है। जो एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर है जिन जिन मदों में खर्चा किया गया है उसका प्रतिशत दिया गया है.

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

जागीरदारों द्वारा जागीरों की ग्रान्ट

७३५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य के नियमों के अनुसार किसी जागीरदार को सिवाय अपने छुट भाइयों के और किसी को भी ग्रान्ट देने का कानूनी अधिकार नहीं था?

(२) क्या यह भी सही है कि Male Lineal Descendant के अलावा अगर जागीरदार किसी को ग्रान्ट दे भी दें तो वह काबिल जब्ती है व ग्रान्ट भी नाजायज है?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम मांडा, तहसील खारची के जागीरदार ने अपनी ठुकरानी को भी जागीर दी है।

(४) क्या सरकार उन जागीरों को भी जो गैरकानूनी हैं मान्यता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो गैर कानूनी जागीरों को मान्यता न देने के बारे सरकार ने क्या सक्रिय कदम उठाये हैं।

(५) क्या सरकार मांडा के जागीरदार द्वारा उसकी ठुकरानी को दी हुई जागीर को नाजायज मानती है?

उप-मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है इसलिए इसको अगली टर्न पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

अजमेर सहित एवं उसके अतिरिक्त राजस्थान के स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारी एवं अधिकारी

७३६ श्री पी. के. चौधरी : Will the

(श्री पी० के० चौधरी)

Chief Minister be pleased to state:-

(a) How many Ajmer employees were allotted to the successor State of Rajasthan on 1. 11. 56 vide section 115 of the States Reorganisation Act ?

(b) How many of them were temporary and how many permanent ? This information be supplied categorywise-Class I, II, III and IV.

(c) How many temporary posts relating to former Ajmer State existed on 31. 10. 56. categorywise and how many of them were taken over by the new Rajasthan Government on 1. 11. 56. and how many of them have since been abolished to date ?

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (a) 7457 (b) Seperate figures for temporary and permanent employees are not readily available. Cadrewise figures are given below :-

Class I (Gazetted) 379.
Class II (Subordinate) 4100
Class III (Ministerial) 1387
Class IV. 1591

(c) Information is not readily available.

प्रश्न संख्या ७३७

श्री अध्यक्ष : राव राजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३८

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

पटवारियों के खिलाफ रिश्वत की शिकायतें

७३६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाली सब-डिविज़न में गत तीन साल में किन किन पटवारियों के खिलाफ रिश्वत की शिकायतों की दर्ख्वास्तें पेश हुई और उस पर सरकार ने आज दिन तक क्या एक्शन लिया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सब-डिविजन में पटवारी गिरदावरी करते वक्त काश्तकारान को गिरदावरी स्लिप नहीं देते ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) तीन पटवारी खिवान्दी, बिठुडा व कोटार के विरुद्ध शिकायतें आई जिनमें पटवारी खिवान्दी को सस्पेन्ड कर दिया गया है व बिठुड़ा का स्थानान्तरण कर दिया गया है। कोठार के पटवारी का मामला अभी विचाराधीन है।

(२) जी हां। पहले ऐसा हुआ है पर पटवारियों ने गिरदावरी स्लिप देनी शुरू कर दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

Page No.8

श्री श्रीकिशन नाकेदार का पेन्शन केस

७४०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Finance Minister be pleased to state.

Since when the pension case of former Customs Nakedar Shri Shrikishan of Sirohi District, is pending ? Why it has not been finalised so far ?

श्रीभैरोंसिंह(श्री माधोपुर)On a point of order Sir. अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछा गया है जिसमें किसी व्यक्तिगत आदमी के बारे में पैरवी है । इसमें लिखा है :

"Since when the pension case of former Customs Nakedar Shri Shri-Kishan of Sirohi District is pending ? Why it has not been finalised so far ? व्यक्तिगत मामलों की पैरवी यदि हाऊस में क्वेश्चन्स की मार्फत न की जाय तो अच्छा होगा । इस सम्बन्ध में मैं आपका निर्णय चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार कई प्रश्न आते हैं जो व्यक्तिगत तरीके के होते हैं फिर भी यह मान कर चलते हैं कि उससे सार्वजनिक हित निकलता हो और माननीय सदस्य निकाल सकें तो अच्छा है । पेन्शन के मामले कई दफा सदन में आते हैं कि पेन्शन के मामलों को निपटाने में देरी हो रही है । कोई निश्चित मामला माननीय सदस्यों के ध्यान में हो और जो सदन में रखना चाहते हों तो उसी दृष्टि से ही ये स्वीकार किये जाते हैं ।

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : उक्त नाकेदार का केस पेन्डिग है और जब तक रिटायरमेन्ट आदि का फैसला न हो जाय और फॉर्म भर कर न दे दे तब तक पेन्डिग रखा जायगा ।

श्री मोहब्बतसिंह : वह रिटायर हो चुका है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : जी हां रिटायर हो चुका है ।

श्री मोहब्बतसिंह : कितने समय में निर्णय हो जाता है और इस केस में निश्चित अवधि से अधिक समय क्यों लगा ?

श्री सम्पतराम : इस केस में जितनी देरी हुई उसके लिए स्वयं पेन्शनर ही जिम्मेदार हैं । उनको ३१ जुलाई, १९५५ को रिटायर किया गया था । उनका केस ए० जी० को बना कर भेजा गया । समय समय पर जो ऑब्जेक्शन्स आते रहे उनका जबाब डिपार्टमेन्ट देता रहा । जो फार्म भरना था उसको भरने से पेन्शनर ने इन्कार कर दिया । जब तक वह फॉर्म भर कर न दे दे तब तक उसको पेन्शन नहीं मिल सकती ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

रूपबास एवं बयाना तहसीलों के पत्थर की खानों के ठेके

७४१. **श्री श्रीभानसिंह** : Will the Minister for Industries and Mines be pleased to state ;

(1) Who has got the contract for the working of the stone quarries at Bharatpur in Rupbas Tehsil and the

(श्री श्रीभानसिंह)

quarries in Bayana Tehsil of Bharatpur District ?

(2) When are these contracts or leases expiring ?

(3) After the expiry of the leases or contracts does the Government intend to give them out to the workers Co-operative societies or to run them as State ownne enterprises ?

उप-मंत्री, उद्योग एवं खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (1) M/s Tiwari Jhumar Lal Swaroop Lal of Jaipur.

(2) 30th April, 1961.

(3) Government would grant further leases under M.M.C.R. to applicants, Cooperative Societies can also be amongst them and may apply.

श्री श्रीभानसिंह : If the workers' Co-operative Society apply for a lease, will the Government consider their case even if they are prepared to take the lease on a lesser amount ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I could not understand what the Hon'ble Minister means by a lesser amount ?

श्री अध्यक्ष : अगर को-ऑपरेटिव वाले कम पैसा दें तो भी सरकार स्वीकार करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That will not be possible under the Rules. The Government will not be prepared to relax the rules.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister in a position to say as to why this firm has been given such a long lease ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Originally the lease was given by the then Bharatpur State. Before there were any rules, it was renewed by Rajasthan Government. Now this period will expire in 1961 as I understand.

प्रश्न संख्या ७४२

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४३

श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में व्यय

७४४ श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आयन्दा आने वाले वर्ष (१९५९-६० में राजस्थान में कुल कितना रुपया किस किस मद में खर्च

Page No.10

(श्री सोहनलाल भटनागर)

करने बाबत योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आयन्दा आने वाले १९५९-६० के वर्ष में व्यय करने के लिए योजना आयोग द्वारा भिन्न भिन्न मदों में स्वीकृत धन-राशि की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये

प्रश्न संख्या ७४५

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४६

श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४७

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४८

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४९

श्री सूरजमल

(अनुपस्थित)

राजकीय अधिकारियों द्वारा खानों के निरीक्षण

७५०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): Will the Minister for Mines be pleased to state :—

(a) Does the Department of Mines and Geology keep watch on the method of working the mines by regular inspections ?

(b) If yes, who are authorised to inspect the mines ?

(c) Whether these officers are qualified to inspect the mines ? If so, what are their qualifications ?

(d) Whether mining areas are easily accessible ?

(e) If not, what facilities are given to Such inspecting officers ?

(f) Have any cases ever been reported since 1955 where entry of inspecting officers was obstructed by the licensees or leases ?

उपमंत्री खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) Yes, Sir,

(b) The Director of Mines & Geology.

2. The Dy-Director(Administration).

Page No.11

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

3. Geologists.

4. Mining Engineers, and Asstt. Mining Engineers.

5. Chemis cum ceramic technologist'

6. Head Driller.

(c) Yes. Some of them possess degree in Mining degree in Geology, degree in Ceramic etc. Some are inter and matriculate with several years experience.

(d) Many mines are not easily accessible.

(e) The officers may obtain jeep if available from District Pool, except Assistant Mining Engineers, Head Driller and Junior Geologists. A jeep is attached to Director.

(f) No, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान मिनरल्स में श्री एस० के० जैन जो भीलवाड़ा के हैं उनके बारे में इस प्रकार की शिकायत हुई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में जानकारी प्राप्त करके कह सकता हूँ। मेरे पास इस प्रकार की कोई इनफॉर्मेशन नहीं है और न इस प्रकार की कोई शिकायत ही आयी थी। आप जानकारी दे रहे हैं इसकी जांच की जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपकी जानकारी के आधार पर यह माना जाय कि सन् १९५५ के बाद से अब तक किसी भी माइनिंग लीज़ के लाइसेन्सी ने इस प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी है कि किसी लाइसेन्सी या लीज़ी ने किसी को जाने से रोका हो ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी। पर्टिकुलर आदमी के लिये आप बतायें तो मैं जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : असिस्टेन्ट इन्जीनियर को विहिकल्स क्यों नहीं मिल सकती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गवर्नमेन्ट की ऐसी ही व्यवस्था है। हरेक अफसर को डिस्ट्रिक्टपूल से गाड़ी नहीं दी जा सकती। जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनको दी जाती है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अगर अन्य अधिकारियों को जाना होता है तो वे बसेज वगैरह में जा सकते हैं और दूसरी सवारी ले जा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो माइन्स अक्सेसेबल नहीं उस दृष्टि से आपने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो माइन्स अक्सेसेबल है उन पर जाने के लिये दूसरी सवारी का इस्तेमाल किया जा सकता है, गाड़ी ऊंट आदि से भी जा सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने जैसा बताया कुछ लोग तो क्वालिफाइड हैं।

Page No.12

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

और कुछ मैट्रिक और इन्टर हैं उनके क्वालिफाइड न होते हुए भी उन्हें किस कारण से रख रखा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने निवेदन किया कि अनुभव के आधार पर रखा गया है। क्योंकि ये पहले स्टेट के जमाने से इस प्रकार का काम करते चले आ रहे हैं, काफी अनुभव हो चुका है उसी बिना पर उनको रख रखा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इन्टीग्रेशन के बाद दूसरे डिपार्टमेन्ट्स से जो इस विषय के क्वालिफाइड नहीं हैं उनको भी उसमें लिया गया है और नये लोगों का भी रिक्रूटमेन्ट किया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मुझको ऐसी जानकारी नहीं है, आप कोई पर्टिक्युलर केस बतलायेंगे तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न संख्या ७५१

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

समाज कल्याण खंड कायम करने के आधारभूत नियम

७५२. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां–सु) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या सरकार ने समाज कल्याण खंड कायम किये जाने के संबन्ध में कोई आधारभूत नियम बना रखे हैं ?

(ब) यदि हां, तो उक्त नियम क्या हैं ?

(स) क्या उक्त नियमों के आधार पर कोटा जिले में समाज कल्याण खंड कायम किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(द) यदि हां, तो किस स्थान पर उक्त खंड कायम होगा ?

(इ) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील की जनता की ओर से कोई मांग इस संबन्ध में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है ?

(ई) यदि हां, तो उस मांग पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष) :

(अ) जी हां।

(ब) समीपवर्ती लगभग २५ गांवों की २५,००० की आबादी वाले इलाके में एक योजना स्वीकृत की जाती है। स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व बोर्ड के सदस्य द्वारा इस इलाके की आवश्यकताओं के संबन्ध में सर्वेक्षण किया जाता है। तदनन्तर केन्द्रीय बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य बोर्ड संचालक समिति द्वारा योजना स्थापित की जाती है।

(स) कोटा जिले में समाज कल्याण योजना की स्थापना के विषय में दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। परन्तु केन्द्रीय बोर्ड के

Page No.13

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

निर्देशानुसार कहीं भी कोई नई योजना न खोलने का निर्णय होने से वहां योजना करने की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

(द) प्रश्न ही नहीं उठता।

(इ) बोर्ड कार्यालय में रामगंज मंडी, जिला कोटा की जनता की ओर से कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ई) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : केन्द्रीय बोर्ड ने अब क्यों मना कर दिया है कि कहीं भी केन्द्र न खोले जांय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ब्लॉक्स में खोलने का नियम रखा है।

डा॰ चन्द्रकला : तो क्या यह माना जाय कि जिन जिन ब्लॉक्स में बोर्ड नहीं हैं वहां ऐसी योजना नहीं होगी और ब्लॉक एरिया में ही यह काम शुरू कर दिया जायगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सब जगह एक साथ नहीं हो सकता।

श्री गोवर्धनसिंह केन : भरतपुर जिले में किस किस जगह केन्द्र खोल रखे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लिये नोटिस चाहिये।

डॉ॰ चन्द्रकला : ब्लॉक एरिया में जो नियम लागू होंगे क्या वे ही नियम दूसरी जगह के लिये भी लागू होंगे या नियमों में भी कोई अपवाद होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार होगा, नये नियम तो नहीं बनेंगे।

प्रश्न संख्या ७५३

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

सन् १९५७-५८ में बाली तहसील में अकाल सहायता

७५४. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाली तहसील में सन् १९५७-५८ में अकाल सहायतार्थ कितनी धन राशि स्वीकृत की गई ?

(ख) उक्त धन राशि वितरण करने हेतु कमेटी की कब कब मिटिंग बुलाई गई तथा वह रकम किन किन को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है अतः इसको अगली टर्न पर रख दिया जाय।

प्रश्न संख्या ७५५

Page No.14

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५६

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५७

श्री श्रीराम बसोतिया ।

(अनुपस्थित)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्म उद्योग का प्रशिक्षण

७५८. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन—सु) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने व्यक्तियों को राजस्थान में और राजस्थान से बाहर चर्मोद्योग के सुधरे तरीके का प्रशिक्षण दिया गया ?

(२) प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के क्या क्या नाम हैं और वे कहां कहां के निवासी हैं ?

(३) बोर्ड के मद में आज तक उक्त प्रशिक्षण के निमित्त कुल कितनी धन राशि किस किस सन् में व्यय हुई ?

(४) ये प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति इस समय कहां कहां क्या क्या कार्य कर रहे हैं ?

उप-मंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान में ९ व्यक्तियों को तथा २५ व्यक्तियों को राजस्थान से बाहर कुल ३४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

(२) प्रशिक्षित व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सन् ५७–५८ में इस मद में कुल रकम ४,१८६ रु०, ५४ न० पै० मात्र व्यय हुई है ।

(४) दो व्यक्ति विकास खंडों में चर्मोद्योग की प्रगति के लिये कार्य कर रहे हैं, ३० व्यक्ति अपने घरों पर चर्म का कार्य कर रहे हैं । शेष दो व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल : राजस्थान से बाहर कहां कहां प्रशिक्षण दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान के बाहर जिनका प्रशिक्षण हुआ है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : सूचना में यह तो दर्ज नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने जो सूची दी है उसमें से पहले जो नौ व्यक्ति हैं उनका प्रशिक्षण राजस्थान में हुआ है और बाकी दस का दूसरी जगह ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : जो दो व्यक्ति विकास खंडों में काम कर रहे हैं उनके क्या नाम हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

Page No.15

श्री जयचन्द्र मोहिल : क्या श्री शंकर-लाल शर्मा अपने घर पर ही चर्म उद्योग का काम कर रहे हैं या बाहर ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जान-कारी मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : जो व्यक्ति ट्रेनिंग के लिये भेजे गये थे ट्रेनिंग से वापिस आने के बाद राज्य सरकार जिन जिन ब्लॉक्स में उनको भेजेगी वहीं पर काम करना पड़ेगा, ऐसी शर्त थी क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी शर्त थी या नहीं यह मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: जब आपको शर्त की जानकारी नहीं, कौन व्यक्ति ब्लॉक्स में भेजे गये यह भी जानकारी नहीं तो फिर जानकारी है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो जान-कारी प्रश्न में पूछी गई थी वह मैंने बता दी है । हर एक बात की जानकारी कि एग्रीमेन्ट क्या था और कौन किस जाति का था, कहां काम करता है यह सब जानकारी साथ में लाना संभव नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सरकार यह बता सकती है कि इन सब ट्रेनीज के अन्दर कितने शिडयूल्ड कास्ट के और कितने शिडयुल्ड ट्राइब्ज के और कितने सवर्ण हिन्दू हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अलग से सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो दो व्यक्ति ब्लॉक्स में काम कर रहे हैं वे शिडयुल्ड कास्ट और शिडयुल्ड ट्राइब्ज के नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता कि कौन किस जाति का आदमी है, उनकी क्या उम्र है, क्या काम करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल में ही साफ है कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति कहां कहां और क्या क्या कार्य कर रहे हैं । आप केवल फिगर्स बता देते हैं उससे तो सवाल का जवाब मिलता नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी लिस्ट दे दी है । जिसमें नाम दिये हुए हैं । शायद आपने उस लिस्ट को देखा नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि प्रशिक्षण के लिये जिन व्यक्तियों को भेजा गया उनमें से कई ऐसे हैं जो पहले इस प्रकार का कारोबार नहीं करते थे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है ।

श्री जयचन्द्र मोहिल : सूची में विकास खंडों में कौन कौन काम कर रहा है यह सूचना नहीं है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हवाला दिया हुआ है कि किस स्थान पर कौन काम कर रहा है, यह दिया हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि

Page No.16

(श्री भैरोंसिंह)

प्रशिक्षण के नियमों के अनुसार. जो व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये जाते हैं उनके लिये क्या यह लाजिमी नहीं है कि वे ही लोग जावें जो पहले से ऐसा धन्धा करते हों ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी तो है इनको।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ७५६

श्री अध्यक्ष : श्री वीराराम।

(अनुपस्थित)

ग्राम भाग में ११४ के रेन्ट की माफी

७६०. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जब दूदू व फागी की तहसीलों में लगान पर ११४ रियायत का प्रावधान सब गांवों में है तब गांव भाग में क्यों नहीं है ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : इन ग्रामों में अब कोई रियायत का प्रावधान नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह कैसे नहीं है ? जब मालपुरा में और मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी के अन्दर फागी, दूदू और मोजमाबाद के अन्दर यह बराबर है तो फिर पीछे एक ही भाग में कैसे एक्सेप्शन रह रहा है ? इसमें फर्क क्यों रक्खा गया है एक ही गांव के वास्ते ?

श्री सम्पतराम : दूसरे में क्या हुआ, क्या नहीं, यह तो अलग हालतों पर निर्भर करता है। पर यह शिकायत आई कि रेन्ट वहां बहुत हाई है तो ऑर्डर दिया गया कि ११४ कम करके वसूल कर लिया जावे। पर बाद में रिव्यू किया गया तो ठीक पाया गया, अधिक का सवाल नहीं था और जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं उस गांव का सैटलमेन्ट भी उनसे बहुत पहले हुआ था। उसका बेसिस भी डिफरेन्ट था, तो इस गांव का दूसरों से मेल नहीं हो सकता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह बात नहीं है। ११४ सब गांवों में हो रहा है, भाग के अन्दर ही एक्सेप्शन है। या तो इस गांव पर कोई नाराजी है रेवेन्यू विभाग की या फिर कोई और कारण हो सकता है। यह जो कहा जाता है कि सैटलमेन्ट के पहले हो गया था सब जगह एक साथ हुआ है और एक साथ ही उसके लिये कहा गया है तो इसका क्लीयरेन्स होना चाहिये।

श्री सम्पतराम : स्पष्टीकरण तो पहले कर चुका हूं कि मेरे पास विभागीय सूचना यही है।

श्री अध्यक्ष : आपके उत्तर से तो यह प्रतीत होता है कि दूसरे गांवों को रियायत नहीं है ?

श्री सम्पत राम : यही तो मैं कहता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

Page No.17

श्री अध्यक्ष : वह तो कहते हैं, है ही नहीं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ना कहते हैं, तो यह बात तो दूसरी है। मैं सिर्फ भाग को लेता हूं। मालपुरा में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का खास क्षेत्र का इलाका है वहां भी इसी तरह ११४ की वसूली रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावेगा कि भाग, दूदू वगैरह में ११४ की छूट का अन्तर का प्रश्न नहीं है।

श्री सम्पतराम : छूट का अन्तर के बारे में कहना तो मुश्किल है पर भाग का केस एन्टायरली डिफरेन्ट है। इसका सैटलमेंन्ट भी दूसरी तरह से हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जावे कि दूदू, फागी के कुछ गांवों में ११४ की छूट की गई थी ?

श्री सम्पतराम : आप फिर कुछ भी मान लीजिये। मेरे पास मुकम्मिल सूचना न हो तब तक मैं क्या कह सकता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : भाग के अलावा और सभी जगह ऐसा है फिर इस भाग में ही क्यों डिफरेन्सियेट होता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

माउन्ट आबू पर विकास कार्य

७६१. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माउन्ट आबू पर सन् १९५७ से १९५८ तक कितना विकास कार्य हो चुका है, कितनी योजनाएं अधूरी हैं और वे कब तक पूरी हो जावेंगी ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसकी डिटेल आ नहीं पाई। अतः इसे अगली टर्न पर ले लिया जावे।

प्रश्न संख्या ७६२

श्री अध्यक्ष : रामकिशन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६३

श्रीमती सतवन्तकौर

(अनुपस्थित)

तहसील कोटपुतली के लैंड रिकॉर्ड कर्मचारियों का फिक्सेशन

७६४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील कोटपूतली के लैंड रिकॉर्ड्स कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? व अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पत राम) : (क) अभी नहीं हुआ है।

Page No.18

(श्री सम्पतराम)

(ख) इन व्यक्तियों के केसेज अकाउन्टेन्ट जनरल, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में भेज दिये गये हैं । आशा है शीघ्र ही निर्णय हो जावेगा ।

श्री भीमकरणसिंह : यह कब भेजे गये ?

श्री सम्पतराम : काफी दिन हो गये, काफी रिमाइन्डर्स भी भेजे गये । आशा है अब एक आध महीने में निर्णय हो जावेगा ।

श्री रामकरणसिंह : जब कोटपुतली के टीचर्स की बात कहते हैं, लैंड रिकार्ड की बात कहते हैं, मेडिकल कर्मचारियों की बात कहते हैं, तो ए० जी० का ऑफिस याद दिला देते हैं । ए० जी० का ऑफिस एक गहरा समुद्र है क्या, यह माना जावे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां उनसे जाकर रिक्वेस्ट करो ।

ग्राम भंडाणा, तहसील दौसा में हरे दरख्त काटे जाना

*९६४. **श्री रामधन (दौसा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम भंडाणे, तहसील दौसा में ५२५ वृक्ष एक सरकारी कर्मचारी द्वारा काटे गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो वृक्ष किसकी स्वीकृति से काटे गये हैं ?

(ग) क्या इन वृक्षों के बारे में सरकार को फोन तथा दरख्वास्त द्वारा शिकायतें की गई हैं ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(ङ) क्या इस जमीन में आम रास्ता भी शामिल है जिसके भी वृक्ष काटे गये हैं ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं । परन्तु ४६१ वृक्ष श्री स्वामीशरण की खातेदारी की भूमि पर से काटे गये थे । यह कार्य उनके मुख्तार श्री प्रेमस्वरूप द्वारा किया गया, जो वहां के एस० डी० ओ० के रीडर भी हैं ।

(२) कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई ।

(३) जी हां । शिकायतें की गई थीं ।

(४) इस विषय में मौके पर अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर, को भेज कर जांच करवाई गई जो अभी विचाराधीन है ।

(५) जी नहीं । कोई आम रास्ता तो नहीं, पर लोग आते जाते जरूर रहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पेड़ काटे गये वे किसके कब्जे में हैं ?

श्री सम्पतराम : जिसने काटे उसके कब्जे में होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : होंगे नहीं, आप डेफीनिट बताइये । असिस्टेन्ट कलेक्टर ने मौके पर जाकर जांच की और पेड़ कटे हुए मिले । उन पेड़ों को उन्होंने अपने अधिकार में लिया या नहीं और यदि अधिकार में लिया तो किसकी सुपुर्दगी में वे आज हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं तो इतना ही कह

(श्री सम्पतराम)

सकता हूं। सरकार ने कोई अपने अधिकार में नहीं लिया। अब उसने किसको दिये, यह मैं तहकीक नहीं बता सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जौहरी बाजार, जयपुर में जांच के आदेश किसने दिये ?

श्री सम्पतराम : रेवेन्यू मिनिस्टर ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रीज़ रिमूवल ऑर्डिनेन्स के अन्दर जो धाराएं हैं वे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत हैं। अब जब उसने इतने पेड़ काटे और सरकार ने जांच कराई तो उस एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत जो प्रोसीजर है वह क्यों नहीं फोलो किया गया। अलग इन्क्वायरी कराने की जरूरत क्या है ? आपके पास शिकायत आई, आपको इस एक्ट के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करनी थी।

श्री सम्पतराम : सारा मामला विचाराधीन है सरकार के। टिनेन्सी एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अपने खुद के काम के लिये पेड़ काट सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर तो आपको इन्क्वायरी करने की भी आवश्यकता नहीं थी, पर लॉ में यह भी प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिये काटे और अगर कोई शिकायत इस प्रकार आती है तो उसकी जांच का प्रोसीजर उसमें प्रोवाइड है। उसके हिसाब से यह सारा केस कोर्ट में चलना चाहिये था। वहां अगर पर्सनल यूज के लिये काटना साबित होता या एक्ट की धाराओं के अनुसार काम होता तो बरी हो जाती और जुर्म साबित होता तो सजा हो जाती। इसमें अलग से ऊपर से आप को अपनी नाक पोक करने की क्या जरूरत पड़ी, आपने अपनी नाक उसमें क्यों लगाई ?

श्री सम्पतराम : यहां उसने गवर्नमेंट सर्वेन्ट के रूप में काम नहीं किया, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम किया है। खुद के काम के लिये काटना चाहती थी। तहसीलदार ने आज्ञा दे दी थी। यह लॉ में है कि खुद की खातेदारी के खेत में से स्वयं काट सकता है। उसमें उसको लाइसेंस या परमिट भी लेने की जरूरत नहीं है। यह तो बाद में शिकायत आने पर जांच कराई गई है।

श्री अध्यक्ष : केवल एग्रीकल्चर पर्पज के लिये काट सकता है।

श्री सम्पतराम : इसमें अध्यक्ष महोदय, डोमेस्टिक पर्पज के लिए काट सकता है। यह कहीं मेन्शन नहीं किया गया था कि कितने काटना और कितने नहीं और अब जब कि इसी प्रकार की शिकायत आई और देखा गया कि इतने पेड़ काटे गये तो इसकी जांच के लिये एडीशनल कलेक्टर को भेजा गया। अब उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने है, उस पर निर्णय न हो तब तक कुछ भी कहना वाजिब नहीं होगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : पर्पज लिखा था क्या उसने कि इस पर्पज के लिये मुझे पेड़ काटना है ?

श्री सम्पतराम : जी हां, निश्चित तौर से लिखा था कि डोमेस्टिक पर्पज के लिये काटना है।

Page No.20

ठाकुर श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : एक हजार मरण का बड़ का पेड़ भी काटा गया है, यह भी मालूम होना चाहिये डिप्टी मिनिस्टर साहब को।

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल यूज के लिये काटना था तो आपको इन्क्वायरी करने की जरूरत क्या थी ? आपका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहता वहां तो।

श्री रामधन (दौसा) : बड़ का पेड़ उसने काटा है और रूबरू ठेकेदार के यहां वह पकड़ा गया है, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर साहब ने देखा है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय समझ में नहीं आया, यह मामला कहां बीच में आता है। टेलीग्राम यहां पर आया, इमीजिएटली इन्क्वायरी का ऑर्डर दिया गया, असिस्टेन्ट कलेक्टर ने जांच की। रिपोर्ट आई है, वाजिब कार्यवाही की जावेगी। मान लीजिये टीनेन्सी एक्ट के कन्ट्रावेन्शन में काम किया है तो निश्चित तौर से एक्शन लिया जावेगा और ठीक तौर से किया है तो फिर कोई सवाल नहीं रहेगा, तो जब तक मामला जो जेर तफतीश है तब तक कोई अन्तिम निर्णय की सूचना सदन को दे सकूं इस स्थिति में नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : जांच करने वाले अधिकारी ने यह आवश्यक क्यों नहीं समझा कि जब तक इस बात का निर्णय नहीं मिल जाये कि जो पेड़ काटे गए हैं वे डामेस्टिक यूज़ के लिए काटे हैं या एग्रीकल्चर यूज़ के लिए काटे हैं तब तक उन पेड़ों को जब्त कर लिया जाय ?

श्री सम्पतराम : जांच करने वाले अधिकारी को इस प्रकार के आदेश नहीं दिये थे कि वह इस प्रकार का एक्शन ले। उससे तो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी थी और अब इस रिपोर्ट पर जो कुछ ऑर्डर्स गवर्नमेंट को देने होंगे वह देगी।

श्री भैरोंसिंह : आखिर जांच करने वाले अधिकारी को कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के साथ ही तो इन्क्वायरी के लिए भेजा होगा। वह मौके पर जिस चीज की जांच करने जाएं और पेड़ों को जब्त न करें, यह तो कोई बात नहीं।

श्री सम्पतराम : नहीं यह नहीं था कि एक आदमी जब फालतू तरीके से पेड़ काट रहा है और उसको ऐसा करने से रोका जाये बल्कि एप्लीकेशन इस प्रकार की थी, उसके लिए टेलीग्राम भी आया था और उस पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर्स दिये थे कि एडीशनल कलेक्टर को भेज कर जांच कराई जाये।

श्री भैरोंसिंह : आखिर यह सब किस कानून के अन्तर्गत हो रहा था ?

श्री अध्यक्ष : वह तो शिकायत आई और एडिशनल कलेक्टर को जांच के लिए भेज दिया।

श्री भैरोंसिंह : यदि शिकायत की जांच होती है तो काटे हुए पेड़ों को भी जब्त किया जा सकता है, जब तक यह फैसला नहीं हो

(श्री सम्पतराम)

जाता कि पेड़ों को किस पर्पज़ के लिए काटा गया था।

श्री अध्यक्ष : यह जांच के लिए आपने आदेश कब दिये ?

श्री सम्पतराम : शिकायत तो २५-१-५६ को आई थी और

(अश्रव्य)

को जांच के लिए आदेश जारी हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित समझती है कि राज्य सरकार के पास शिकायत आये तो राज्य सरकार उसके बारे में इन्क्वायरी करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : जांच तो इस बात की हो रही है कि अमुक लोगों ने शिकायत की कि कानूनन एक्शन लिया जाना चाहिये था और नहीं लिया, इसलिए सरकार तो यही कर सकती थी कि उसकी जांच के लिए किसी को भेजा जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न इस बात का है कि जांच करने के बाद में कोई लीगल सेंक्शन नहीं है। क्वेश्चन यह है कि ऐसी चीजों के लिए कोर्ट्स होते हैं और कोर्ट्स में कानून के अनुसार एवीडेन्सेज़ लेते हैं, ट्रायल होती है और फिर चार्जेज फ्रेम करते हैं और अगर कोई कुसूरवार है तो उसको सजा मिलती है और उसके बाद में फिर अपील का प्रोविजन उस आदमी के सामने है। यह फाइन्डिंग भी दी तो किस कानून के अन्तर्गत दी...

श्री अध्यक्ष : एडमिनिस्ट्रेटिव जांच हो रही है कि सर्टेन ऑफिसर को जो एक्शन लेना चाहिए था वह उसने नहीं लिया और खास शिकायत इसी बात की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक आदमी ने पेड़ काटा और उसने ऑफेन्स किया तो ऑफेन्स की ट्रायल तो कोर्ट में होनी चाहिए उसमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का सवाल नहीं खड़ा होता है लेकिन जांच इस बात की हो रही है कि पेड़ काटे या नहीं काटे और अगर काटे तो किस पर्पज के लिये काटे। यह मामला तो तहसीलदार की कोर्ट में होगा, वह बाकायदा ट्रायल करेगा और डिसीज़न होगा।

श्री अध्यक्ष : वहां के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको एक्शन लेना चाहिये था, वह उन्होंने नहीं लिया इसी बात की शिकायत है।

श्री भैरोंसिंह : जहां तक पेड़ काटने का ऑफेन्स है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पर जिस ऑफिसर को एक्शन लेना चाहिये उसने नहीं लिया। यह तो डिपार्टमेन्टल क्वेश्चन है इसके ऊपर एडीशनल कमिश्नर जो चाहे डिसीजन ले सकता है। यदि कार्यवाही होती तो पेड़ भी जब्त कर लिए जाते और बाकायदा मुकदमा उसमें कायम होता।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक खातेदारी के खेत में से कुछ पेड़ काटे। उस आदमी ने काटने के लिए तहसीलदार से इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कि पेड़ काट लें और अब उसने डॉमेस्टिक नीड का नाम लेकर चार पांच सौ पेड़ कटवाये। इसके लिए गवर्नमेंट के पास शिकायत आई तो गवर्नमेंट ने यह इन्क्वायरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कराई कि जो उसने पेड़ कटवाये हैं वह उसने डॉमेस्टिक पर्पज के लिए या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए काटे हैं। उसकी जांच की है और रिपोर्ट आ रही है। अब किसका जुरिस्डिक्शन था, किस ऑफिसर ने नोटिस नहीं लिया है, हम उसको यह कहेंगे कि You should take congnizance of it and move the matter इसके अलावा जिसकी लापरवाही रही है उसके खिलाफ जो कुछ करने का है वह करेंगे। अब कॉग्नीजेन्स लेने के बाद पेड़ों का क्या होगा वह टिनेन्सी एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस आदमी ने पेड़ काटे हैं उसके खिलाफ किस प्रकार से प्रोसीक्यूशन करेंगे उसकी तो टाइम लिमिट निकल गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। पेड़ काटने के बाद में कोर्ट के नोटिस में कोई भी बात आये तो उस समय एक्शन ले सकते हैं, इसके अन्दर कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरा कानून देखा हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : Now since the Government has taken cognizance, will it launch a prosecution very soon?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस खातेदारी की जमीन में से ४०० पेड़ काटे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : I am now convinced with your word 'yes'.

तह पेड़ काटे हैं, वह तहसीलदार के पर्मिशन से काटे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं तहसीलदार की पर्मिशन से नहीं काटे। उसने तो कहा था कि तुम काट लो।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार को कैसे मालूम हुआ कि तहसीलदार से वरबली पूछा गया था और उसने कहा कि डोमेस्टिक पर्पज के लिए काटें तो काट लें।

श्री श्रीभानसिंह : उन्होंने कहा कि तहसीलदार से इजाजत नहीं ली थी और माननीय मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उसने डॉमेस्टिक पर्पज के लिये काटने की इजाजत ले ली थी, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हैं ?

श्री अध्यक्ष : डोमेस्टिक यूज के लिए तहसीलदार से इजाजत लेने की बात नहीं है But to give it a legal form...... और तहसीलदार ने ऑर्डर्स कर दिए कि काट लो और उन्होंने काट लिए।

श्री भैरोंसिंह : वे इन्कार कर रहे हैं कि तहसीलदार से पर्मिशन नहीं ली।

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि एक ही प्रश्न के इस प्रकार से दो उत्तर नहीं दिए जायें।

श्री सम्पतराम : उस आदमी ने एप्लीकेशन दी कि मैं अपनी खातेदारी की जमीन में से पेड़ काटना चाहता हूं। इस पर तहसीलदार ने कहा कि जो आदमी डोमेस्टिक

Page No.23

(श्री सम्पतराम)

यूज के लिए काटता है तो टिनेन्सी एक्ट की धारा ८४ के अन्तर्गत उसें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : लिखित में कहा ?

श्री सम्पतराम : जी हां । डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए काटते हैं तो यहां परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगर आवश्यकता नहीं थी तो फिर जुर्माना भी नहीं देते । यह तो इस बात को सेंक्शन का रूप देने के लिए उन्होंने उससे लिखवा लिया । आप जांच करवा लीजिये और एक्शन ले लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी ने पेड़ काटे हैं उसकी जमीन खातेदारी की नहीं है इसलिये तहसीलदार को उसने एप्लीकेशन दी थी ।

श्री सम्पतराम : वह तो मुख्तियार के रूप में दरख्वास्त दी थी ।

श्री अध्यक्ष : श्री लालूराम ।

श्री कैलाशचन्द बांकीवाला को होजरी फैक्टरी के लिए दिया गया कर्ज

७६६. श्री लालूराम टटवाड़िया (टोंक-मु) क्या मंत्री उद्योग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कैलाशचन्द बांकी वाला, घी वालों का रास्ता, जयपुर को होजरी इन्डस्ट्री के लिए कितना रुपया कर्ज या सबसिडी के रूप में दिया गया ;

(ख) क्या यह सत्य है कि रुपया लेने के बाद श्री बांकीवाला ने कोई होजरी इन्डस्ट्रीज़ पर रुपया न लगा कर उससे मकान बनाने में या अन्य कार्यों में लगाया ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन रुपयों को एक मुश्त वापिस वसूल करने की व्यवस्था करेगी ?

उप मन्त्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) (क) कैलाशचन्द बांकीवाला, जयपुर को उद्योग विभाग से कर्ज या सबसिडी के रूप में कोई रुपया नहीं दिया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : किस होजरी को दिया है ? Whether any hosiery has been given any loan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Any loan?

श्री पी० के० चौधरी : Yes.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is very difficult for me to tell you at this moment.

श्री लालूराम : दूसरे के किसी नाम से दिया है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह भी मेरे लिए कहना मुश्किल हो जायेगा । सैकड़ों एप्लीकेशन्स आती हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : I wanted to

Page No.24

(श्री पी० के० चौधरी)

know if there is any hosiery at Jaipur related to Shri K. C..

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is absolutely another question. I cannot say off hand about it.

श्री पी० के० चौधरी : Whether any society of the hosiery or industry located at Gheewalon ka Rasta, Jaipur has been granted any loan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is very difficult for me to tell you now off hand. The Hon'ble member desires to fish out something which he himself does not Know.

श्री पी० के० चौधरी : He may not be Bakliwala or Bankliwalan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: There are so many 'walas' and I don't know whether he is a Bankliwala, Batliwala or Churiwala or....

श्री भैरोंसिंह : At least he should not be a Dhariwala.

स्थगित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३६८

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४७

कुमारी शन्नोदेवी

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५३ व ६८५

श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न पूछ लिया जाय !

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

शाहपुरा, उदयपुर डिविज़नों के सर्किट हाउस में सन् ५२ से रज़ाइयों की चोरी

६२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

क. शाहपुरा सर्किट हाउस, उदयपुर डिविज़न में १ अप्रेल, सन् १६५२ से लेकर किस २ वर्ष में कितनी २ रज़ाइयां गुम हुई या चोरी गई ?

ख. क्या यह सही है कि इन रज़ाइयों के गुम करने में एक गजेटेड अधिकारी भी दोषी पाया गया ?

ग. क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी से रज़ाइयों की कीमत वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

घ. क्या यह सही है कि इस मामले की जांच हुई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा जांच का क्या नतीजा रहा ? कीमत किसके

Page No.25

(श्री भैरोंसिंह)

हुक्म से और कब वसूल की गई ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री सम्पतराम): (१) कोई रजाईयां गुम नहीं हुईं, न चोरी हुई ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

११. ५५ म० पू०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री श्रीराम बासोतिया ने दिनांक २८. ३. ५६ से दिनांक २. ४. ५६. तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है । क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई है ।

जनलेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति के निर्वाचन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७७ के उपनियम (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति १९५९-६० के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(अल्प विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि सदन के सदस्यों के द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७८ के उपनियम (२) द्वारा निर्दिष्ट रीति से सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति १९५९-६० के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय" ।

१२. ३. म० प०

भीलवाड़ा की एक फर्म को रोड टैक्स से मुक्ति देने सम्बन्धी गृह विभाग की विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखी गई

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (बी) विभाग विज्ञप्ति संख्या डी० १७१५। एफ० १०।२ (६) । एच ५४ दिनांक ३ जनवरी १९५६, जिसके द्वारा मेसर्स पूसालाल मानसिंघ (प्राइवेट) लिमिटेड भीलवाड़ा, की निम्नांकित गाड़ियों को १ अप्रैल, १९५१ से ३० सितम्बर, १९५२ तक के काल के लिये रोड टैक्स से मुक्त किया गया है, सदन की मेज़ पर रखता हूँ –

१. आर० एच० ई० ११ (जीप)

२. आर० एच० ई० १२ (जीप)

३. आर० एच० ई० १४ (ट्रक)

४. आर० एच० ई० १५ (ट्रक)

Page No.26

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Why these trucks were exempted ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : इन गाड़ियों को रोड टैक्स से क्यों मुक्त किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् ५१ के साल में मोटर विहिकल्स एक्ट फोर्स में आया था। उक्त फर्म का उदयपुर गवर्नमेन्ट के साथ में एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट से गाड़ियों पर टैक्स तथा दूसरे कई प्रकार के टैक्सेज़ की माफी की उनको सेन्क्शन थी। मोटर वेहिकल एक्ट फोर्स में आया था उसके बाद में ५२ के साल तक वह एग्रीमेन्ट खत्म हो रहा था। उस साल तक का हमारे रेकार्ड में आउटस्टैंडिंग दिखता था। उसका केस चला और लॉ डिपार्टमेंट की ओपीनियन वगैरह से तय हुआ कि उदयपुर गवर्नमेन्ट के साथ में जो एग्रीमेंट था तो उसको रिक्गनाइज़ करना पड़ेगा। एग्रीमेंट खत्म हो रहा था। उसके बाद वह बराबर टेक्स पे कर रहे हैं। उस टाइम का टैक्स उस एग्रीमेंट के लिहाज से फाइनली गवर्नमेंट ने माफ किया है। इस वजह से यह नोटिस आपके सामने है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरा प्रश्न है; गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है ३ फरवरी, १९५९ को और आपने पेश किया है ३०. ३. ५९ को। सेक्शन १०३ ऑफ दी मोटर वैहिकल एक्ट ले डाउन करता है, उसमें वर्ड है "as soon as possible" १६ फरवरी से विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ और ३० मार्च को केस रखते ह। पहले भी कई बार प्रश्न आया है ...

श्री नाथूराम मिर्धा : एक, दो महीने की कोई खास बात नहीं है। जल्दी ही आ जाता है आज कल तो।

श्री अध्यक्ष : पहले से देर कम हुई है।

(हंसी)

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री धर्मेन्द्र परिहार (सचिव राजस्थान विधान सभा) : मैं सदन की मेज़ पर विधान सभा के इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, रखता हूं।

वे विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है

१. दी राजस्थान जमींदारी एण्ड बिस्वेदारी एबॉलिशन बिल, १९५८।

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है

१. दी राजस्थान लैण्ड एक्वीज़िशन एमेंडमेंट बिल, १९५९,

२. दी राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं २) बिल, १९५९,

३. दी राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज़ एक्स्टेन्शन एमेंडमेंट बिल, १९५९, और

४. दी राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९५९।

वित्त समितियों सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्तावों की स्वीकृति

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १२ पर विचार हो रहा था और श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने अपना संशोधन रखा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मोशन मूव किया था, माननीय मुख्य मन्त्री मोशन मूव करके रह गये, उसको सदन में पारित करने की आवश्यकता है, That motion was not put to vote before the House.

श्री अध्यक्ष : वह तो मोशन मूव किया था। बाद में जो हम टाइमटेबिल बनायेंगे, उस मोशन के अन्तर्गत बना लेगें। उसके ऊपर वोट करने की बात नहीं थी। It was a very formal notice.

अनेक माननीय सदस्य : हाउस की स्वीकृति नेसेसरी है।

श्री अध्यक्ष : I will do it now.

क्या सदन की अनुमति है कि दो प्रस्ताव सदन के नेता ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय। Just I want to take the sense of the House.

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

१२. ५ म० प०

राजस्थान यात्री तथा माल–कर विधेयक, १६५६ (अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२ पर मैंने जो संशोधन रखा था वह इस आशय का था कि जितने भी मोटर विभाग में यात्रियों के जो केसेज़ होते हैं वहां अन्य सरकारी विभाग जो मोटर यातायात से संबंधित नहीं हैं जैसे कि पुलिस का संबंध है, अन्यान्य विभाग हैं उनके सम्बन्ध में कहता हूं कि उनके बारे में यात्रियों को कष्ट होता है, उस प्रकार का कष्ट नहीं हो, इसका प्रोवीज़न इस एक्ट में हो। इसके लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय उसे मन्जूर करेंगे।

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री यातायात विभाग) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, उसको मैं मन्जूर करने में असमर्थ हूं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। रेलवे में भी जो टिकिट चैक करने वाले या दूसरे लोग हैं वे जिस तरीके से...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि इसका उत्तर माननीय उपमन्त्री महोदय दें, लेकिन यदि वित्त मन्त्री महोदय हाउस में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि उनको उत्तर देना चाहिए, और वे उत्तर नहीं देते हैं तो नियमों के उपरान्त भी चाहे नियमों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो लाइटली इस बात की ओर संकेत करता है कि हाउस के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा उन्हें बतानी चाहिए उसमें कमी है। मिनिस्टर महोदय मौजूद हों तो हाउस की प्रेस्टीज़ इसी में है कि मिनिस्टर महोदय स्वयं उत्तर दें। उनकी अनुपस्थिति में किसी कारण से डिप्टी मिनिस्टर उत्तर देते हैं तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस समय चूंकि वित्त मन्त्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह)

मौजूद हैं इसलिए हाउस की प्रेस्टीज के लिए अच्छा होगा कि स्वयं सारी डिबेट का उत्तर दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : नियम मौजूद हैं। नियमों में सुविधा है। नियमों के बाहर बात हो तो इस तरह का सवाल पैदा होता है। नियमों के अनुकूल बात हो तो उसमें हाउस की प्रेस्टीज का कोई सवाल नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसमें नियम का सवाल नहीं है। यह हाउस की कर्टसी है मिनिस्टर की तरफ से कि जब वह प्रेजेन्ट हों तो डिबेट का उत्तर उन्हीं को देना चाहिए, और डिप्टी मिनिस्टर उत्तर देते हैं जब कि आप प्रेजेन्ट नहीं हो तो मैं खुद निवेदन करूंगा कि नियम में ऐसा नहीं है कि डिप्टी मिनिस्टर जवाब दें। पार्लियामेंट में भी यही प्रोसीजर है कि मिनिस्टर इन्चार्ज प्रेजेन्ट रहते हैं तो डिबेट जो होती है उसका मिनिस्टर ही जवाब देते हैं, डिप्टी मिनिस्टर जवाब नहीं देते हैं हाउस की डिगनिटी को मेनटेन रखने के लिए। नियमों में ऐसा नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मन्त्री होदय जवाब दें। After all, you must respect the House.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अगर ऐसी मंशा है कि जवाब नहीं दें तो चलिये आप, मेरे भी कुछ काम हैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पधारें।

श्री अध्यक्ष : डिप्टी मिनिस्टर महोदय जो है वही इस बिल को पायलॉट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि वित्त मन्त्री महोदय कुछ देर के लिए बैठें तो।

श्री श्रीभानसिंह : I would prefer that the Hon'ble Finance Minister may not sit in the House. But if he sits, he should reply to the debate in the House.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मेरे जबाब देने से हाउस की कैसे प्रतिष्ठा बढ़ती है।

श्री भैरोंसिंह : वित्त मन्त्री महोदय को आपत्ति क्या है अगर उत्तर दें तो ?

श्री अध्यक्ष : आपत्ति का प्रश्न नहीं है। आपत्ति नहीं हो सकती। जब उन्होंने आपने डिप्टी मिनिस्टर को पायलॉट करने के लिए सारा काम सौंप दिया है और यदि वे इन चीजों का उत्तर दें तो अनुचित बात दिखती नहीं।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर महोदय को तो कल भी सौंपा हुआ था लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने डिबेट का उत्तर दिया तो मैं समझता हूं कि उसके कारण से सदन की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उसी प्रकार से दरअसल में सदन में बहस का उत्तर माननीय मन्त्रीगण दें तो इस सदन की प्रतिष्ठा उनके द्वारा अच्छी होगी और सदन में माननीय सदस्य व्यूज़ वेन्टीलेट करते हैं उनका उत्तर माननीय मन्त्रीजी से प्राप्त हो सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि वित्त मंत्रीजी से उप-मंत्रीजी ज्यादा काबिल हैं।

(हंसी)

Page No.29

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन प्रश्न है सदन की प्रतिष्ठा का और प्रतिष्ठा मंत्रीजी से रहती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो अच्छी बात है कि यदि कोई आगे की नई पीढ़ी काम के लिये तैयार रहती है और उनको प्रशिक्षण मिलता है तो उनको काम करने देना चाहिये, इसमें सदन की प्रतिष्ठा का कहां सवाल आता है ?

श्री भैरोंसिंह : सदन की प्रतिष्ठा आपके उत्तर देने से रहेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : प्रश्नोत्तर के समय भी सदन में मंत्रियों के उपस्थित रहने पर भी उप मंत्री उत्तर देते हैं तो इसमें सदन की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पेचीदगी का मामला होगा तो वित्त मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि जिस काम से सदन की प्रतिष्ठा रह सके उस प्रकार किया जाय। वित्त मंत्रीजी इसको लाइटली न लें। वे उत्तर जिस तरह से भी दे सकते हैं दें और यह कह कर न टालें कि उप-मंत्रीजी को प्रशिक्षण देना है। ऐसी बात न कहें जिससे उप-मंत्रीजी की इन्सल्ट हो। क्या उप-मंत्री जी का काम अब तक ट्रेनिंग लेना ही रह गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्रीजी ही जवाब दें तो अधिक अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आप उन्हें सदन छोड़ने के लिये बाध्य करते दिखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे सदन छोड़ कर चले जाय तो अच्छा है।

श्री सम्पतराम : मैंने अर्ज किया कि जो प्रस्ताव श्री जगदीश प्रसादजी ने रखा है उसके बारे में सारे प्रॉविजन्स को देखने के बाद हरेक सदस्य को यकीन होगा कि इसे मानना नहीं चाहिये। क्योंकि गाड़ी में कहां से कितनी सवारियां बैठती हैं उसको कोई भी अधिकारी जो चेकिंग करने जाता है, फाइन्ड आउट नहीं कर सकता। वह अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने जाता है। उसको यदि इत्तिला मिलती है कि फलां जगह से बगैर टिकिट के इतनी सवारी बैठी हैं तो ऐसी हालत में वह दूसरी सवारी गाड़ी में बैठ कर जाता है तो वाजिब है। इस संशोधन प्रस्तावमें को उन्हांने वैसे ही मूव कर दिया है, इसमें कोई खास बात नहीं है इसलिये सदन इसे स्वीकार नहीं करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ में जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : You want a division right from the beginning.

१२.१४ म० प०

(घंटी)

(श्री अध्यक्ष)

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ में जो संशोधन श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १३ ।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन छोटा सा है कि तीसरी लाइन में'टिकिट' शब्द के बाद'फ्री पास'शब्द और जोड़े जायें । ये शब्द एड करने का मुख्य कारण यह है कि प्राइवेट बसेज़ चला करती हैं उनमें हम दिन रात देखते हैं कि हमारे यहां के अधिकारी और दूसरे लोग फ्री पास बनवा लेते हैं । अगर वे लोग फ्री पास बनवालें और हम टैक्स वसूल नहीं कर पायेंगे तो यह उचित नहीं है । सिनेमाओं में लोग फ्री पास बनवाते हैं लेकिन एन्टरटेनमेन्ट टैक्स उन पर लागू होता है इसलिये शब्द 'फ्री पास' एड कर दिया जाय ताकि चाहे ये लोग किराया दें या न दें लेकिन टैक्स देने की स्थिति हो जाय। इसलिये 'फ्री पास' शब्द एड करने का मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि 'फेअर' शब्द के बजाय 'टैक्स' शब्द लगा दिया जाय :

The word 'tax' be substituted for the word 'fare' occuring in the last line.

इस धारा के अन्दर यह प्रोविज़न किया गया है कि यात्री अपनी यात्रा के सम्बन्ध में मांगे जाने पर टिकिट, वाउचर या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा । लेकिन यह फ्रेट्स के लिए लागू नहीं होगा । ग्रामेटिकली भी यह ठीक नहीं है । टिकिट, वाउचर या डॉक्युमेन्ट कुछ भी हो लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह बस के कंडक्टर टिकिट नहीं देते और जब ओवर लोडिंग करते हैं तो उन पर दूसरी पेनेल्टी रखी है । लेकिन पैसेन्जर्स की कोई गलती नहीं है फिर भी उनसे डबल फेयर ले लिया जाय तो यह गैर वाजिब बात होगी । आपको तो टैक्स लेना है । रेल्वे की मालिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट है लेकिन जो बिना टिकिट ट्रेवल करते हैं उनसे डबल फेअर का प्रोसीज़र होता है । लेकिन यहां पर इस तरह से करने से सरकार को टैक्स का नुकसान होगा इसलिये पेनल्टी के तौर पर टैक्स लिया जाय । 'फेअर' शब्द ग्रेमेटिकली भी ठीक नहीं है इससे खाली पैसेन्जर्स पर ही लगेगा 'फ्रेट' पर नहीं लगेगा। इसलिये मैंने अपना यह संशोधन रखा है ।

श्री सम्पतराम : टिकिट के आगे 'फ्री पास' जोड़ दिया जाय इसके बारे में

(श्री सम्पतराम)

मैं निवेदन करूंगा कि इसमें लिखा है : "A passenger shall, upon demand made during the course of, or immediately before or after the journey, produce to any prescribed authority the ticket, voucher or document relating......on his failure to do so he would be chargeable with twice the fare as penalty"

बसेज से संबंधित यदि कोई डॉक्यूमेन्ट पेश करता है तो वह ठीक है, फ्री पास वाला हो या टिकिट वाला हो हमको तो उससे पैसा लेना है, इसमें फ्री पास भी शामिल आ जाता है । इसलिए इन शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

दूसरी बात पेनेल्टी के बारे में कही गई । उसके बारे में निवेदन करना है कि पेनेल्टी होती है वह जुर्म के लिए होती है। हमें लोस इसलिए होता है कि रूल्स वगैरा में टाइटनेस नहीं होती । इसलिए यह अच्छा है कि हम अगर टाइटनेस रखते हैं तो इसके कारण इवेजिवनेस नहीं होगी ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष, महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ०, बहादुर सिंह और श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज १३ में रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १४, श्री रामेश्वर दयाल ।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी ।

(श्री चौधरी ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज १५, डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १६, श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया)

डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १७, डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १८ और १६ ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ और १६ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १८ व १६ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० .... डॉ० बहादुरसिंह । क्लॉज़ २१ में आपका संशोधन है ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ २१ है इसमें एक नया सब क्लॉज़, तीसरा एड करने के लिए मेरा संशोधन है । वह इस प्रकार है :

Add the following new sub— clause (3):—

"The rules made under this Act shall be placed before the State Legi. slative Assembly in the session there- of next following."

माननीय अध्यक्ष, इस एक्ट के अन्तर्गत काफी रूल्स बनेंगे और वे रूल्स सर्वसाधारण के लिए और विशेष तौर पर जो मोटर विहिकल्स का बिजनेस करते हैं

(डॉ० बहादुरसिंह)

उनके लिए हैं, ये रूल्स उन पर लागू होंगे। इनका जन साधारण से सम्पर्क होने के कारण और जन साधारण से सम्बन्धित होने के कारण यह आवश्यक है कि सदन उन पर विचार करें। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि जो रूल्स बनें, कम से कम वे विचारार्थ सदन के सामने आयें। मैं समझता हूं यह एक अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है और सदन के लिए आवश्यक है कि सदन उनकी जानकारी रखे, भले ही उन रूल्स में संशोधन करे या नहीं लेकिन उनकी जानकारी सदन को अवश्य ही होनी चाहिए। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है, मैं समझता हूं कि इसे आप स्वीकार कर लेंगे।

श्री सम्पत राम (उप मंत्री, आबकारी व कर विभाग) : अध्यक्ष महोदय, किसी कानून के तहत जो नियम बनते हैं, वे नियम बनने के बाद गवर्नमेंट उनको गज़ट द्वारा नोटीफाई करती है और नोटीफिकेशन के जरिये सबको, जिसमें विधान सभा के सदस्य भी आ जाते हैं, इसकी जानकारी हो जाती है। तो फालतू के लिए विधान सभा की टेबल पर रूल्स रखें, जब कि उन रूल्स के ऊपर डिस्कशन होता नहीं है और रूल्स इसलिए बनते हैं कि जो एक्ट की स्प्रिट हैं, उसके तहत, उसको ठीक तरह से एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, इस कन्वीनियेन्स को मद्दे नजर रखते हुए बनाये जाते हैं। जो रूल्स गवर्नमेंट बनायेगी और उन्हें गज़ट में भी नोटीफाई करेगी। रूल्स का गजट में नोटीफाई करना सफीशियेन्ट है, इसलिए टेबल पर रखना मैं ठीक नहीं समझता।

डॉ० बहादुर सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जिस एक्ट के अन्तर्गत व्यवस्था होती है, वे रूल्स सदन में आते हैं, दूसरे नहीं आते हैं। जो रूल्स बिज़नेस ऑफ कन्डक्ट रूल्स से कवर होते हैं, वे ही ज्यादातर सदन के समक्ष आते हैं। इसलिए लाज़िमी था कि इसमें यह रखना चाहिए। इसलिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री सम्पतराम : यह एक पिक्यूलिअर बिल है, टैक्सेशन का बिल है। सदन की मीटिंग न होगी, उस दौरान में इसे लागू करना है, इसलिए हम वेट नहीं कर सकते। सदन की मीटिंग के बाद यह लागू होगा तो जो रूल्स बनेंगे उनको हम गज़ट में पब्लिश कर देंगे....

डॉ० बहादुरसिंह : रूल्स पब्लिश होने के बाद टेबल पर रखने में क्या आपत्ति होगी ?

श्री सम्पतराम : उसके चार-छः महीने बाद विधान सभा मिलती है, उस समय टेबल पर रखने में क्या सेन्स है ?

श्री भैरोंसिंह : सेन्स हैं, जैसा पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए व्यवस्था है कि जितने रूल्स बनते हैं वे टेबल पर रखे जाते हैं। यहां भी रूल्स में परिवर्तन आने वाला है और यहां रूल्स रखे जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : पर यह मन्जूर नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : आप यह स्वीकार नहीं करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मन्जूर नहीं है।

डॉ० **बहादुरसिंह** : तो सदन मुझे संशोधन वापिस लेने की इजाजत दे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंहजी ने रखा है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० **बहादुरसिंह** : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २० में श्री सोहन लाल भटनागर का संशोधन है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्लॉज़ तीन पास हो गया, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २० और २१ स्वीकार किए जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २० व २१ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज १। इसमें श्री जगदीश प्रसाद माथुर का संशोधन है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : ऑफिशियल अमेन्डमेंट एक है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मेरा अमेंडमेंट सब-क्लॉज़ तीन में है कि फर्स्ट डे ऑफ अप्रेल के बजाय फर्स्ट डे ऑफ मई कर दिया जाय। जैसा सब माननीय सदस्यों को विदित है कि फर्स्ट अप्रेल आने के अन्दर कल का दिन बाकी है। इस बिल को लागू करना है, इसके लिए काफी रूल्स पब्लिश करने पड़ेंगे, ऑथोरिटी प्रेस्काइब करनी पड़ेगी, मेथड़ ऑफ कलेक्शन प्रेसक्राइब करना पड़ेगा। अगर इसे परसों लागू कर दिया जायगा तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए एक महीने का समय और बढ़ा दिया जाय। इसमें यह भी बात है कि इससे जनता को तीन लाख का फायदा होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट चूंकि सर्क्युलेट नहीं हुआ है ...

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्क्युलेट हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : हो गया है। मैं इस इम्प्रेशन में था कि यह सर्क्युलेट नहीं हुआ है। फिर भी जो संशोधन श्री सोहनलालजी ने पेश किया है, वह संशोधन वास्तव में उचित है। अच्छा होता, अगर फर्स्ट मई के स्थान पर १ ई सितम्बर तारीख निश्चित करते। उस समय तक जितने बस ऑपरेटर्स हैं, वे कम से कम इस बात से परिचित हो जाते कि किस प्रकार का टैक्स देना है, किस प्रकार टैक्स लागू किया जायगा, सरकार ने कैसे कैसे कौन कौन से रूल्स बनाये हैं, उन रूल्स के इम्प्लीकेशन्स

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

क्या हैं, बस कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स को कैसी ट्रेनिंग देनी है। सरकार ने अपनी सुविधा के लिए व्यवस्था कर ली है और वह एक महीने में रूल्स बना लेगी, ऑथोरिटी को प्रेस्क्राइब कर देगी, कौन कौन अधिकारी किस प्रकार टैक्स वसूल करेंगे, यह व्यवस्था कर लेगी, कौन अधिकारी दंड देगा, कौन वसूल करेगा, यह व्यवस्था हो जायगी। सरकार ने एक तरफा विचार किया है। सरकार दूसरी तरफ देखे कि जिन लोगों से वसूल करना है, वह परिचित हैं या नही कि किस प्रकार किराये पर टैक्स लगेगा, किस प्रकार रसीदें जारी करेंगे, जो किराये का टिकट है, उस पर किस प्रकार टैक्स का टिकट चिपकायेंगे, वे किस प्रकार स्टेटमेंट मन्थली या फोर्ट नाइटली तैयार करेंगे, इन सब बातों की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता ऑपरेटर्स, बस कन्डेक्टर्स और ड्राइवर्स के लिए है। सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो निश्चित रूप से उन्हें लागू करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि एक महीने का समय इस ट्रेनिंग की दृष्टि से कम है। गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और दूसरी तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर फर्स्ट मई के स्थान पर फर्स्ट सितम्बर के संशोधन को माननीय उपमन्त्रीजी स्वीकार कर लें तो बस ऑपरेटर्स के साथ ही साथ पेसेन्जर्स के साथ एक प्रकार से न्याय होगा।

श्री श्रीभानसिंह : It is not possible for him to accept it.

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री, यातायात विभाग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसलिए खड़े हुए कि यह प्रस्ताव रखा है, श्री सोहनलाल भटनागर ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, इसका विरोध करें। पहले आपने कहा कि यह संशोधन सर्क्युलेट नहीं हुआ है, बाद में मालूम हुआ कि सर्क्युलेट हुआ है, इसलिए...........

श्री अध्यक्ष: वे कह रहे थे कि सर्क्युलेट नहीं हुआ है, फिर भी स्वीकार करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मन की बात खूब समझते हैं।

श्री सम्पतराम : भटनागरजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। आपने जो कुछ कहा, उसके लिए हम सतर्क हैं.......

श्री श्रीभानसिंह : सदन में भटनागरजी कोई नहीं हैं।

श्री सम्पतराम : श्री सोहनलाल जी भटनागर हैं।

श्री भैरोंसिंह : भटनागरजी नहीं कहना चाहिए, वे जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं, उसे सम्बोधित करके कहना चाहिए।

श्री सम्पतराम : जो संशोधन है कि फर्स्ट अप्रेल के स्थान पर फर्स्ट मई किया जाय इसको स्वीकार करता हूं। हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे एक्ट के तहत, और भी बहुत से काम करने हैं। इसलिए अच्छा रहेगा कि एक महीने का समय मिल जाय। माननीय सदस्य कहते हैं कि इस तरह का टैक्स है, इसकी मन्शा क्या है, मैं समझता हूं इससे इसका पर्पज सर्व हो जाता है। श्री सोहनलालजी के अमेंडमेंट को मैं स्वीकार करता हूं।

Page No.36

श्री अध्यक्ष : आप निश्चित तौर से कह सकते हैं कि महीने भर में कार्य पूरा हो जायगा।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ के सब-क्लॉज (३) में जो संशोधन श्री मोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधनानुसार, व प्रियम्बल इत्यादि स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधनानुसार, व प्रियम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने

(विराम)

श्री सम्पतराम (उपमंत्री, वित्त विभाग): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान यात्री तथा मालकर विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और इसके सिद्धान्तों को लेकर सदन में जिस प्रकार का वाद विवाद हुआ, मुझे इस बात की खुशी है कि उसका प्रभाव माननीय मुख्य मंत्रीजी पर हुआ और उन्होंने कुछ अंशों तक विरोधी दल के सदस्यों के सुझावों को स्वीकार किया परन्तु आज मेरी यह बदकिस्मती है....

श्री श्रीभानसिंह : (बयाना) इसमें मैं संशोधन कर दूं, सदन के सुझावों को स्वीकार किया।

श्री भैरोंसिंह : पर मैं आपको भी विरोधी दल में ही मानता हूं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : (ब्यावर) आप अपने आपको ट्रेजरी बैंचेज़ के पक्ष में मानते हैं?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको भी और आपको भी, दोनों को विरोधी दल में मानता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : लेकिन मैं आपको सरकारी पक्ष में मानता हूं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिह : कुछ भी कहें, पर सदन जानता है कि आप किधर हैं।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बदकिस्मती है कि आज इस बिल का तृतीय वाचन है और इस समय माननीय वित्त मन्त्रीजी भी उपस्थित नहीं हैं और मुख्य मन्त्रीजी भी उपस्थित नहीं हैं। यह बात सही है कि यातायात मन्त्रीजी यहां उपस्थित हैं पर दिक्कत यह है कि बिल को पॉयलेट करने वाले माननीय उप मन्त्रीजी, जिनको यह पूरा भार सौंपा गया है, मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ

(श्री भैरोंसिंह)

कह सकता हूँ कि इस बात के लिये वे समर्थ नहीं हैं कि यदि इस बिल में कोई ऐसी त्रुटि रह गई हो और उस गलत प्रावधान से जनता को नुकसान होने वाला हो तो वे इन्डिपेन्डेन्ट्ली अपना कोई निर्णय ले लें। तो मैं यह इस दृष्टि से तो नहीं कहता कि माननीय उप-मन्त्रीजी मेरी बात को स्वीकार करेंगे और न मैं ऐसी आशा करता हूं, फिर भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि इस बिल के प्रावधान पास किये हैं, उन प्रावधानों के कारण जनता को जितनी परेशानियां होने वाली हैं उनसे सदन को परिचित कराऊं। और मैं आशा करता हूँ कि उप-मन्त्रीजी चाहे कोई निर्णय न लें पर सदन अपनी एक उच्च सत्ता रखता है, उस अपनी उच्च सत्ता को काम में लेकर जन हित की दृष्टि से उप मन्त्रीजी की इच्छा के विपरीत भी सदन उचित निर्णय ले।

सरकार की तरफ से इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि जो टैक्स हम लगाने जा रहे हैं, जिस टैक्स की व्यवस्था इस बिल के जरिये की गई है वह कोई नया टैक्स नहीं है। भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी इस के प्रकार टैक्स लगते आ रहे हैं और वही टैक्स हमने राजस्थान की बहबूदी के लिये, राजस्थान की पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये, जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, उस धन राशि को एकत्र करने के लिये यह टैक्स लगाया है।

कल मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर देते हुए बताया कि मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि ग्रामीणों की क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या क्या कठिनाइयां हैं। मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मन्त्रीजी ग्रामीणों की कठिनाइयों को नहीं समझते, मुख्य मन्त्रीजी उनको समझते होंगे पर उनकी कठिनाइयों को समझने के बाद मुख्य मन्त्रीजी उन कठिनाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो इस दृष्टि से काम करते हैं या उन कठिनाइयों में कमी करने के लिये कार्य करते हैं, इस चीज़ पर सदन को विचार करना होगा।

कल कई माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया कि राजस्थान में जितनी बसेज़ चलती हैं उनमें सवारियां रूल्स के माफिक उनकी जो केपेसिटी है उससे ज्यादा बैठाई जाती हैं, रूल्स के माफिक पेसेन्जर्स को जो फेसेलिटीज होनी चाहिये वे नहीं हैं। दूसरे राज्यों की बसेज में जो फेसेलिटीज हैं वे राजस्थान में नहीं हैं जहां दूसरे राज्यों में रूल्स का पूरी तरह पालन किया जाता है वह राजस्थान में नहीं किया जाता राजस्थान के यातायात प्रशासन में और दूसरे प्रान्तों के यातायात प्रशासन में, बसेज़ के प्रशासन में ज़मीन आसमान का अन्तर है। पंजाब के यातायात प्रशासन को देखा जाय, मद्रास और अन्य किसी राज्य की बसेज़ का ढांचा देखा जाय और राजस्थान की बसेज का ढांचा देखा जाय तो हर आदमी, साधारण बुद्धि वाला भी कह सकता है कि इनमें रात और दिन का अन्तर है। इतना होते हुए भी बस ऑपरेटर से कन्डक्टर से उम्मीद करें कि रूल्स में प्रेस्काइब्ड सवारियों से ज्यादा सवारियां नहीं बैठाये, यह कहां तक संभव है? हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रूल्स में जितनी सवारियां की केपेसिटी की गाड़ी है उससे ज्यादा सवारियां नहीं बैठाये, पूरी तरह से नियमों का पालन होना चाहिये पर अभी पिछले दिनों में सदन के

(श्री भैरोंसिंह)

सामने नक्शा आया था एक्साइज़ विभाग का कि राजस्थान के सरकारी गोदामों से ठेकेदार जितनी शराब ले जाते हैं और उससे उनको जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन के अनुपात से शराब के ठेकेदार को उस शराब के ठेके की रकम जमा करनी पड़ती है वह कहीं ज्यादा होती है, इस कारण कोई गारन्टी नहीं ले सकता कि ठेकेदार शराब में पानी नहीं मिलाये या नाजायज़ शराब जायज़ शराब के नाम पर न बेचे। पर ३ करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा था इसके नाम पर उन सारी अनियमितताओं को नियमों के रूप स्वीकार किया है, वही अनियमितता बस के ऑपरेटर्स की भी है। बस को ऑपरेट करने में कितना खर्च होता है, उस खर्च की ओर नियम के अनुसार बस के ऑपरेटर को कितनी आमदनी होती है, इन दोनों की तुलना की जाय तो बस का ऑपरेटर ईमानदारी पर चल कर उस से फायदा नहीं उठा सकता। उसको घाटा ही होगा। अब सरकार कहेगी कि अगर उसे घाटा होता है तो वह पर्मिट ही क्यों लेता है, कम्पिटिशन में ही क्यों उतरता है? यही बात उन शराब के ठेकेदारों के लिये कही जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं। सरकार धन कमाना चाहती है। सरकार के सामने यह दृष्टिकोण नहीं है कि सरकार द्वारा जो नियम बनाये जाते हैं उन नियमों का पालन हो, सरकार तो यही चाहती है कि जो टैक्स हमने लगाया है वह उन लोगों से एक्स्ट्रेक्ट हो फिर चाहे नियमों का पालन होता हो या नहीं होता हो और उसका असर किसी पर पड़ता है। सरकार का यह भी दृष्टिकोण होना चाहिये कि बस में सफर करने वाले लोगों को सब प्रकार की फेसिलिटीज़ दिलाये। सरकार को कोई एक कमेटी बना कर या बस ऑपरेटर्स से पूछ कर इस बात का निर्णय लेना चाहिये था कि एक बस पर कितना खर्चा होता है और किस आधार पर एक बस चलाई जाती है। मैंने कल इस तरह के आंकडे इकट्ठे किये थे, एक बस के चलाने में सालाना खर्चा होता है २४,४१०) रु० का, इसमें टायरों का खर्चा, इन्श्योरेंश का खर्चा, मोटर विहिकल्स टैक्स का खर्चा, डिप्रेशियेशन चार्जेज का खर्चा आदि शामिल हैं, मोटर की सर्विस होती है, उसका खर्चा भी शामिल है। ड्राइवर, कन्डक्टर और क्लीनरों को तनख्वाह दी जाती है वह भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ पुलिस के चालान होते हैं, उसकी परेशानी से दण्ड भुगताना होता है उसकी कीमत भी शामिल है। उसके साथ साथ पेट्रोल, ऑइल मेन्टीनेन्स, रिप्लेसमेन्ट ऑफ पार्टस हैं वह भी शामिल किया गया है और इसके अलावा इस पर जो भी इनवेस्टमेंट किया गया है उसका इन्ट्रेस्ट है वह भी शामिल है। इसके अलग अलग आंकड़े हैं जिनको सदन में देने की जरूरत नहीं है, अगर सदन चाहे तो स्वयं केलकुलेट कर लें और अगर माननीय सदस्य चाहें तो वे भी केलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से २४,४१० रु० एक मोटर बस पर वार्षिक खर्चा आता है जिसकी कीमत ३० हज़ार होती है। यदि इस प्रकार २४,४१० रू० का वार्षिक खर्च ३० हज़ार पर होता है तो आप समझें कि कितना रुपया होना चाहिये। हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि वह सुनाफे के साथ चल सकती हैं। अध्यक्ष महोदय मैंने जो इन्क्रीज रेट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ८,१० और १४ पा० ए.बी. सी. पर लगाया है उसका एवरेज ११ पा० निकाल कर लगाया। इसके अलावा मोटर वर्करस की

(श्री भैरोंसिंह)

यूनियन बनी हुई है उसके हिसाब से सब की जांच करके पता लगाया जो किसी को ६ दिन से बारी आती है तो किसी कि ७ दिन से और किसी की ८ दिन से एक रूट पर बारी आती है। इस प्रकार से एवरेज को वर्क आउट करते हैं तो एक बस का टर्न महीने में १० दिन का निकलता है। इस हिसाब को देखते हुए उसकी सारी आमदनी १७ हज़ार होती है। यदि किसी को इसमें शंका हो तो वह वर्क आउट करके देख लें। इस प्रकार एक बस वर्कर को ७ हज़ार का घाटा होता है। जब उसको पहले ही ७ हज़ार का घाटा हो रहा है तो अब इस टैक्स से उस पर अतिरिक्त बोझ अवश्य बढ़ेगा। बस तो चलेगी लेकिन इसकी परेशानी किसको होगी? यह टैक्स का बोझ किस पर पड़ेगा? यह सारा बोझ पब्लिक पर पड़ेगा और उन लोगों पर पड़ेगा जो मोटरों से सफर करते हैं। जिन मोटरों की ३५ सीटों की केपेसीटी होती हैं उसमें ६० और ७० पेसेन्जर बैठ कर सफर करते हैं। अभी भीलवाड़ा में जो एक्सीडेन्ट हुआ था उसका यही कारण था कि बस की केपेसिटी ३० सीटों की थी और उसमें ६० से ज्यादा पेसेन्जर थे इससे यह एक्सीडेन्ट हुआ। कई कहते हैं कि उसमें १० व्यक्ति मर गये, कई कहते हैं कि २५ मर गये मैं इस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता कि कितने मरे। लेकिन यह बात सही है कि मोटर की जितने सीटों की केपेसीटी होती है उससे ज्यादा सवारियें उसमें बैठ ही जाती हैं। मैं स्वयं भी जिस समय कहीं बाहर जाता हूं तो मेरे सामने भी इसी प्रकार की परेशानी आती है। मुझे कभी एसेम्बली की बैठकों में आने का अवसर पड़ता है तो मैं गाड़ी की तरफ देखूं तो कहीं गाड़ी की छत पर, गाड़ी के नीचे....

(श्री संपतराम वित्त सचिव से बात करने पर)

(विराम)

पटड़ी पर और गाड़ी के आसपास खड़े हुए कई यात्री मिलते हैं। कभी लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप विधान सभा के सदस्य हो और आपके सामने कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमको मजबूर होकर यह सुनना पड़ता है और बस मालिकों की हालत को देखते हुए, उनकी मजबूरियों को देखते हुए हमारी हिम्मत नहीं होती कि उनको कुछ डांटे और कहें कि जो मोटर की केपेसिटी से सवारी ज्यादा हैं चाहे वे ३० हो या ४० उनको उतार दें। इसके अलावा यह कहकर कौन उन सवारियोंसे झगड़ा मोल ले। जब आदमी इस केटेगरी में बसें चला रहा है तो इस केटेगरी में किस प्रकार से उस बस चलाने वाले को लाभ होता है, यह समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में सरकार का दृष्टिकोण यही है और वह यह है कि किसी भी प्रकार से टैक्स लगा कर रुपया वसूल करना। यह टैक्स किस प्रकार से वसूल होगा पैसेन्जर जिस समय टिकट खरीदेगा उस पर टैक्स का टिकट किसी मालिक के द्वारा या कन्डक्टर के द्वारा या ड्राइवर के द्वारा चिपका दिया जावेगा या जो भी आंतरिक व्यवस्था होगी, जिसको भी मुकर्रर कर दिया जावेगा वह जो भी व्यक्ति टिकट लेगा उस पर टैक्स का टिकट चिपका देगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की

(श्री भैरोंसिंह)

रिपोर्ट देखी है और उस पर सेल्स टैक्स पर कमेटी ने अपनी जो राय दी है उसमें यह बताया गया है कि टैक्सेशन की वसूली के लिए टेक्निकल पर्सनल, ट्रेन्ड पर्सन्स और टैक्निकल हेन्ड हमारे पास हैं। इसका एक मात्र कारण है कि लोग टैक्स को अवोइड करते हैं। इसको सरकार भी कभी कभी स्वीकार करती है और दबी जुबान में कि क्वालीफाइड स्टाफ अभी मौजूद नहीं है। जहां सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि उसके पास क्वालीफाइड स्टाफ अभी मौजूद नहीं है तो सरकार को चाहिये कि पहले स्टाफ को कुछ समय के लिए ट्रेन्ड करें। जब आपके पास ट्रेन्ड पर्सनल नहीं हैं तो क्या आप कन्डक्टरों से यह आशा करेंगे कि वे लोग आपको अच्छी तरह से स्टेटमेंट दे सकेंगे? क्या कन्डक्टरों में इस प्रकार का स्टेटमेंट देने की काबलियत है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन कन्डक्टरों में काबलियत है और कन्डक्टर काबिल होते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप काबिल आदमियों को रखेंगे। काबिल आदमी हों वही रहने चाहिये लेकिन हर काम को करने के लिये मैं समझता हूं कि कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि किसी व्यक्ति को साल भर के लिए ट्रेनिंग दी जावे मगर इस संबन्ध में सरकार के सामने दिक्कत अवश्य आवेगी। कन्डक्टर किस जगह टिकट लगावेगा, किस प्रकार से वह हिसाब रखेगा! इसके अलावा पेसेन्जर और कन्डक्टर के बीच झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि आज राज्य सरकार ने कोई इस संबन्ध में पब्लिसिटी नहीं कराई है कि टैक्स बढ़ रहा है। किसी भी पत्र में इसकी पब्लिसिटी नहीं की है। वैसे यदि किसी प्रकार से टैक्स वसूल करने के लिए कार्यवाही करती है तो झगड़ा जरूर होता है। आज भी जनता को मालूम नहीं है कि आया टैक्स बढ़ रहा है या नहीं। वह तो यह चाहती है कि किराया कम किया जावे और इसके अलावा हम देखते हैं कि किराया कम वसूल होने के स्थान पर ज्यादा वसूल किया जावेगा तो मैं समझता हूं कि यह पब्लिक की भावना के निश्चित रूप से प्रतिकूल है। मैंने कहा कि हमें कुछ टेक्निकल हेन्ड को ट्रेनिंग के लिए मौका देना चाहिये था और सरकार को इसके लिये पब्लिसिटी करनी चाहिये थी; मगर सरकार को कुछ घाटा हो रहा है। सरकार घाटे में डूबी जा रही है, मंत्रियों की तनख्वाह बन्द हो रही है, कर्मचारियों का वेतन बन्द हो जाता है जिसके कारण जल्दी से जल्दी टैक्स लगाया जावे और अगर नहीं लगाया जाता है तो घाटा पूरा नहीं होगा। सरकारी घाटे को पूरा करने की व्यवस्था की जावे लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों से (मोटर मालिकों से) जो कुल मिलाकर ८,४०० गाड़ियों के मालिक हैं, अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि पंजाब और मद्रास में भी इस प्रकार का टैक्स लगाया गया है मैं बताऊंगा कि राजस्थान में ८,४०० में से ७,१३७ गाड़ियां इन्डिविजुअल्स की हैं और बाकी १२८ हैं वे पार्टी की हैं और यूनियन की हैं। आप देखेंगे कि वहां पंजाब और मद्रास में पूल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, यूनियन बनी हुई हैं। उनकी गाड़ियें चलती हैं लेकिन यहां पर ७,१३७ मालिक हैं और १२८ अलग मालिक हैं। उन लोगों के जो पंजाब और मद्रास में है एफिसियेन्ट स्टाफ है, उनके रजिस्टर हैं, उनके स्टेटमेंट होते हैं और उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह)

है। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहां ७,१३७ लोग हैं, हमारी एजेन्सी है, वह टैक्स को कलेक्ट करने वाली है? क्या वे सारे के सारे इस मामले में ट्रेन्ड हैं और वे इस प्रकार से काम कर सकेंगे? यह उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिये और इसके लिए कुछ समय देना चाहिये। पब्लिक का सहयोग किस प्रकार से मिले इसके बारे में भी पब्लिक में वातावरण तैयार करना चाहिये। इसके बाद टैक्स लेना शुरू किया जाए। लेकिन हमारी सरकार यह कहती है कि हम वसूल कर लेंगे। मैं यह कहूंगा कि सरकार टैक्स वसूल कर लेगी लेकिन इससे पब्लिक को भारी परेशानी होगी?

मुझे इस बात की खुशी है कि १४ पा० पर जो ११६ के कारण से भार जनता पर आने वाला था उसको ११६ के स्थान पर ११२ किया और बाकी ११८ किया। यह बात सही है कि इससे किसी अंश तक जनता को लाभ हुआ है। मैं यह कहूंगा कि आप फाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट देखें जिस पर हज़ारों का खर्चा किया है और जिसकी ८० प्रतिशत बातों को स्वीकार की हैं। जब आमदनी बढ़ाने का प्रश्न आता है तो आप देखेंगे कि जांच कमेटी ने किसी भी पोइन्ट पर इतना नहीं बढ़ाया कि उससे दुगुना या तिगुना बढ़ाने की व्यवस्था की हो।

इस कमेटी ने केवल यह कहा था कि ए क्लास रूट्स पर, जो डामर रोड्स हैं, जिन पर सवारियां चलती हैं उनसे ऐसा टैक्स वसूल किया जाय लेकिन बी, सी क्लास में कमेटी की सिफारिशों के अगेन्स्ट में टैक्स वसूल किया जा रहा है। उस कमेटी ने यह भी स्वीकार किया है कि राजस्थान में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं, उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार ने उनकी दोनों बातों को स्वीकार नहीं किया है। उनको स्वीकार करना तो दूर रहा अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने और टैक्स बढ़ा दिया। उससे परेशानियां होने वाली हैं और यदि सरकार इसको सहानुभूतिपूर्वक नहीं सोचती है तो इससे कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं राजस्थान के बस ओपरेटर्स जयपुर शहर में इकट्ठे होने शुरू हो गये हैं। हो सकता है कि वे ऐसा निर्णय ले लें कि वे बसेज़ ही न चलायें, यह भी हो सकता है कि उनकी स्ट्राइक चालू हो जाय और एक जगह से दूसरी जगह जो जाने वाले यात्री हैं वे न जा सकें और न आ सकें। और उस कारण से सरकार की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। कोई भी जन भावना भड़क उठे तो उसको दबाने के लिए सरकार लाखों रुपया खर्च कर सकती है, जैसा कि हाईकोर्ट आन्दोलन में किया उसके लिए सरकार को कोई चिन्ता नहीं है लेकिन किसी भी तरीके से जनता से पैसा बटोरने के लिए तैयार रहती है, जैसे एक बिजनैस मैन है, जिसको शोषण करने वाला कह सकते हैं, केपेटिलिस्ट कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गरीब के शरीर से खून निकालने वाले हैं और उसमें उ को कोई संकोच नहीं होता, उसी तरीके से मैं ऐसा समझता हूं कि वह आज की सरकार है, प्रगतिशीलता का दावा करने वाली अपने आपको प्रगतिशील कहने वाली सरकार गरीबों का भला करने वाली कहलाने वाली सरकार, जो राजस्थान में आज टैक्सेशन का इन्सीडेन्स बढ़ता जा रहा है, बचत का पैसा नहीं, एक्सपेन्डी-

(श्री भैरोंसिंह)

चर और इन्कम को आज नहीं देखा जाता लेकिन जो बिना बचत का पैसा है उसमें से भी बटोरने की कोशिश कर रही है। जनता में इस प्रकार से कोई परेशानी होती है उसकी उसको परवाह नहीं, उससे उसको बचाने की कोई चिन्ता नहीं। रात को ही मैंने देखा कि सेल्स टैक्स का बिल नया आ रहा है जिसमें व्यवस्था की है कि जो लोग सेल्स टैक्स से बच जाते हैं उनको पकड़ने के लिए आउट पोस्टस कायम किये जावेंगे। जितनी बसेज़, ट्रक्स जाते आते है उनको खड़ा किया जावेगा, वहां पर, उनको वहां चेक किया जावेगा, उनका सामान देखा जावेगा। इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने चारों तरफ से ऐसी व्यवस्था कर ली है कि मोटर व्यवसाय को निश्चत रूप से खत्म कर दिया जाय। यदि ऐसा दृष्टिकोण सरकार का है तो अच्छा नहीं है। जो छोटे २ गरीब लोग इस व्यवसाय के द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं, इससे जो डवेलपमेंट के साधन हैं, छोटे २ इन्डस्ट्रीज़ हैं वे नहीं पनप सकेंगी, एक अनिश्चितता फैलेगी, अन एम्प्लॉयमेंट फैलेगा। बसेज़ में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार को यह निश्चित कर लेना चाहिये कि जिस तरह से शराब के ठेकेदार शराब में पानी मिला कर बेच सकते हैं और मन्त्री महोदय का उनको आशीर्वाद मिल सकता है उसी प्रकार बसेज में जहां सीटिंग एकमोडेशन ३०, ३५ होगी तो वहां ६० सवारियां भर कर जावेंगी। उसमें बस सर्विसेज़ का दोष नहीं है यह तो सरकार का ही दोष है। यदि बसेज़ के व्यवसायवालों की आमद और उनके खर्चे को देख कर कोई टैक्स इम्पोज़ किया जाता तो कोई बात होती। आज यह कहा जाय कि बस ओपरेटर्स पर यह टैक्स नहीं है किन्तु पेसेन्जर्स पर है, लेकिन जो आज कठिनाइयां मौजूद हैं, जो स्थिति जनता की है और उससे कहीं सरकार गलती खा गई तो इकोनोमिक बर्डन आ जावेगा। एक तरफ जनता टैक्स देगी और परेशान होगी और दूसरी तरफ सरकार को विशेष लाभ नहीं होने वाला है। ३० लाख जो केल्कुलेट किया है यह कैसे किया और क्यों किया? केवल बहबूदी बढ़ाने के लिए, प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स खोलने के लिए, इनका नाम लेकर यदि पैसा बटोरने का सरकार का इरादा है तो सरकार को चाहिये कि स्पष्ट रूप से स्थिति देखे और बताये कि बसेज़ से कितना लाभ है और खर्चा निकालने के बाद कितना बचता है जितना बचता है उसके आधार पर कितना टैक्स इम्पोज़ कर सकती है और किया है या नहीं? इस आधार पर टैक्स वसूल किया जाय और इम्पोज़ किया जाय। परसों मैंने कहा था कि सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अगर सरकार चाहती तो आंकडे तैयार करवा सकती थी, तैयार भी करती है हालांकि ५० परसेन्ट बातें असत्य होती हैं, फिर भी आंकड़े तैयार करती है उसमें बताया जाता है कि माइनर इरींगेशन पर इतना खर्चा हुआ, रोड पर इतना खर्चा हुआ, प्राईमरी स्कूल और हाई स्कूल इतने खोले गये, कितनी जनसंख्या के आधार पर प्राईमरी स्कूल होना चाहिये, ये आंकड़े होते हैं, ये आंकड़े तैयार नहीं करा सकती कि पंचवर्षीय योजना के आधार पर एक आदमी की आमदनी कितनी बढ़ी है। जब एक आदमी की आमदनी बढ़ने की बात कही जाती है तो सरकार की चारों खाने चित्त आने की स्थिति रहती है। जो सरकार निश्चित नहीं कह सकती है कि एक आदमी की कितनी आमदनी बढ़ी

(श्री भैरोंसिंह)

है इन योजनाओं से, फिर यह कह कर कि जनता की बहबूदी के लिए सरकार को टैक्स लगाना पड़ता है. जो सरकार इस प्रकार टैक्स लगाती जाती है तो यह तो एक अन्धेरे में लट्ठ लगाने की बात है। और अन्धेरे में जनता के लट्ठ लगाने के कारण कभी अन्धेरे में जनता द्वारा लट्ठ लगाने वालों के भी चोटें आ सकती हैं। ग्रामीणों की बहबूदी की बातें करनेवाला आज सत्तारूढ़ दल समझे की वे ही बेहबूदी की बातें कर सकते हैं, उसका उन्होंने ही ठेका ले लिया है कि जो कुछ वे ही बेहबूदी को समझते हैं वही बेहबूदी है, विरोधी दल बात नहीं कर सकता, तो सत्ता के मद में वे यह न भूलें कि जो आज उन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनको बैक बेन्चर्स देखा है। जो आगे बैठते थे उन कुर्सियों पर उनको बैक बेन्चर्स देखा है, हंसने वालों को आंखें पोंछते हुए भी देखा है। मैंने कई प्रकार की बातें देखी हैं। आज वे कह सकते हैं कि विरोधी दल में बैठने वाले जनता की बातें करते हैं तो वे थोथी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी विचारधारा ही थोथी है। जो इस प्रकार से कहे कि टैक्स लगेगा, जनता को देना पड़ेगा। बहबूदी के नाम पर टैक्स लगेगा तो मैं मंत्री महोदय से कह सकता हूं कि जनता इसका स्वागत करने वाली नहीं है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा और अन्य उपायों के द्वारा फिर ऐसी बातें लानी पड़े कि जनता पर अधिक टैक्स लगा दिया है और जनता देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं चाहूंगा कि इस सारी स्थिति को लेकर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, राजस्थान के जन मानस की जो आय है उस स्थिति को, उसकी जो आमद और खर्चा है उसको तथा सेविंग होती है या नहीं, इसको न देख कर, इन पांचों मुद्दों को सामने न रख कर जो जनता पर टैक्स लगाया गया है उसका सदन डट कर मुकाबला करे, कानून पारित न होने दें। इस आशा से कि इस कानून का विरोध किया जावेगा मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

१ म० प०

श्री गिरधारी लाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री माल कर विधेयक पर धारावाहिक रूप से विचार हो चुका है और अब इसका थर्ड रीडिंग चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं पहले भी विरोध करनेवाला था लेकिन उस वक्त समय नहीं मिला इसलिये अब मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। कोई भी सरकार टैक्स इसलिये लगाती है कि उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। पहले ज़माने में भी सरकारें टैक्स लगाया करती थी और आज भी लगाती है, केवल फर्क इतना ही है—पहले जो सरकारें होती थी वे जनता से चुनी हुई नहीं होती थी और जो उस समय टैक्स लगाया जाता था और उससे जो पैसा प्राप्त होता था उसमें से कुछ तो उनकी खुद की जेब में जाता था और कुछ पब्लिक के काम आता था। लेकिन अब जो चुनी हुई सरकार है वह पहलेवाली पद्धति को अपना नहीं सकती। आज जो सरकार सबसे पहले टैक्स लगाती है वह अच्छे कामों के लिये, जनता के हित के कामों के लिये और निर्माण संबन्धी कामों के लिये लगाती है। जहां तक मैं सोचता हूं टैक्स लगाने का भी एक तरीका होना

(श्री गिरधारीलाल)

चाहिये । टैक्स लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? सरकार इस बारे में कह सकती है कि निर्माण संबन्धी काम करने हैं इसलिये हमें इस प्रकार से धन जुटाना है । मैं समझता हूं यह इस तरह की दलील हुई जैसे एक आदमी के पास एक रोटी है और उसी रोटी को कोई मांग ले और यह कह करके कि कल या परसों या दो महिने बाद तुम्हें इसके बदले पांच सात रोटी मिलेगी; तब तक शायद वह जिन्दा भी रह सकेगा या नहीं यह उसी प्रकार का टैक्स है । राजस्थान सरकार के पास टैक्स लगाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है । केवल यहां टैक्स लगाया जाता है सिर्फ टैक्स प्राप्त करने के लिये । आपने कभी यह देखा कि किस समाज के लोगों पर टैक्स लगना चाहिये, किसकी आर्थिक स्थिती ऐसी है जो टैक्स दे सके । आपके द्वारा जितने भी टैक्स लगाये हुये हैं अगर आप उसको ठीक प्रकार से वसूल कर लें तो लाखों रूपयों की हमें आमदनी हो सकती है और सरकार का पैसा बच भी सकता है । आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार का लाखों रूपया बकाया निकलता है पूंजीपति वर्ग में । आज के ज़माने में जो साधन सम्पन्न लोग हैं उनमें कर्ज़ के रूप में लाखों करोड़ों रूपया हमारा बाकी है जिसे आप वसूल अभी नहीं कर पाये हैं । आज हम देखते हैं कि लाखों रुपया बिजली का राजाओं में बाकी है । महाराजाओं को आप बिजली के खर्च के नाम पर तीन तीन लाख रुपया दे सकते हैं । हमने अभी बजट में भी देखा है कि जयपुर के महाराजा की बाईजीलाल की शादी के लिये दस लाख रुपया दिया गया है । हमें जिस तरीके से पैसे इकट्ठे करने चाहिये उस उचित तरीके से इकट्ठे नहीं कर रहे हैं । पैसा जो हमारा वसूल हो सकता है उसको हम नहीं कर रहे हैं और गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं । यात्रियों पर आपने कर लगाया है वह आखिर किस पर लगेगा यह आपने देखा है ? माननीय मंत्री महोदय जिस पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिसके नुमायन्दे हैं उस पार्टी का एक सिद्धान्त है जहां तक मुझे ख्याल है उसने यह सिद्धान्त बना रखा है समाजवादी समाज रचना का....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a Point of order, Sir, there is nobody on the Treasury Benches when this Taxation Bill is going on. I respectfully draw your attention, Sir, that there must be somebody on the main Treasury Benches.

There was a parallel in the Lok Sabha also, Sir, and the Speaker of the Lok Sabha gave a ruling that someone must be on the Treasury Benches when a Money Bill or an important Bill is being considered.

श्री अध्यक्ष : You mean on the front Benches ?

श्री जनार्दनराय नागर : Yes, Sir, some Minister of the Cabinet rank must be there, when a Money Bill is going on.

श्री अध्यक्ष : It is not necessary.

श्री जनार्दनराय नागर : Very recently the Speaker of the Lok Sabha

(श्री जनार्दनराय नागर)

observed that the Treasury Benches paid scant respect to the House when a Deputy Minister was present and there was no one of the Cabinet rank.

श्री अध्यक्ष : There is no question of quoting an incident. We have been discussing this many times before also and the opinion of the House is very well known to the Hon'ble Ministers. But I think the Deputy Minister can reply to the debate.

श्री जनार्दनराय नागर : No, Sir, In the case of Money Bill and other important Bills a Minister of Cabinet rank should be here.

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घँटी के पश्चात्)

श्री जनार्दनराय नागर : I again submit, Sir, that in the Lok Sabha also the Speaker made a definite observation that there should be someone on the Treasury Benches.

श्री अध्यक्ष : It can only be desirable. We cannot enforce this sort of injunction.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I submit, Sir, that the House demands certain respect from the Treasury Benches.

श्री अध्यक्ष : The question of dignity and respect of the House are such as can not be enforced by an injunction from the Chair. It is they who should realise the importance of the matter.

श्री श्रीभानसिंह : But the Chair is the guardian of dignity of the House and ...

श्री अध्यक्ष : I much more than agree with the feelings of the Hon'ble Members. It is always like that. Whenever the Hon'ble Members bring up this thing the Treasury Benches do take a note of it, but unfortunately they don't act on it.

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Speaker, Sir, The question is that Ministers have got very poor realisation, that is why we are insisting to make them realise...

श्री अध्यक्ष : It all depends upon the attitude of the Treasury Benches towards a particular matter and I don't think we can enforce anything. We can only hope that they take the feelings of the Hon'ble Members into consideration.

श्री जनार्दनराय नागर : You can very well communicate our feelings to the Treasury Benches, Sir.

श्री अध्यक्ष : If at all they are sensible to such feelings, they would have been conveyed to them long ago.

श्री गिरधारीलाल (जारी): तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो टैक्स हम जनता पर लागू करने जा रहे हैं यह टैक्स हमारी नीति के अनुकूल नहीं है। जिस समाजवादी समाज की घोषणा आपने की है, जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिये हैं और आज जिस पार्टी की सरकार है वह यह नहीं कर सकती कि इस प्रकार के टैक्स लागू करे। आज दिन आपकी जो रीति नीति या सिद्धान्त हैं उन पर ही आपको चलना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय क्या यह जानते हैं कि यह टैक्स जो आप लगा रहे हैं आखिर उसका असर किस पर पड़ने वाला है ? मैं समझता हूँ आपका यह टैक्स ग्रामीण लोगों पर लग रहा है। क्योंकि आज जो जनता गांवों में रहती है उसके पास आवागमन के साधन नहीं हैं, न वहां तक रेलवे लाइन ही जा पायी हैं वैसी हालत में आज जहां कहीं बस जाती हैं जहां कहीं बस की सुविधा जो ग्रामीणों को मिली है उन पर यह एक प्रकार का टैक्स है। इस प्रकार से हम यह देखते जा रहे हैं कि जो सरकार की आज कल पॉलिसी बनती जा रही है उसके लिये आज नहीं तो कल जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। आप जो इस प्रकार के टैक्स से जो तीस लाख रुपया वसूल करना चाहते हैं वह आसानी से दूसरे तरीके से भी वसूल हो सकता है। आपने जो पुराने टैक्स लगा रखे हैं और आप जिन जिन लोगों से वसूल नहीं कर पाये अगर आप उन्ही से वसूल कर लें तो यह तीस लाख रुपया आसानी से प्राप्त हो सकता है। परसों या उससे पहले दिन माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि जल्दी से जल्दी यातायात विभाग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। मैं दुबारा फिर इस बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस विभाग का जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये जो लाखों करोड़ों की आमदनी चन्द आदमियों की जेबों में जाती है वह न जाने पाये और उस आमदनी का सरकार उपयोग करे। मैं इन शब्दों के साथ यह आशा करता हूँ कि इस पर सदन दुबारा विचार करेगा। अगर यह मंत्री महोदय के वश का रोग नहीं है तो सदन इस पर निर्णय ले।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष ...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : वैसे इस बिल के सम्बन्ध में...

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) : On a Point of order, Sir, It was decided yesterday that discussion would be completed on this Bill by 1 P. M. The time has exceeded.

श्री अध्यक्ष : यह तय किया था कि १ बजे थर्ड रीडिंग शुरू हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यही तो मुश्किल है। सदन में बैठते नहीं हैं बराबर।

श्री अध्यक्ष : समय आगे बढ़ा दिया गया था बाद में।

श्री मदनसिंह : मैं ऐसा समझता हूँ कि इस टैक्सेशन के सम्बन्ध में काफी सदस्यों ने बहुत अच्छे ढंग से जैसे समझाना चाहिये था समझा चुके। इसके उपरान्त दो चार ऐसी चीजें हैं जो मैं सदन के समक्ष में रखना चाहता हूँ और वे ये हैं। यह जो टैक्स है उसे ऐसे लोगों पर लगा रहे हैं जो ऑलरैडी

Page No.47

(श्री मदनसिंह)

इतने गरीब हैं कि और अधिक बोझा उन पर डालना उन पर अत्याचार करना होगा। आज वे चारों तरफ से गरीबी से घिरे हैं। अगर आपको यह लगाना ही है तो पहले एक काम आप करो कि जो अनाज की महंगाई उन पर है उससे उनको मुक्त कर दो। यह मैं मानता हूँ कि अनाज खुद सरकार नहीं कर सकती पर जो मदद कर सकती है वह यह है कि भाव ठीक कर सकती है। जब तक भाव ठीक न कर दे तब तक ऐसे निकम्मे टैक्स नहीं लगाने चाहिये। आज गांव का आदमी अगर किसी शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जाता है तो पहले तो उसको बस का बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ेगा, फिर ट्रेन में बैठता है तो वहां भी टैक्स बढ़ गया है वह भी देना पड़ेगा और फिर दिल्ली स्टेशन पर उतरता है तो फिर वहां लारी में बैठना पड़ेगा और उसका टैक्स भी अलग से देना पड़ेगा दूसरे प्रोविन्सेज का। तो ऐसी स्थिति में उस पर टैक्स लगाना उसके साथ जुल्म करना है। ये टैक्स कब लगाने चाहिये? तब जब कि अच्छे साधन जनता के पास हों, उसके पास अन्न हो, खाने पहिनने को वस्त्र और खाद्यान्न हों, रुपया हो, कुछ साधन जुट गये हों, रहने को अच्छी जगह बन गई हो, उस हालत में जनता खुशी से दे सकेगी, वह बर्दाश्त भी कर सकेगी, अन्यथा आज तो कर्जा ले लेकर टैक्स चुकाने की नौबत आ जावेगी। सरकार अगर यह चाहती है कि सुविधा हो जनता को, तो जिस रूप में सुविधा मिलनी चाहिये वह आज भी नहीं है। यहां कोई सदस्य ऐसा नहीं जो बाहर गांव में नहीं जाता। गर्मियों की मौसम में देखेंगे कि मोटर में बैठना कठिन हो जावेगा। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, जैसे कि जहां बाहर तीस आदमियों की कैपेसिटी की बस होती है वहां ६०–६० आदमी बिठाते हैं उन भर गर्मियों की मौसिम तक में और उस समय स्त्रियों की तो ऐसी हालत हो जाती है कि जिसका जिक्र करना कठिन है। मन्त्री महोदय खुद उनमें बैठ कर अनुभव करना चाहें तो मालूम हो जावेगा कि क्या हालत हो जाती है? उन स्त्रियों की और लोगों की। इसके बावजूद उन्हें यह नया टैक्स और देना पड़ेगा। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि परेशानी देकर टैक्स लगाना उनके साथ जुल्म है। ऐसे जुल्मों के जरिये आप आगे पैसा कमाकर उनको फायदा भी पहुँचाना चाहें तो मैं समझता हूं, यह अपनी संस्कृति के विरुद्ध चीज है। किसी से जबर्दस्ती, अन्याय से टैक्स लेकर आप उन्हीं का, किसी योजना द्वारा, आगे फायदा पहुंचाने की बात करते हैं तो यह तो बात वैसी ही हुई जैसे डाकू मानसिंह के टाइम में वे कहा करते थे कि हम लोगों को इसलिये लूटते हैं कि आगे जाकर गरीब लोगों का भला करना है। तो इसी तरह की यह एक लूट है जनता की।

देहात के लोगों को जबरन कभी कभी मुकद्दमें के सिलसिले में, कभी किसी रेवेन्यू के मामलों के सिलसिले में शहरों में बराबर आना जाना करना पड़ता है, तो अब उनको जबर्दस्ती यह एक नया टैक्स और देना पड़ेगा, कोर्ट फीस और वकीलों के खर्चे के साथ साथ, इसलिये मैं तो समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्य इस पर विचार करें और अगर इसके लगाये बगैर आपका काम चलता ही न हो तो एक काम करें, आप पहले अनाज सस्ता कर दें। तब तो यह भी ठीक है। अनाज सस्ता नहीं, गरीब लोग उधर मर गये महंगाई से,

(श्री मदनसिंह)

खाना पूरा नहीं, पीना नहीं, शराब पीकर भी मरना चाहें तो वह भी सस्ती नहीं...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : और अमल खाकर कोई मरना चाहे तो वह भी बन्द कर दो।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (जारी) : वह तो ठीक नहीं हुआ। तो चारों तरफ से गरीब लोगों की तो मुश्किल ही मुश्किल है। उनका अभी तक पता नहीं, पर जैसा जनता में भाव है वह शायद इसके लिये विरोध करने को तैयार होगी, यह तो नहीं कि मुकावला कर सके वह सरकार का। पर शायद है वे मोटरों में बन्द कर दें बैठना। मोटरें बन्द होंगी और फिर ऐसा कानून बनाने से फायदा क्या है ? इसके लिये वापिस सरकार को पछताना पड़ेगा।

तीस लाख सरकार के लिये कोई बड़ी रकम नहीं थी। तीस लाख तो आप पुलिस के वजट में से आसानी से कम कर सकते थे। फिर रोड़ की हालत भी आपको देखनी चाहिये। कोई भी नई गाड़ी इन सड़कों पर लगाना पसन्द नहीं करता क्योंकि जहां नई गाड़ी चलाई कि एक साल में खत्म हो जाती है। इसलिये पुरानी गाड़ियां ही लगाना पसन्द करते हैं। इसलिये में समझता हूँ कि टैक्स लगाने के पहले सरकार को इन सड़कों को ठीक कराना चाहिये। सरकार के पास अब भी काफी समय है और वह जानती भी है कि ये सड़कों की कितनी दिक्कतें जनता को हैं, इसके उपरान्त भी वह मजबूर है क्योंकि उसे पंचवर्षी योजना को पूरा करना है। अगर योजना पूरी करनी है तो और काफी बड़े बड़े पूंजीपति यहां पड़े हैं। ऐसे ऐसे बैठे हैं कि एक को भी खत्म कर लें तो सारी भारत की पंचवर्षीय योजना पूरी हो सकती है। पर उनको न छेड़ कर डाइरेक्ट गरीबों पर ऐसे टैक्स लगाये जा रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर विचार होना चाहिये। पर जैसी सरकार की नीति है, सदन में विचार करने को तैयार है, बाहर नहीं। तो ऐसी चीज़ को राजस्थान में तो बहुत प्रोत्साहन नही देना चाहिये। राजस्थान वैसे भी गरीब मुल्क है। यहां काफी भुखमरी है, इसे दूर करना है और यही लक्ष्य रख कर राजाओं को खत्म किया गया, जागीरदारी समाप्त की गई और उसी लक्ष्य को लेकर पूंजीवाद को अब खत्म करने की तैयारी की जा रही है। पर मैं कहता हूँ कि पूंजीपतियों को भी इस तरह का टैक्स लगाकर गरीबों को सताने में दया आ जावेगी, पर इस तरह का काम करने में सरकार को इस राजस्थान की सरकार को कोई दया नहीं आ रही है, सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिये सदन में विरोधी दल को तो सही बात सरकार को समझाने का काम है, करना तो सरकार के हाथ में है। सदन के सभी सदस्य इसको ठीक समझते हैं। तो इसका हल हो सके तो ठीक है, अन्यथा यह सरकार तो तुली हुई है कि जनता गरीब रहे, उस पर टैक्स का भार पड़ता रहे। उनके सामने हम चिल्लाते रहें कि गरीब जनता के लिये पहले खाने, कपड़े और रहने के लिये साधन दें, पर कोई सुनता नहीं तो वह दिन भी दूर नहीं है जब कि जनता इसका जवाब देगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, जो पैसेन्जर और गुडस पर टैक्स लगाने वाली बात हमारे सामने है उस पर काफी गम्भीरता और काफी वेदना से मेरे प्रतिपक्षी मित्रों ने अपने विचार यहां पर रक्खे। इन तमाम विचारों को ध्यान से सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि उनका एक मकसद है कि किसी भी प्रकार से अब टैक्स राजस्थान में न लगाया जावे और जिन योजनाओं के विस्तार करने का प्रयत्न हो रहा है उनका आधे रास्ते ही किसी न किसी प्रकार खड़ा रख दिया जावे। यह एक आज कल, अध्यक्ष महोदय, टैक्स का विरोध करना बहुत ही नीचे किस्म का राजनैतिक प्रचार होता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान और खास करके राजस्थान आज जिस दौर से गुजर रहा है उसमें टैक्स मात्र का विरोध करने की मनोवृत्ति जो सदन में प्रकट की जा रही है उसके पीछे केवल एक ही बात है कि अपना और अपनी पार्टी का किसी प्रकार से जनता के सामने यह प्रभाव पड़े कि उन्होंने टैक्स का विरोध किया है और जो टैक्स लगाते हैं वे निश्चित रूप से जनता के हित का काम नहीं करते। इस हेतुवाद के अलावा विभिन्न दलीलें जो रक्खी गई हैं उनमें कोई भी आधारभूत कारण इन दलीलों में नहीं दिखाई पड़ता। यह सही है कि पैसेन्जर पर यह टैक्स लगाया जा रहा है, पर यह भी सही है कि यदि नहीं लगाते हैं तो वह कौन सा दूसरा रास्ता है जिससे आवश्यक धन राजस्थान के विकास के लिये प्राप्त किया जा सके। हम जब लगान बढ़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं यह किसान के हित में नहीं होगा बैटरमेन्ट लेवी की बात की जाती है तो एजीटेशन छिड़ने की आशंका रहती है। उस वक्त भी कहा जाता है कि यह किसान के हित में और जनता के हित में नहीं रहेगा, बराबर वे कहते हैं, मेरे मित्र ये बातें कहते हैं, लगातार कहते हैं, निरन्तर कहते हैं और अविच्छिन्न रूप से कहते हैं, यहां और बाहर कहते रहते हैं कि यह ठीक नहीं हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाने की जब बात आई तो यह कहा गया कि यह तो लाखों किसानों के विरोध में टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन जिनके कन्धों पर ज़िम्मेवरी है और आज वह ज़िम्मेवरी केवल शासन चलाने की ही नहीं है बल्कि यह जो भारी भरकम पचवर्षीय योजना है उसको कार्यान्वित करने की ज़िम्मेवारी इधर के बैठने वाले सदस्यों के कन्धों पर है और उधर की ओर बैठे हुए सदस्यों के कन्धों पर तो केवल एक मस्तिष्क है और एक जुबान हैं, जिस जुबान के द्वारा विरोध होता है। लेकिन जो सदस्य इधर बैठे हुए हैं उनके पास जुबान तो कम है, लेकिन उनके कन्धों पर भारी ज़िम्मेदारी है। मैं यह नहीं कहता कि हम इधर के बैठने वाले कभी गलतियां नहीं करते कभी भूल नहीं करते, लेकिन हमारी जो जुबान है वह इतनी खुली हुई नहीं है जैसी कि उधर के बैठे हुए सदस्यों की है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों से बड़े अदब और आदर के साथ कि यह उनके द्वारा भयंकर राजनैतिक भूल हो रही है उनके ज़रिये और उनकी पार्टी के जरिये कि इस टैक्स के बारे में जनता में इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा की जाये कि इससे सारी जनता का अहित है। केवल टैक्स के नाममात्र से इस प्रकार की आशंका उन्हें जनता में नहीं फैलानी चाहिए। यदि ईश्वर करे कि ऐसी ज़िम्मेदारी उनके कन्धों पर भी कभी आये तो उस समय उनके

(श्री जनार्दनराय नागर)

मन में आयेगा कि टैक्स तो लगाने ही होंगे, और फिर उन्हें मालूम होगा कि क्या असर पड़ता है ? एक सभ्य शासन में चाहे वह जनतंत्री ढांचे का हो हमें टैक्स लगाने ही पड़ेगे। मैं यह कहता हूँ कि जो टैक्स लगाने के खिलाफ बातें करते हैं वह निश्चित रूप से जनतंत्रीय पद्यति के विरुद्ध बातें करते हैं और वोट प्राप्त करने की कलाबाज़ी में जनतंत्रीय तरीका वह काम में नहीं लाते हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक गंभीर नेतृत्व के ज़रिये काम बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि जो टैक्स लगाया गया है पैसेंजर्स और गुड्स पर, वह हमारी आधार भूत दृष्टि से आवश्यकताओं को देखते हुए उचित है। मैं जान बूझ कर बिना किसी कारण और आवश्यकता के टैक्स लगाने को व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं समझता। हमारे श्रोत अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता का एक तबका जो कि धीरे धीरे विकसित हो रहा है अगर उसको थोड़ा बहुत अपने हित में देना पड़े तो मैं नहीं समझता कि वह अनुचित बात होगी। आज हम देख रहे हैं कि यात्राओं के ज़रिये हमारा आवागमन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज लोगों को रेलों में और बसों में जगह की काफी दिक्कत होती है, आज हम अगर राजस्थान में देखें तो मालूम होगा कि यात्रा करना दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। मेरे मित्रों को मालूम है जो कि बस सर्विस चलाते हैं कि किस तरह से रात और दिन हम यातायात के विकास के प्रयत्नों को करने में लगे हुए हैं। आज हिन्दुस्तान में कई तरह के अवसर आने के कारण कई प्रकार के व्यवसाय विकसित होने के कारण काफी लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। आज कोई घर ऐसा नहीं बचा है जो कि यात्रा नहीं करता हो। इसलिए ही हमने कहा कि आप भी थोड़ा बहुत धन राजस्थान के विकास के लिए दीजिए। लोक सभा के अन्दर रेलवे मंत्री ने कहा कि मोटरों और बसों से जो गुड्स आता जाता है उसकी वजह से जो गुड्स की इन्कम में हानि हुई उस दृष्टि से गुड्स पर टैक्स लगाने की बात सोची है और अगर राजस्थान सरकार ने यह बात सोची है तो ठीक सोची है। रेलवे की जब बात करते हैं तो वह व्यक्तिगत बात नहीं है। रेल्वे तो एक राष्ट्रीय यातायात का राष्ट्रीय साधन है। अगर उसकी इन्कम में आशंका पैदा हो जाये, किसी हानि की संभावना पैदा हो जाये तो मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा कि जिससे आशंका दूर हो जाये और रेलवे को गुड्स से आमदनी ठीक तरह से होती चली जाये। अगर इस दृष्टि से भी इस टैक्स के अन्दर यह प्रावधान है और रेलवे की आमदनी में कमी होने के कारण से गुड्स पर किसी तरह का कोई टैक्स लगाया जाता है तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य को उसका स्वागत करना चाहिये। हमें एक व्यक्तिगत सम्पत्ति और राष्ट्रीय सम्पत्ति के बीच में भेद करके चलना पड़ेगा। मोटर बसें और ट्रकें आज व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं और रेलें हमारी राष्ट्रीय सम्पति हैं। माननीय अध्यक्ष, मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि गुड्स पर इसलिये टैक्स लगाया जा रहा है कि लोक सभा में रेलवे मंत्री महोदय ने इसकी ओर इशारा किया था। मैं कहता हूं कि उनका इशारा वाजिब था। हमारे सामने यह आशंका है कि ट्रकों के ज़रिये जो कम्पीटीशन रेलवे

(श्री जनार्दनराय नागर)

के गुड्स के साथ छिड़ गया है उससे रेलवे की आमदनी में कमी हो सकती है इसलिए यदि लोक सभा के अन्दर रेलवे मंत्री के इशारे से भारत के अन्य राज्यों में इस प्रकार के उपाय तैयार किये जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह सब जो इस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं एक राष्ट्रीय हित को सामने रख कर जो आशंका है उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सब के साथ साथ यह भी देखने की बात है कि टैक्स जीवन के किस हिस्से पर पड़ रहा है? जो प्रस्तावित टैक्स था उसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमी कर दी है पर जहां तक टैक्सों की दरों को लगा कर रकम वसूल करने का तरीका है उसके ऊपर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि पैसेन्जर्स को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ऐसी मुझे आशा है कि सरकार ऐसे नियम और कानून बनायेगी जिससे वसूली के समय पैसेन्जर्स को कठिनाइयां न हों। अध्यक्ष महोदय, मुझे जो एक मूल की बात कहनी है वह यह है कि टैक्स किस हिस्से पर लगाया जा रहा है। क्या वह जीवन की मूलभूत प्रवृत्ति है जिस पर टैक्स लगाया जा रहा है? मैं कहता हूं कि यात्रा करना अपने हितों को पूरा करने का एक साधन है। आज अन्न के ऊपर टैक्स लगाया जाता, रोटी दाल पर टैक्स लगाया जाता तो मैं समझता हूँ कि हमारी नाराजगी का कुछ कारण था, लेकिन यात्रा जो करते हैं उससे अपने ही हितों की पूर्ति होती है और अगर उसके लिए कुछ देना भी पड़े तो इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं उदयपुर से जयपुर आता हूँ या सवाई माधोपुर अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जाता हूँ, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, तो देना चाहिये। जीवन की मूलभूत आवश्यकता के ऊपर टैक्स लगाया गया हो ऐसी चीज मैं नहीं मानता हूं। हमें इस बात का बराबर विवेक करना पड़ेगा कि यह टैक्स पैसेन्जर्स पर लगाया गया है, जैसे मनोरंजन कर लगाया जाता है जो रात दिन सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, मैं जाता हूं, मेरे मित्र जाते हैं, अगर उनके ऊपर टैक्स लगे तो वह जीवन की मूलभूत आवश्यकता पर लगा हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए पैसेन्जर्स को कुछ हिस्सा देना पड़ेगा हमारे राजस्थान के विकास के लिये तो मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज हो जाता है कि हम पैसेन्जरों को कहें कि आज राजस्थान को अपने विकास के लिए ५८ लाख रुपये की आवश्यकता है और उसके लिये हम चाहते हैं कि तुम टैक्स को खुशी से मन्जूर करो। अब यह बात आती है कि टैक्स लगाना कितना है, इसके लिए तो मेरे दूसरे साथियों ने काफी विचार किया है और इसमें कुछ कमी भी कर दी गई है। यदि हम पैसेन्जर्स से कहें कि तुम तीन रुपये देते हो, अब ३। रुपया, दो चार आना ज्यादा दो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर देखा यह जाता है कि चार आने जो हमारी सरकार लेती है तो माननीय सदस्य चिल्लाते हैं कि जनता का अहित हो रहा है . .

श्री भैरोंसिंह : आपको कहा जाये कि २०० से १५० रुपया दिया जाये तो शायद उसका भी विरोध होगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : रेल्वे का किराया हर वर्ष बढ़ता चला जा रहा

(श्री जनार्दनराय नागर)

है, उसके लिए माननीय सदस्यों को असंतोष नहीं है और थर्ड क्लास का किराया बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद में आवागमन के हर प्रकार के साधनों में किराया बढ़ा है और आगे भी और बढ़ेगा क्योंकि हिन्दुस्तान में जो किराया है वह दुनियां के दूसरे देशों के किराये के शिड्यूल से बहुत कम है। इसलिए किराया निरंतर बढ़ा है और टैक्स भी बढ़ेगा। अगर कोई ज्यादा खर्च करता है तो इन्कम टैक्स देता है। अगर ज्यादा सम्पत्ति ली तो उसे फिर उसका टैक्स देना होगा। अगर आपके पास कहीं न कहीं से धन इकट्ठा हुआ तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की हो रही है, आपको कुछ न कुछ अंश टैक्स के रूप में देना ही पड़ेगा क्योंकि आज आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार के द्वारा की जाने वाली विकास की प्रवृत्तियों के लिए धन का कुछ अंश देना ही होगा। जिस श्रेणी के पास धन है उनके ऊपर टैक्स लगा और लगेगा तो वह अनुभव करें कि यहां जाकर चुभन हुई यह वेदना हुई तो वेदना तो ज़रूर होगी और उन श्रेणियों को बराबर वेदना होती रहेगी कि टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है। यदि आज मैं बस में यात्रा करना चाहता हूं और तीन के बजाय साढ़े तीन रुपया देता हूं तो मुझे किस बात की वेदना होती है? अगर वेदना होती है तो इसलिए होती है कि कम से कम पैसों में जो यात्रा की सुविधा थी उनको अब कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, नाम लेता हूं उनका, बेचारे जो जनपद में रहते हैं, उनके नाम से यहां पर मगरमच्छ के आंसू बहाया करता हूं कि यह आम जनता के हित में नहीं हुआ, टैक्स लगा देने से नुकसान हुआ, यह हानि हुई, यह विरोध होगा। मेरे एक मित्र ने कहा कि जनता तय कर लेगी। जनता कहां कहां तय करेगी? जनता आपके और मेरे जरिये तय करेगी। जनता मन्जूर करती रही है। रेल्वे का किराया बढ़ा तो उसने मन्जूर किया। ५७ में टैक्स लगा था तो यहां पर दलील दी गई थी कि टैक्स की वजह से तूफान मच जायगा। हमने देखा कि तूफान मचा नहीं, तूफान मेरे और मित्रों के दिलों में मचता रहा है इस सदन में और इस सदन के बाहर। जनता विकास की प्रगति को समझ चुकी है। मैं आज भविष्यवाणी कर सकता हूं कि टैक्स लगाने होंगे और कोई तूफान आने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है (हियर हियर) जनता कह चुकी है . . .

श्री भैरोंसिंह : आप अपनी भविष्यवाणी कर दें कि कब मंत्री बनेंगे?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आपके हाथ में कब सत्ता आयेगी?

श्री भैरोंसिंह : इतनी चापलूसी करने के बाद भी कुर्सी नहीं मिलती है।

श्री जनार्दनराय नागर : बद्रीप्रसादजी मंत्री हैं मैं नहीं हूं, इसकी कोई बात नहीं है। हम सभी मंत्री हैं। सवाल यह है कि आपके पास सत्ता कब आयेगी? मैं आपकी भविष्यवाणी करता हूं।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष

(श्री मदनसिंह)

महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा लिए 'चापलूसी' शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं था।

श्री जनार्दनराय नागर : 'चापलूसी' मैंने कहा नहीं था। मेरे मित्रों को आपके जरिये अपील करना चाहता हूं कि ईश्वर के नाम पर आपके भविष्य के हित के नाम पर टैक्स लगाने के विरोध का मनोविज्ञान पैदा नहीं करें। आपके पास खुदा-न-ख्वास्ता सत्ता आये तो आपको भी टैक्स लगाने पड़ेंगे, हिन्दुस्तान के विकास के लिए या जिस जगह का विकास करना चाहते हैं उसके लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे। हर छोटी छोटी बात के लिए कहें कि आम जनता का नुकसान हो रहा है, ठीक है कि राजनीति है। राजनीति की बात दूसरी है। यह उचित नहीं है कि बार बार टैक्स के लिए विरोधी मनोवृत्ति पैदा करने का प्रयत्न हो। सच्ची बात तो यह है कि सरकार को और खास तौर से वित्त विभाग को इस बारे में मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने साहस के साथ इस टैक्स की योजना की। ऐसी श्रेणियों पर टैक्स नहीं लगाया, जिनके लगाने से थोड़ा सा कष्ट हो सकता था। लगान बढ़ाने की बात कही जाती या दूसरे वर्ग पर टैक्स लगाने की बात कही जाती तो सोचने का मौका था। पेसेन्जर और गुड्स के ट्रक लोड्स पर जब टैक्स लगाने की बात सरकार ने सोची तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने तमाम परिस्थितियों पर विचार करके, यही एक उपाय था जिसकी वजह से आम जनता पर कोई गम्भीर असर नहीं होकर केवल जो पेसेन्जर है, यानी यात्रा करते हैं वे ३) रु० के अतिरिक्त ४ आने ज्यादा दे दें तो कोई बात नहीं है। इस तरह की बात सोचकर टैक्स का आयोजन किया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर इस प्रकार के टैक्सेज़ यहां पर रखे गये हैं। मैं मानता हूं कि पैसेन्जर पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। पैसेन्जर को हम कहना चाहते हैं कि उनके विकास के लिए, उनके स्वयं के यातायात के साधनों के विकास के लिए कुल मिलाकर राजस्थान की पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ अंश पेसेन्जर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें देना चाहिए। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अमीर होगा उससे ज़्यादा लिया जायगा और गरीब होगा उससे कहा जायगा कि कुछ तुम दो तो सही। देश और राजस्थान का विकास अमीर और गरीब के विकास का प्रश्न नहीं है। अमीर से राजस्थान का विकास नहीं हो रहा है, गरीब के लिए राजस्थान का विकास नहीं हो रहा है। अपनी सामर्थ्य के योग्य कुछ न कुछ देना पड़ेगा। जो धन एकत्रित करके बैठे रह गये उनसे कई टैक्सेज़ से धन लिया जायगा और गरीब मेहनत से कितना कमाता है उससे कहा जायगा कि थोड़ा सा अंश अपने विकास के लिए दो।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) एक भाषण हो सकेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : मैं कई बार प्रयत्न कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद सरकारी पक्ष का उत्तर होगा।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय हम राजस्थान यात्री तथा माल—कर विधेयक के तृतीय वाचन पर विचार कर रहे हैं। जो टैक्स पैसेन्जर और गुड्स पर लगाया जा रहा है उसके लिए हमारे माननीय सदस्य और दूसरे व्यक्ति यह समझते हैं कि राजस्थान में यह सम्भवत: प्रथम कदम उठाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं सदन को जानकारी दूँ कि इस प्रकार का टैक्स धौलपुर के पड़ोस में ग्वालियर स्टेट थी तो वहां पर लगा करता था। ग्वालियर स्टेट में यह टैक्स था कि जो रेल द्वारा ग्वालियर स्टेट के अन्दर जाय तो दो पैसा प्रति टिकट ग्वालियर स्टेट का टैक्स हुआ करता था, चाहे बस या रेल से जाय। तो मैं समझता हूं कि उसी प्रकार का अब यह टैक्स है जो कि १०—१५ वर्ष पहले एक स्टेट में लगा करता था और उस समय भी जनता साधारण तौर पर दिया करती थी। यह हो सकता है कि कुछ दरें भिन्न भिन्न प्रकार की होने के कारण कुछ अधिक हों। हो सकता है कि इस कानून के द्वारा, चूंकि नया कानून है इसलिए बस ऑनर्स को हो। लेकिन टैक्स नया नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो टैक्स लगते हैं उससे कुछ लाभ होता है और वह लाभ है हमारे यातायात के लिए। राजस्थान यातायात में काफी पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहां दूरस्थ गांवों में जाने—आने के लिए मार्ग नहीं है और इस प्रकार के साधनों को ठीक करने के लिए इस प्रकार का टैक्स लगाया है। लेकिन मोटर विहिकल्स एक्ट के अन्तर्गत और भी टैक्सेज़ उस पर लगे हुए हैं। उनके बारे में थोड़ी सी दिक्कतें बताना चाहता हूं। वह यह है कि जिस वक्त हमारे यहां राजस्थान के अन्दर बाहर की कोई विहिकल आती है तो उस पर दैनिक रोजनदारी के हिसाब से टैक्स लेते हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर प्राइवेट बसेज़ यू० पी० वगैरह में जाये तो उनको तीन महीने का टैक्स देना पड़ता है। राजस्थान के नागरिकों को बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता है और जो बाहर के नागरिक हैं उनकी बसें राजस्थान के अन्दर आती है तो उसको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। हम समझते हैं कि इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस बारे में जो हानि है खास तौर से जो बोर्डर के इलाके हैं, जैसे धौलपुर है, वहां अगर किसी की शादी है और किराये की बस ले जाय यू० पी० में, तो निश्चित तौर से उसको तीन महीने का टैक्स यू० पी० में देना पड़ता है और यू० पी० वाले धौलपुर में आयें, भरतपुर में आयें तो उनको दैनिक के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे आज जो धौलपुर की बसेज़ हैं, बस मालिक हैं उन पर बहुत कुछ असर पड़ता है।

इसी प्रकार से जो माल वाहन हैं, उनके सम्बन्ध में कम से कम मेरे तो बहुत विचार तेज़ हैं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से माल वाहनों पर हमने अंकुश नहीं रखा तो हमारी व्यवस्था खास तौर से व्यापारिक व खाद्य व्यवस्था को बिगाड़ने में बड़ी सहायक होती है। पिछले दिनों हमारा तजुर्बा इस बात का है कि जिस वक्त गेहूं मध्य भारत से धौलपुर और धौलपुर से ग्वालियर गया।

(डॉ० बहादुरसिंह)

और जो स्मग्लिंग बस मालिकों के द्वारा हुआ, जिस प्रकार से चावल आगरा से धौलपुर आया और धौलपुर से बाहर गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ बस मालिकों का है। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां से चना जाना बन्द है, लेकिन आज भी चना बराबर जा रहा है और अध्यक्ष महोदय, कम से कम रोज़ाना ४, ५ ट्रक जाते हैं। उनको आप किस प्रकार से कन्ट्रोल में लायेंगे, यह एक सोचने की बात है।

होता यह है कि जो चंबल का बोर्डर है वहां से चना भेज दिया गया और यह कह दिया कि यह चना मध्य प्रवेश का है और उत्तर प्रदेश को जा रहा है तो खासकर जो स्मगलिंग का काम होता है उस पर बहुत बड़ा अंकुश होगा।

श्री मदनसिंह : (दांता रामगढ़) टैक्स का स्मग्लिंग हो जायगा ?

डॉ० बहादुरसिंह : यदि टैक्स का स्मग्लिंग होता है तो यह ज़िम्मेदारी सरकार की है और जो मंतव्य है उसमें सफल हों, इसलिये जो वाहन कर है उसके बारे में राज्य सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग ओट से काम करते हैं उन पर काफी अंकुश रहना चाहिये और बोर्डर इलाकों में ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी।

दूसरी बात टैक्स की वसूली आदि के लिए है, इसमें राहत के लिए व्यवस्था करनी चाहिये। या तो इस प्रकार की व्यवस्था करिये कि टिकट आदि बनवाइये और यदि टिकट आदि नहीं है तो जो बीच में लोग बठते हैं, खास दिक्कत यह पड़ेगी, यदि एक स्टैन्ड से दूसरे बस स्टैन्ड को जाते हैं तो दिक्कत नहीं है लेकिन जब कोई बीच में बैठता है और है बीच में ही यात्रा समाप्त करता है तो उसमें चोरी होने की सूरत है। आप कह सकते हैं कि चैक करने वाले हमारे इन्सपेक्टर्स होंगे लेकिन मेरा जो तजुर्बा है वह बिल्कुल खुला है, रोडवेज़ की जो बसेज़ चलती हैं, वे व्यवस्था करते हैं कि हमारे फेयर की चोरी न हो लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर जिनको एक विशेष जाति मानते हैं ये बड़े होशियार होते हैं कि वे फौरन अपने पैसे बचा सकते हैं और इस कारण से हमारा टैक्स भी रुक सकता है। इसलिये या तो इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बस स्टैन्ड्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर हो या टिकट वगैरह की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे कि टैक्स की चोरी न हो। टैक्स लगाकर हम यह सोचते हैं कि इससे ३० लाख रुपये वसूल करेंगे लेकिन चोरी होने के कारण पूरा वसूल नहीं होता इसलिये मज़बूर होकर आपको बजट की पूर्ति के लिए दूसरी इन्कम के सोरसेज़ सोचने पड़ते हैं। यदि ईमानदारी से टैक्स वसूल हो तो दूसरे टैक्स वसूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिये मेरा जो सुझाव है, खासकर मोटर वाहन के लिये कि हमारे यहां से जो विहिकल उत्तर प्रदेश में जाते हैं उनसे ३ महीनों का कर वसूल किया जाता है चाहे वे एक दिन के लिए ही जायं, इसी प्रकार का यदि राजस्थान में बाहर के नागरिकों की बसेज़ आवें तो उसी प्रकार व्यवहार उनके साथ भी करना चाहिये जैसा कि हमारे पड़ोसी हमारे साथ करते हैं। यदि उत्तर प्रदेश हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसके साथ भी

(डॉ० बहादुरसिंह)

हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये क्योंकि राजस्थान की भी एक स्वतंत्र स्थिति है, हमको भी टैक्स वसूल करने का अधिकार है। इन सारी बातों की ओर ध्यान देते हुए यदि टैक्स लागू करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल का उत्तर देने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी को बुलाया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री): क्या फर्क पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : कन्वेन्शन ऐसा होना चाहिये। लोक सभा में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था और वहां पर अध्यक्ष महोदय ने यह निरूपण दिया था कि जहां तक संभव हो, मन्त्री उपस्थित हों तो उनको उत्तर देना चाहिये। यह कन्वेन्शन है, इसका निर्माण करना जरूरी है। जहां तक हमारे यहां का सवाल है, हमें खुशी है, खास कर विरोधी दल को, कि अध्यक्ष महोदय ने यह निरूपण दिया था कि मन्त्रीजी उपस्थित रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि सदन की इच्छा के बावजूद और अध्यक्ष महोदय के संकेत करने के बाद भी मन्त्री लोग नहीं आते हैं। इस बारे में फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी को यहां पर बुलाकर सरकार की ओर से उत्तर देने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी तो इस समय सदन में हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सदन में तो नहीं हैं लेकिन कमरे में बैठे हुए फाइलें निकाल रहे हैं, यहां से जानबूझ कर चले जाते हैं। क्या उनकी यह ड्यूटी नहीं है कि जब वित्त से सम्बन्धित कोई बिल पेश हो तो उनको यहां बैठना चाहिये ? मैं समझता हूं उनका यहां न बैठना सदन का अपमान है। यह अपमान बार बार होता रहे, यह उचित नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि मन्त्री लोग इस प्रकार से हमारा अपमान न करें और लोबीज़ में या कमरे बैठकर बात चीत करने के बजाय अपने समय का उपयोग सदन में बैठ कर करें।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, आखिर यह ३० लाख रुपये वसूल करने का टैक्स का मामला है, इसकी अहमियत है। जनता से टैक्स वसूल करना चाहते हैं तो जनता की तरफ से जो विरोध हुआ है उसका जवाब देने के लिए, वित्त मन्त्रीजी यहां उपस्थित रहें तो उचित बात है इसमें दो राय नहीं हो सकती, ऐसी परम्परा डाली जाय। विरोधी पक्ष भिन्न भिन्न है और आपकी स्ट्रेन्थ १२१ की है, इसको देखकर आप हमारी अवहेलना बार बार करना चाहते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से डेफिनिट रूलिंग होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने इस तरह का प्रश्न पहले भी उठाया है और जब कभी मौका हुआ है, सदन में जो इस विषय में उनकी इच्छा रहती है और यह बहुत उचित बात है कि जब कभी गंभीर प्रश्न सदन में आवे तो सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हों, इसमें दो राय हो नहीं सकती। लेकिन खेद की बात है कि हमारे देश में और विशेष कर हमारे प्रदेश में अभी इस तरह की परम्परा

(श्री अध्यक्ष)

कायम नहीं हो पाई है कि सदन के सदस्य इस तरह की उचित बात जोर से कहे उसका सम्बन्धित अधिकारियों पर पर्याप्त असर पड़ सके। जहां तक मेरी व्यवस्था का प्रश्न है सदन की प्रतिष्ठा या परम्परा की सारी बातें व्यवस्था से कायम नहीं होती और जब तक सही माने में हम सब लोग संसदीय प्रणाली को टीक तरह से चलाने के लिये कटिबद्ध नहीं होंगे तब तक इस तरह की व्यवस्था देना उचित होगा या नहीं, इसलिये मैं यह निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं, और आशा करता हूं, मैं इस स्थिति में आशा करता हूं कि हमारे मन्त्रीगण इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इस पर चलने की कोशिश करेंगे।

(विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री, राजस्व विभाग) अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जितना विचार विमर्श हुआ उसको २८ तारीख को भी सुना और आज भी सुना। मुझे टीक याद है, २८ तारीख को जिस समय इस बिल को विचारार्थ लिया जा रहा था उस समय की बहुत सी दलीलें आज भी पेश की हैं। इसी प्रकार की दलीलें उस रोज भी दूसरे पक्ष की तरफ से आई थीं और मुख्य मन्त्रीजी ने विस्तृतरूप से उनका जवाब दिया था। मैं मानता था कि उनके जवाब के बाद इतने लम्बे चौडे भाषणों की आज गुंजायश नहीं है, लेकिन इसका मतलब अलग तरीके से है क्योंकि उस दिन की बातें अखबारों के कॉलम में आई थीं और आज जब यह बिल फाइनल रूप से पास हो रहा है उस समय यदि बातें अखबारों में न आवें तो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं, इस नुक्ते निगाह से रिपीटिशन किया गया है। इस स्टेट की विधान सभा में ही नहीं, बल्कि दूसरी स्टेटस में भी देखते हैं कि जब कभी कर व्यवस्था आती है तो विरोधी ग्रुप की तरफ से हमेशा उसका विरोध किया जाता है। जब बिक्री कर व्यवस्था राजस्थान में और दूसरी स्टेटस में भी आई थी तो उस समय भी उसका विरोध किया जाता था कि उससे छोटे छोटे दुकानदारों को नुक्सान होगा और जनता पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जनतन्त्र में जब किसी मुल्क का विकास किया जाता है तो उसके लिये रुपयों की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार के पास जितने साधन होते हैं उनको टेप भी किया जाता है और रुपये लेने का प्रयत्न किया जाता है, यह मूल भूत सिद्धान्त है ....

श्री भैरोंसिंह : डेमोक्रेसी का मूलभूत सिद्धान्त कौन सा है ?

श्री सम्पतराम : डेमोक्रेसी का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि जिनसे रुपये लिये जा सकें लिये जांय और वाजिब तौर से खर्च किये जायं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : डेमोक्रेसी की क्या बात कहते हैं ?

श्री सम्पतराम : डेमोक्रेसी की बात यह है कि पब्लिक को अपने हित के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह तो टोटेलिटेरीयन गवर्नमेंन्ट में लिया जा सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : यह तो व्याख्यान के लिए व्याख्यान हुआ।

Page No.58

श्री पी० के० चौधरी : I think the Hon'ble Member can put a question.

श्री गिरधारी लाल : माननीय अध्यक्ष, माननीय उप-मंत्री ने दो मिनट पहले कहा था कि माननीय सदस्यों ने इसलिए भाषण दिये कि अखबारों के कॉलम में उनके नाम आयें । माननीय उप-मंत्री ने कैसे जाना ? अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग्स देखलें । उन्होंने यह कैसे जाना कि सदस्य इसलिए बोले कि अखबारों में उनका नाम आवे ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय इस तरह के इन्टरप्शन से काम आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

श्री भैरोंसिंह : भाषण जरा सयंम से दीजिये ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Is it proper to extract motives to speak on the members ......

श्री भैरोंसिंह : What is the source of his information ?

श्री अध्यक्ष : आप संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : पहले असंसदीय भाषा का प्रयोग कर लिया, सदस्यों के मोटिव्ज़ के लिए कहा कि भाषण इसलिए देते हैं कि अखबारों में उनके नाम आ जायं । उनकी दृष्टि से अखबार इतने सस्ते हो गये कि जिस प्रकार हम यहां बोल देगें वह छप जायगा । आपको यह कैसे मालूम हुआ कि इस दृष्टि से भाषण दिये, इस प्रकार की मोटिव से भाषण दिये हैं । ये शब्द आपत्तिजनक हैं और उप-मंत्री जी अपने वे शब्द वापिस लें ।

श्री मदन सिंह (दाता रामगढ़) : श्री हरिभाऊजी होते तो वे वापिस लेलेते ।

श्री सम्पत राम : कोई मोटिव इम्प्यूट करने की बात नहीं है । मैंने कहा कि जो दलीलें पहले दी गई, वे आज भी दी गई हैं....

श्री भैरोंसिंह : अखबार की बात आपने कही ।

श्री सम्पतराम : मेरी बात कृपया सुन लीजिए । जो दलीलें उस दिन दी गई, उनका मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया था । उन्हीं बातों की दुबारा रिपीटीशन करके एक पोलिटिकल स्टन्ट बनाया जाय, इसलिए उन्हीं बातों को कहा जाता है । मैं निवेदन कर रहा था....

श्री भैरोंसिंह : अखबारों की बात कही, वह इसलिए कही थी ?

श्री अध्यक्ष : वह अनुचित था ।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : अनुचित था, तो विथड्रा करना चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल : वे अपने शब्द वापिस लें, मैं यह मांग करूगां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मिनिस्टर के स्टेटस् के बनने वाले हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री सम्पत राम : माननीय सदस्य को बुरी बात लगती है, तो मुझे वापिस लेने में आपत्ति नहीं है । लेकिन मेरी पूरी बात शांति से सुनिये । जब कभी टैक्स की बात आती है, तो उसका विरोध होता है और यह कहा जाता है, कि टैक्स देने की पब्लिक की शक्ति नहीं है, इसका वज़न जहां पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ेगा, इसकी व्यवस्था में गड़बड़ी होगी । ये दलीलें दी जाती हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह संस्कृति के खिलाफ है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि टैक्स देना और संस्कृति का परस्पर क्या ताल्लुक है....

श्री मदनसिंह : 'संस्कृति' का मतलब टैक्स लगाना नहीं है ।

श्री सम्पतराम : हम जानते हैं, आज से १० साल पहले, पांच साल पहले किसानों का गांव में शोषण होता था, नाजायज़ तौर पर पिटाई होती थी विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाये जाते थे....

श्री मोहर सिंह (चूरू) : वह अब भी हो रहा है ।

श्री सम्पतराम : आज इस प्रकार टैक्स लगाये जाते हैं, जो पब्लिक को देने चाहिए, देना वाज़िब है क्योंकि उस धन से राज्य का विकास होगा । इसमें संस्कृति बीच में कहां से आती है ? यह दलील गलत है । दूसरे ट्रान्सपोर्ट बिज़नेस में आप देखें, राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने तक, सब जगह नई नई बसेज़ का इन्तज़ाम हो रहा है, कच्चे रास्तों की जगह पक्के रास्ते बन रहे हैं, जहां सवारियां नहीं मिलती थी वहां अब सवारियां आती जा रही हैं । इससे ज़ाहिर होता है कि आम लोगों की टेन्डेन्सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की है । अगर लोगों की ताकत नहीं होती तो इस तरह से लोग बसेज़ में बैठ कर एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते । उनकी आर्थिक पोज़ीशन ऐसी है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसेज़ में बैठ कर जायें और कुछ पैसा दें । जिस तरह वे कुछ पैसा इसमें देते हैं, उसी तरह से थोड़ा पैसा और इसमें देना चाहिए । वैसे राजस्थान के और रिसोर्सेज़ को देखें, आप बिक्री कर को देख सकते हैं । इस साधन को टेप करने के लिए सोचते हैं तो एडजोइनिंग स्टेट्स के व्यापार पर जो असर होगा, उसको देखना पड़ेगा । अगर इसमें और टैक्स लगायें तो बिक्री कर से व्यापार को धक्का लगेगा । इसलिए यह व्यवस्था कायम की गई, इस तरह के टैक्स की तरफ टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने संकेत किया है, फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने संकेत किया है कि इस प्रकार का टैक्स लगाया जाय....

श्री भैरोंसिंह : वह संकेत ८ लाख रुपए का था, आपने ३० लाख रुपए का रखा है ।

श्री सम्पतराम : हमें इससे भी ज्यादा रुपए की जरूरत है, हम इससे भी ज्यादा रुपया जनता से चाहते हैं । ३० लाख रुपए की आमदनी का प्रश्न नहीं है, इसके बजाय ज्यादा रुपया जनता से लें और उसे जनहित में लगायें । मैं बजट प्रोविजन्स की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि रोड्स की मेन्टेनेन्स के लिए, बजट आउट ले के अलावा २० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे रोड्स ठीक की

(श्री सम्पतराम)

जांय, और राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाय । जहां तक टैक्स रियलाइज़ करने की बात है, हो सकता है, थोड़े बहुत बस ऑपरेटर्स को अकाउन्ट्स रखने में दिक्कत हो, और दूसरी बातों में भी दिक्कत होती हो, यह बात ऐसी है कि जिस समय इन्कम टैक्स लागू किया था, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लागू किया था, तब भी आई थी। लेकिन अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है । हर एक दूकानदार ठीक तरह से पेमेन्ट कर देता है । मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ सदन को कि थोड़े दिनों बाद यह बात भी ठीक हो जायगी । आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से बस ऑपरेटर्स यहां इकट्ठे हो रहे हैं । वे इकट्ठे हों या न हों, लेकिन जो सदन में प्रतिक्रिया होती है और जिस प्रकार की बातें होती हैं, हो सकता है, ऐसी बातों से उन्हें प्रोत्साहन मिले और ज्यादा बस ऑपरेटर्स इकट्ठे हों, पर यह टैक्स बस ऑपरेटर्स पर नहीं है । उनके लिए सिर्फ अकाउन्ट्स रखने की बात है ताकि जो टैक्स लगता है, जो टैक्स जिस रूप में वसूल होता है, वह उसी रूप में सरकार के पास आये । इसलिए हमें मशीनरी लगानी पड़ेगी, इसमें बस ऑपरेटर्स को मदद करनी चाहिये और हमारी राजकीय मशीनरी भी इसके लिए प्रयास करे, तब फायदा होगा । हमारे एडजोइनिंग स्टेट्स में इस प्रकार के टैक्स की व्यवस्था की गई। हम चाहते हैं कि उनके अनुभव, कायदे कानून को हम भी देखें क्योंकि उन्होंने पहले यह टैक्स अपने स्टेट्स में लगाया । उनके आधार पर, जानकारी के अनुसार इस टैक्स को लगायें जो कुछ कन्वीनियेन्स, बस ऑपरेटर्स को, सवारी करने वाले मुसाफिरों को और राज्य कर्मचारियों को दे सकते हैं, उनको देने की व्यवस्था की जायगी। उस दिन जितनी दलीलें दी गई थी, इसी तरह की दलीलें सदन के सामने आज भी दी गई। मैं समझता हूँ कि इतनी बातें सुनने के बाद इस बात की जरूरत नहीं रहेगी कि अलग अलग बातों का जवाब दूं । एक बात जरूर है कि जो ३० लाख की बात बार बार कही जाती है, ८ लाख की बात बार बार कही जाती है, हमें ३० लाख ही नहीं जनता से करोड़ों रुपया लेना पड़ेगा, तब जाकर थर्ड फाइव ईअर प्लान सफल बनेगा, राज्य का विकास इस रुपए पर डिपेन्ड करेगा । मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार और रुपया मांगने की बात राजस्थान में आएगी, मैं यह बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि इसी प्रकार की दलीलें दूसरी तरफ से आएंगी, लेकिन जो काम हमें करने होंगे, वे करने पड़ेंगे । जनता को टैक्स देना चाहिए . .

श्री मदनसिंह : कभी नहीं ।

श्री सम्पतराम : मैं मानता हूँ कि लोगों की देने की शक्ति है और इसको लिए बगैर काम नहीं चलेगा । मैंने थोड़े से शब्दों में, जो कुछ सदन में कहा गया, जवाब दे दिया है । मैं समझता हूं कि शांति के तरीके से इसे पास करने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री तथा माल-कर विधेयक, १६५६ पारित किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

(मत विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, १६५६ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२. म० प०

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १६५६

(विचार-विमर्श एवं पारण)

राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६५६

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री वित्त विभाग) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक . .

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अब तो मिनिस्टर मौजूद हैं, उन्हीं को पेश करना चाहिये।

श्री सम्पतराम : 'विधेयक, १६५६' को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order. sir, अब तो माननीय वित्त मंत्रीजी मौजूद हैं, फिर उप मंत्रीजी के इस बिल को पायलेट करने का झगड़ा आयेगा। अब तो वित्त मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं। यह बिल उनको ही सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इतनी बहस के बाद भी माननीय सदस्य इस बात को बार बार उठाते हैं तो मैं नहीं समझता कि क्या व्यवस्था की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था क्या की जाय यह तो मैं नहीं कह सकता पर आपकी व्यवस्था की सूचना मैं उनको देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था दी है, मैं उनसे उसकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी हैं, जिस प्रकार के रिमार्क्स आपने दिए हैं उनका उन पर कोई असर हुआ है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल, इस पर आपका प्रस्ताव है ?

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : जी हां।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स (अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं सिध्दान्ततः इस बिल का विरोधी हूँ, वह इसलिए कि आज दिन किसानों पर बाकी के जो दूसरे टैक्स हैं उनको तो मैं सदन के सामने नहीं रखते हुए यही बता देना चाहता हूं कि किसानों पर दो प्रमुख रूप से टैक्स लगाते हैं, वे नहीं लगने चाहिये आज पहला टैक्स तो किसान से लगान के रूप में लिया जाता है और दूसरा टैक्स एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के रूप में लेते हैं,

(श्री गिरधारीलाल)

इस प्रकार के दो-दो टैक्सेज़ किसानों पर लगाना अनुचित है, यह ग्रामीणों के साथ जो आप भेद-भाव की नीति बरतते हैं, उसका बहुत बड़ा नमूना है। माननीय मंत्री महोदय जवाब में कहेंगे कि किसानों से लगान इसलिये लेते हैं कि वे सरकार की जमीन को जोतते हैं; पर माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात को नहीं मानता कि किसान केवल अपना पेट पालने के लिये, अपने बाल बच्चों का और अपने कुटुम्ब का भरण पोषण करने के लिए जमीन जोतता है, केवल अपने लिये, अपने बाल बच्चों के लिये अन्न का उत्पादन करता है। वह जो अनाज उत्पन्न करता है उसे शहरों के रहने वाले खाते हैं और अगर हमारा अनाज का उत्पादन बढ़ जाता है तो वह अनाज विदेशों को दे सकते हैं, जिससे हमारी सरकार को अच्छा लाभ हो सकता है। तो आप किसानों के ऊपर कोई अहसान नहीं करते कि उसको आप जमीन जोतने के लिये देते हैं।

मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि यदि किसानों पर इस प्रकार के दो तरह के टैक्स लगते हैं तो इनसे किसानों पर बड़ा भारी बोझा पड़ जाता है। प्रथम पंच वर्षीय योजना भी पूरी हो गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी पूरी होने आई है पर किसानों की हालत में कोई फर्क नहीं आया है। मन्त्री महोदय बड़े-बड़े दौरे करते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों की हालत में इन ८ वर्षों में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इस चीज को वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा है और जहां तक उसकी आमदनी बढ़ने का सवाल है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी है। आज भी किसानों की वही हालत है जो राजाओं महाराजाओं और अंग्रेजों के जमाने में थी। वैसी हालत में मैं उन पर इस प्रकार के दो-दो तरह के टैक्सेज़ लगाना उचित नहीं समझता।

मन्त्री महोदय कहेंगे कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स पहले से लगा हुआ है, चार साल से है, एक साल की मियाद और बढ़ा रहे हैं तथा और कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं कर रहे हैं। पर अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स आगे की सालों में वसूल करने की नीति है वह दोषपूर्ण है। मन्त्री महोदय कहेंगे कि कैसे दोषपूर्ण है, मन्त्री महोदय को इस चीज का पता होगा।

२.५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

सारा सदन जानता है कि किसान खेत जोतने के बाद से लेकर खलिहानों से अनाज अपने घर लाता है वहां तक वह छुपा के काम नहीं करता, आपके पास सब सूचना रहती है, ज़िले वाइज़ आंकड़े आपके पास होते हैं, कहां अकाल पड़ा, कहां अकाल नहीं पड़ा, कहां अच्छा ज़माना हुआ ये सब आंकड़े आपके पास रहते हैं, यहां तक कि किसान की फसल पकती नहीं है, खेत जोतने के थोड़े दिनों बाद ही पटवारी गिरदावरी करता है और आपके पास आंकड़े रहते हैं कि एक किसान को, किसको कितनी आमदनी होगी। तो फिर आप अंधेरे में क्यों हैं, पिछले पांच साल का लगान छूट गया है तो वह आप वसूल करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है ? मेरी समझ में पहला कारण तो यह हो सकता है कि या तो यह हो सकता है कि

(श्री गिरधारीलाल)

जिन कर्मचारियों को आपने टैक्स वसूल करने के लिये नियुक्त कर रखा है वे या तो इतने अनभिज्ञ हैं कि किस गांव में किस किसान के यहां कितना अनाज पैदा हुआ यह उनको पता नही। जिन पर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं तनख्वाह के रूप में खर्च करते हैं वे लोग इतने अंधेरे में हैं, इतने बेकार, अयोग्य और निकम्मे हैं कि उनको यह तक पता नहीं कि किस तहसील में अकाल पड़ा था और किस तहसील में जमाना हुआ था। जो गांव में रहते हैं सब जानते हैं कि एक गांव में अकाल और दूसरे गांव में ज़माना, एक तहसील में १०० गांव हैं तो ५० में तो जमाना हो और ५० में अकाल हो यह हो नहीं सकता। यह हो सकता है कि एक ही तहसील के कुछ गांव में भयंकर अकाल है तो दूसरे गांवों में थोड़ा थोड़ा ठीक जमाना हो सकता है, पर गहरा जमाना हो यह तो नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा कि आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी बिल्कुल निकम्मे हैं। या तो यह हो सकता है कि यह एक्ट लागू हुआ उस दिन से आज तक या तो किसानों से उन लोगों ने मिल कर पैसे खाये हैं या और कोई प्रकार का कम्प्रोमाइज़ किया है और जो टैक्स हमारे खजाने में आना चाहिये था वह नहीं आ सका। इससे साफ जाहिर है कि हमारे कर्मचारी कितने अयोग्य और निकम्मे हैं कि वे यह भी नहीं जानते कि किस गांव में, किस तहसील में, किस ज़िले में कितना अकाल पड़ा।

तीसरा दोष उन कर्मचारियों में यह हो सकता है कि जिन पटवारियों को जिन जिन इलाकों में मुकर्रर कर रखा है, उन पर आपको पूरा भरोसा नहीं है। या तो पटवारी गांव में जाकर गिरदावरी नहीं करते और अगर गांवों में जाकर गिरदावरी करते हैं तो उन पर शक करना किसी तरह उचित नहीं।

सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, पटवारी आदि, उन पर सरकार को चाहिये कि पूर्ण रूप से विश्वास रखे। आपको अपने गिरदावरों पर और पटवारियों का विश्वास करना होगा। अगर आप उन पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको यह मानना होगा कि आपके पटवारी गांवों में जाकर गिरदावरी तैयार नहीं करते हैं और घर पर बैठे २ ही तैयार कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन कारणों के अलावा और भी कारण नहीं हो सकते कि जिससे पहले के कर छोड़ दिये जावें और उनको बाद में वापिस वसूल करें। इसके साथ साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष, एक चीज़ की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस सदन का भी ध्यान आकर्षित करूंगा वह यह है कि आपके जो कर्मचारी हैं जिनमें लाल फीताशाही भी है उनके हाथों में आप किसान की गर्दन दे रहे हैं जिसको वह जब चाहे, वह कर्मचारी जब चाहे तोड़–मरोड़ कर रख सकता है और आपके खजाने को किसी भी समय भर सकता है और खज़ाने में लाने के साथ साथ अपना पेट भी भर सकता है और किसान को किसी भी समय परेशान कर सकता है क्योंकि किसान जो है वह कानूनों से अनभिज्ञ है, अशिक्षित है, उनको कानून कायदों का कुछ भी पता नहीं उसको यह भी मालूम नहीं कि उसको किस समय इनकम टैक्स माफ हो गया है और जब एक दफा टैक्स माफ कर दिया जाता

(श्री गिरधारीलाल)

है तो फिर चार साल के बाद वसूल नहीं किया जा सकता। मगर जो आदमी कानून से अनभिज्ञ हैं, जिनको कानून का पता नहीं है, उस किसान से वे लोग लगान वसूल कर लेते हैं। इसलिये यह मान कर चलना पड़ेगा कि दूसरे साल अगर कोई लगान माफ हो चुका है और वह वसूल किया जाता है तो वह उसकी अनभिज्ञता का फायदा उठाया जा रहा है। किसान, जब उसका टैक्स माफ हो जाता है तो यह मान कर चलता है कि अगर इस साल टैक्स नहीं लगा तो वह कभी भी नहीं लगेगा। मगर सरकार पांच वर्ष पहले का टैक्स किसान से बाद में वसूल करने की बात करती है तो उससे सरकारी कर्मचारियों में फ्रिक्शन पैदा करता है। पटवारी, जो गांव गांव में जाता है, उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं और दूसरे पर जिसको हमने टैक्स वसूल करने के लिये मुकर्रर कर रखा है उस पर विश्वास करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का कर्मचारी चाहे पटवारी हो, चाहे वह टैक्स वसूल करने वाले हो, सरकार को चाहिये कि उन पर विश्वास करें। ये कुछ तरीके हैं जिससे किसानों को तंग किये जा सकते हैं। इससे मैं यह कहूंगा कि भ्रष्टाचार का रास्ता खुलेगा और जो सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको बढ़ावा मिलेगा और आगे चल कर इसका नतीजा भयंकर होगा।

आप जो टैक्स लगाना चाहते हैं, लगावें और जो अधिकारी आप रखते हैं आप उन अधिकारियों पर विश्वास रखिये और उनको ट्रेनिंग दें जिससे हमारे यहां सरकार में लाल फीतेशाही है वह निकल जावे और इमानदारी से लोग काम करें जिससे पिछले टैक्स वसूल करने की नौबत नहीं आवेगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो हम मयाद बढ़ा रहे हैं, यह उचित नहीं होगा। इससे किसानों के साथ बड़ा अन्याय होगा।

(श्री पी०के० चौधरी के बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : I hope, Mr. Chaudhary will realise the position.

श्री पी० के० चौधरी : Preference.

डॉ० चन्द्रकला : No question of preference, उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो प्रस्ताव राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ को प्रवर समिति में देने के सम्बन्ध में आया है मैं उसका विरोध करती हूं। यह जैसा कि देखने से मालूम पड़ता है कि एक बहुत छोटा सा बिल है केवल दो खण्डों का विधेयक है और इन दो खण्डों में केवल दो बातों की मांग की गई है जो भी एक दम साधारण सी हैं और एक मांग सरकार ने अपने लिये की है तो दूसरी पब्लिक के लिये कर दी है। इसमें पहला, खण्ड २ के अनुसार चार वर्षों के समय को ५ वर्ष करने के लिये प्रावधान रखा है और दूसरे क्लॉज में अपील करने के लिये समय ६० दिन का है उसको बढ़ा कर ६० दिन का किया गया है। केवल ये ही दो बातें हैं जिस पर सदन विचार करके इसका फैसला करे।

एक बात मुझे इसमें आवश्यक लगती है कि आखिर हमारी सरकार को चार वर्ष का समय मिला कि वह एग्रीकल्चरल इन्कम पर टैक्स निर्धारित करे, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या कारण हो गया जिसके

(डॉ० चन्द्रकला)

कारण वह इन चार सालों में उसे निर्धारित नहीं कर सकी और उसको एक साल का समय और मांगने की जरूरत पड़ी। इसमें कुछ अन्डर एसेस्ड हो गया है। at too low a rate रखे गये हैं। इससे हमारी सरकार की slackness मालूम होती है, उसको बचाने के लिये और इधर उधर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यही सरकार से निवेदन करूंगी कि वास्तव में सरकार की यह नीति अच्छी नहीं है कि अगर हमारे काम में कोई कमी रह गई हो तो विधेयक लावे और उसके द्वारा अपनी कमी को पूरा करें। जहां तक कर निर्धारित करने का प्रश्न है, मैं समझती हूं, कोई इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिये जिस धन की आवश्यकता होगी वह धन जनता से ही आवेगा और जनता उसको खुशी से देगी। लेकिन जब किसी भी तरह से हममें कमियें रह जावें और कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकें तो उसके लिये अगर रास्ता निकालते हैं तो यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को एक साल की अवधि चाहिये। यह एक दूसरी बात है। मगर सरकार ने इसके साथ साथ यह भी रख दिया है कि जनता को भी हमने कुछ दिया है, ६० दिन के बजाय अपील करने के लिये ९० दिन। मैं यह कहना चाहती हूं कि पहले जब मैंने संशोधन दिया था कि यह ६० दिन का समय अपील के लिये कम है उस समय यह जवाब दिया गया था कि समय कम नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के संबन्ध में सरकार यह मंजूर करती है कि न्यायालयों में जाने के लिये ६० दिन का समय कम है, ९० दिन होने चाहिये इससे पब्लिक को राहत मिलेगी। जब पब्लिक को राहत मिलेगी तो पब्लिक हमको एक साल का समय दे देगी। यह तो जरूर ढिलाई है। बाकी वैसे इस विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण इसको प्रवर समिति में भेज दिया जावे। इस पर तो सदन यहीं विचार करके यहीं फैसला कर सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करती हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will be very brief in your speech.

श्री पी० के० चौधरी : Yes. Very brief. I oppose this this motion for the Select Committee. मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में देने के लिये कोई विषय नहीं है। माननीय सदस्य ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जैसे आॅग्युमेंटस दिये हैं कि गरीब एग्रीकल्चरिस्टों से टैक्स लिया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। मैं तो यह करूंगा कि हम पूरा टैक्स टेप नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को टैप करने की प्रोब्लम है इसलिये उनका जो आॅग्युमेंट है वह गलत है कि गरीब किसानों पर यह टैक्स लग रहा है। हमने उनको काफी एग्जेम्पशन्स दे रखे हैं और जिनके पास काफी इन्कम होती है उन पर यह टैक्स लगता है। इसके बाद में बिल के सम्बन्ध में जो बातें कही है कि यह बिल like beating a dead horse. है, मेरे कहने

(श्री पी० के० चौधरी)

का मतलब यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर पिछले चार पांच सालों के आंकड़े देखेंगे एस्टीमेट के, और एक्चुअल्स के तो आपको मालूम होगा कि जिस साल का ऐस्टीमेट आपने लगाया १५ लाख का उस साल एक्चुअल ४॥ लाख हुआ सन् १६५७-५८ में आपका एस्टीमेट ८ लाख की आमदनी का हुआ, लेकिन एक्चुअल क्लेक्शन २॥ लाख का ही हुआ, लगभग २५ प्रतिशत या ३० प्रतिशत से ज्यादा एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स वसूल नहीं हुआ। यह मशीनरी के डिफेक्ट से हुआ या ऑफिसरों के करपशन से हुआ या कम्प्रोमाइज से हुआ, लेकिन यह चीज़ सही है कि वह ठीक तरह से वसूल नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का जो आइटम है वह राजस्थान में खत्म होने जा रहा है। जो बिग एग्रीकल्चरल इन्कम होल्डर्स थे वे लिक्विडेट हो चुके हैं और उसके बाद इसको पांच साल के बाद लाकर, कमियां हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। यह बिल तो सिर्फ ऑफिसर्स की इनइफिसियेन्सी को प्रीमियम देने का है। जब पांच साल में असेस नहीं कर सके तो दस साल में भी नहीं कर सकेंगे। यह जनता नहीं है जिनसे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लेते हैं, लेकिन उनसे लेते हैं जो इवेड करते हैं। ६० डेज़ का टाइम एक्सीड करता है तो यह किसानों के लिए ही नहीं है किन्तु कमिश्नर्स के लिए भी है। आप जनता को आगे करते हैं, लेकिन इसका फायदा कमिश्नर्स भी लेंगे। सारी की सारी बातों को देखते हुए, मैं तो यह समझता हूं, कि यह बिल not worth consideration in the House है, हाउस का समय नहीं लेना चाहिये। हर साल इसी तरह एक्सटेन्शन के लिए आते हैं। सेन्क्शन हम देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है, they don't act upto it. इसलिए मैं समझता हूँ कि एक्स्टेन्शन नहीं देना चाहिये और इस ख्याल से सदन कर दे कि उनके लिए एक्जेम्प्लरी होना चाहिये कि बार बार न करें। चार साल में जो परफोर्मेन्स रहता है, २५ से ३५ असेस किया और पांच साल बाद जाकर असेस्मेन्ट करना प्रेक्टकली प्रोसिबल नहीं है, इससे किसानों को हेरसमेन्ट होता है, इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के अन्दर संशोधन के सम्बन्ध में नोखा से आये हुए साथी ने अमेन्डमेंट रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बहुत बड़े तबके से सम्बन्धित है। यदि १०० में से ८० प्रतिशत किसान वर्ग टैक्स से प्रभावित हुआ हो और उसमें कमियां रही हों तो सदन का फर्ज होता है कि उन कमियों को दूर करे कि जिससे राज्य में वाजिब आमदनी बढ़े और साथ ही साथ जो टैक्स लिया जाय उससे किसानों पर जो संकट आता है उसकी परेशानी बढ़ती है, दुविधा जो उसको रहती है वह दूर हो सके। अब जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है इस एक्ट के अन्दर उसमें एक बात विशेष रूप से रखी गई है, लेकिन बाहर जिन लोगों पर इसका असर पड़ता है उनके पास में जाने से और आज हम उनसे पूछते हैं तो पता लगता है कि किसान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की वसूली से बुरी तरह परेशान हो रहा

(श्री मोहरसिंह)

है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी इलाके में मैं जाकर आया हूँ। लोगों को नोटिस इस बात का दिया गया कि नोटिस प्राप्ति के एक महीने के अन्दर कलेक्टर के पास जाकर उजरात पेश करो या जवाबदावा दो कि उनसे यह टैक्स क्यों न लिया जाय। वह जिस तरह से नोटिस भेजा गया है वह किस प्रकार का तरीका है? उसके बाद बहुत बड़ी परेशानी जो आज किसानों के सामने नजर आ रही है। हमने नया नारा लगाया कोऑपरेटिव फार्मिंग का, शायद मैं विषय से बाहर जा रहा हूं लेकिन चूंकि यह बात जरूरी है इसलिए मुझे कहना ही पड़ेगा कि एक तरफ तो जोइन्ट फार्मिंग का नारा लगाया गया और दूसरी ओर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि अपने खेतों को अलग अलग बटायें। जिनके पास ३०० बीघा जमीन है, पांच बेटे हैं पचास पचास बीघा हिस्से में आती है उनको भी नोटिस दिये गये हैं। एक तरफ कहते हैं कि सब मिल कर खेती करो और दूसरी तरफ उनको मजबूर कर रहे हैं कि खातों को आपस में कटाऐं अलग अलग जहां घर में चालीस पचास आदमी हैं वहां पर उनकी चार हज़ार की इन्कम का प्रोविजन रखा है, लेकिन यह ख्याल करना जरूरी है कि कितने आदमियों पर लगेगा। जोइन्ट फार्मिंग हो रहा है वहां पर भी नोटिस बराबर बांटे जा रहे हैं कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, चार हजार से आमदनी ज्यादा है, तुम जवाब दावा पेश करो, जिससे किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। इस लिए इसको प्रवर समिति को सौंपना चाहिये जहां पर इसके लिए विचार किया जा सके।

एक तरफ सरकार के ऑफिसर्स हैं, सरकार के कर्मचारी हैं इतने सरकारी नौकर हैं, पूरा ध्यान न रखें, अपना काम समय पर पूरा न कर सके और दूसरी तरफ हम यह उम्मीद करें कि किसान पांच साल के अकाउन्ट पेश कर सकेगा, यह कैसे वाजिब होगा? मैं महसूस करता हूं कि इस पर सही ढंग से विचार करना चाहिये और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए विचार होना चाहिये कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को वसूल करने का जो गलत तरीका है उसको कैसे सुधारा जा सकता है?

इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जहां कि जो इसमें कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करके सही ढंग से वापिस सदन में प्रस्तुत किया जा सके ताकि गवर्नमेन्ट को भी आमदनी हो और किसान भी परेशान न हो।

टैक्स का सवाल एक मुद्दे की चीज़ है, मैं जनरल चीज़ में पड़ जाऊंगा इसलिए इस समय उसको नहीं रखना चाहता कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगाने से क्या २ गड़बड़ियां हुई हैं। वास्तव में हमें चाहिये कि किसान को जो परेशानियां हो रही हैं, सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के ज़रिये से इस प्रकार जो उनके लिए चक्कर पैदा किये जाते हैं उनसे उनको बचाना है ताकि उसका दिमाग खेती के सिवाय अन्य कामों में न जावे। टैक्स की वज़ह से जितनी परेशानियां आज उसको हो रही हैं उनसे उसको बचाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को पूर्ण करता हूं।

Page No.68

श्री उपाध्यक्ष: The Hon'ble Minister

श्री सम्पतराम (उपमंत्री राजस्व विभाग): उपाध्यक्ष महोदय, ये दो बहुत ही इन्नोसेन्ट अमेन्डमेन्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में करने के लिए मूव किये गये हैं हमारा जो एक्ट है उसमें सेक्शन्स ५४ और ८६ का संशोधन करना है। माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के खिलाफ बहुत सी बातें कहीं, लेकिन गंभीरता पूर्वक इसको देखें तो न तो अमेन्डिंग बिल के ज़रिये एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को बढ़ाया जा रहा है और न ही ऐसी बात की जा रही है कि जिससे परेशानी हो। जब यह एक्ट लागू किया गया था तो इसके लिए अलग से मशीनरी कायम करनी पड़ी थी और इसके लिए खास तौर से ऑफिसर्स को ट्रेन्ड भी करना पड़ा। जितना असेसमेन्ट हुआ, उससे मालूम पड़ा कि बहुत से ऐसे केसेज़ रह गये हैं कि जो असेस होने चाहिये, हुए नहीं, कुछ केसेज़ में कम हुआ और कुछ केसेज़ नजर में आये ही नहीं। जब ५४-५५ में कोई केसेज़ नज़र न आया हो और यदि ५५–५६ में आ गया हो तो असेसिंग ऑथोरिटी के दिमाग में यह आया कि उस साल में भी शायद ऐसी गलती हो गई होगी। इसी कारण से ऐसा किया है। गंगानगर में खास तौर से ऑफिसर्स की स्ट्रेन्थ को बढ़ाया है। पहले डिस्कशन में बातें आयी हैं उसके लिए निवेदन करूंगा कि इवेज़न टैक्स का बहुत होता है। बेईमानी को रोकने की बात है। किसी आदमी ने टैक्स नहीं दिया, जितना देना चाहिये था उतना नहीं दिया। जो भी छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए समय बढ़ाने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है।

इसके अलावा असेसी और डिपार्टमेन्ट दोनों को अधिकार दिये हैं। यह डिपार्टमेन्ट और असेसी दोनों के पक्ष में है। यह कोई बेसिक और फन्डामेन्टल चीज़ नहीं है। यह तो बहुत छोटा सा अमेन्डमेन्ट है जिसके ज़रिये जिनको नोटिश नहीं दिया गया हो उनको नोटिस दिया जायगा ताकि जो टैक्स उनमें बाकी है वह वसूल हो सके, इसलिये ऐसा कोई टेक्निकल बात नहीं है जिसके कारण इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। टैक्स के बढ़ाने की कोई बात होती तो शायद सोचा जा सकता था। यदि कोई बेसिक चेन्जेज़ करनी होती तो पब्लिक ओपीनियन के लिये भी भेजा जा सकता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यह एक प्रकार से कॉन्सिक्वेन्सल अमेन्डमेन्ट है जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: (श्री गिरधारीलाल से) क्या आप विथ्ड्रॉ कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल: (नोखा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: It means you are not withdrawing.

श्री गिरधारीलाल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि पांच साल के पीरियड का आप वसूल करने जा रहे हैं तो मेरा आप से निवेदन है कि किसान यह किस प्रकार साबित करेगा कि सन् ५४ के अन्दर उसको इतनी आमदनी हुई थी, जब कि किसान अनपढ़ है अपनी आमदनी का हिसाब किताब रखता नहीं, रेकर्ड नहीं ? उसको साबित करना मुश्किल हो जायगा, वह किस प्रकार से साबित करेगा।

श्री सम्पतराम : यह तो हम मानकर चलते हैं कि आज का किसान नासमझ नहीं है, समझदार है। सवाल इसमें यह भी है कि जो नये केसेज़ नोटिस में आये हैं उनको रेगुलराइज़ किस प्रकार से किया जाय ? जो केसेज़ पेन्डिंग हैं उनके ऊपर तो यह लागू होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकलचरल इन्कमटैक्स बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इकन्मटैक्स बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

विधेयक पारित किया गया।

श्री गिरधारीलाल : On a point of order, Sir, माननीय उप-मन्त्री महोदय ने बिल को पारित करने का प्रस्ताव नहीं किया। बिल को पारित करने से पहले उनका प्रस्ताव होना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : These are not material points. The question has been disposed of.

श्री सतीशचन्द्र अगवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर): But it should not be granted....

श्री उपाध्यक्ष : Yes. In future it should not be granted.

श्री गिरधारीलाल : क्या पता वे पारित नहीं करवाना चाहते हों।

श्री उपाध्यक्ष : Please cure the defect.

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मन्त्री समझते नहीं हैं तो जवाब देने क्यों खड़े हो जाते हैं ? दो साहब" को देने देते।

श्री सम्पतराम (उप-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर एन्कम टैक्स बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिल पारित किया जाता है।

२. ३५ म० प०

राजस्थान विक्री-कर (संशोधन) विधेयक १६५६;

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

Page No.70

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : अब तो वह स्टेज़ पास हो चुकी।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ था बोलने के लिए किन्तु आप खड़े थे, अतः मैं बैठ गया। मेरा जो इस पर बोलने का अधिकार है वह नहीं जा सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप खड़े होने के बाद में बैठ गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : I allow the Hon'ble member becuase I was attentive to that question.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स संशोधन विधेयक जो हमारे सामने विचारार्थ लिया जा रहा है इसमें भी उसी प्रकार के प्रोविज़न रखे हैं जैसे प्रोविज़न कि अभी एग्रीकलचरल इन्कमटैक्स में रखे गये थे। इसमें भी जिन जिन में बकाया है उनकी वसूली के लिये एक साल की मियाद और मांगी है। उपाध्यक्ष महोदय मैं तो यह नहीं कहता जैसा कि अभी अभी उप मन्त्री महोदय ने जवाब देते हुए कहा था कि यह तो एक छोटा सा अमेन्डमेंट बिल था, इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता जिससे कि जनता को हेरेस किया जा सके। इसमें भी कोई नया टैक्स प्रोपोज़ नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा ख्याल है टैक्स आप नया तो प्रपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनमें पुराना बकाया है उसको वसूल करने के लिए लिमिटेशन की और समय की मांग की है वह किस नीयत से मांग की है इस नीयत को हम समझते हैं और सारा सदन समझता है। जिस प्रकार की दलील आपने एग्रीकलचरल इन्कमटैक्स बिल के सम्बन्ध में दी है वह दलील इस पर नहीं दी जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जवाब देते हुए यह कहा गया था कि सन् ५३ के अन्दर एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स लागू किया गया था उस समय हमारी जो मशीनरी थी वह इतनी समझदार और इतनी योग्यता रखने वाली नहीं थी कि किस किसान की आमदनी कितनी हो सकती है। मैं इस बात के लिए उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा वहां तो ऐसी स्टेज हो सकती है क्योंकि एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स के बारे में जो रेकार्ड होना चाहिये वह किसान के पास नहीं होता है। लेकिन जहां तक सेल्स टैक्स का सवाल है यह उन व्यापारियों से सम्बन्ध रखता है जिसके पास नौकर होते हैं, पैसे वाले होते हैं और उनके पास रेकार्ड होता है। उस रेकार्ड के होते हुए भी उन लोगों से सेल्स टैक्स का वसूल नहीं किया जाना, यह हमारे राज्य कर्मचारियों की अयोग्यता का परिचय देती है। इसमें भी टैक्स के वसूल करने की मांग है, इस पर सदन गौर से विचार करे। इससे ऐसा पता लगता है कि जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी मशीनरी है, जो मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, जो छोटे लोग अपनी मज़दूरी करके जीवन यापन करते हैं उनको किसी तरह से हेरेस किया जा सके। मैं

(श्री गिरधारीलाल)

समझता हूँ इस प्रकार के कानून बनाना यह आपकी नीति के खिलाफ है। आपका कोई टैक्स छूट गया है तो उसको पांच साल के बाद भी वसूल कर सकें। आज जिन कर्मचारियों के ऊपर लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं और जिसके लिये जनता से टैक्स लेकर उनको दे रहे है तनख्वाह के रूप में। उन्होंने या तो टैक्स वसूल नहीं हो सकता है वे उनसे मिल गये हों। इस प्रकार टैक्स का वसूल न होना उन कर्मचारियों की अयोग्यता का परिचय देता है, जो रेकार्ड देख कर भी पता नहीं लगा सकते कि इनसे कितना टैक्स वसूल करना है।

इसके अलावा दूसरी धारा में जो संशोधन आया है उसके अनुसार अपील कर सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं लेकिन अब सरकार ने इसमें भी अमेन्डमेन्ट का प्रोविज़न किया है। कि सरकार ने जो रिवीज़न का पहले पॉवर दिया था वह छीना जा रहा है। अब सरकार ने यह कहा है कि कोई भी अपील कर सकता है। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, होगा तो वे बतावें। मेरी समझ में नहीं आया कि एक आदमी रिवीज़न करता है तो इसमें सरकार का क्या नुकसान होता है? तो फिर अपील के ही लिये छूट देना और रिवीज़न का रास्ता बन्द कर देना उचित बात नहीं है। अपील में उसको ज्यादा पैसा लगेगा। इससे यह भी सरकार की मन्शा हो सकती है कि वे लोग जो कानून से अनभिज्ञ हैं और नहीं जानते कि अपील की कितनी मियाद होती हैं तो उनकी अनभिज्ञता का भी फायदा उठाया जावे। रिवीज़न कर सकता था, इसके लिये अपील की तरह समय की मयाद नहीं होती, वह तो सरकार ने बन्द कर दी और अपील का बहुत थोड़ा समय मिलता है, महीना भर तो वह भी अनभिज्ञता के कारण निकल सकता है। तो इस तरह से सरकार हर तरफ से अपने कर्मचारियों के हवाले लोगों को सौंप रही है, जो इतने ईमानदार और सज्जन नहीं हैं। उनमें अभी तक जनतान्त्रिक भावना भी नहीं बन पाई है और सरकार भी इस ग्यारह साल के अर्से में वह भावना नहीं बना पाई है। तो ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जनता की गरदन दे रही है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस मसले को अच्छी तरह से, गम्भीरता से सोचे और माननीय उप मन्त्री भी इस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon' ble Minister.

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातों का प्रयत्न किया गया है। एक तो असेसी जितने हैं उनको फायदा हो और दूसरा हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर जो दिक्कतें हमें मालूम हुई हैं वे दूर हों और टैक्स इवेजन को दूर किया जावे।

रिवीज़न के बारे में कहा गया। यह इसलिए बन्द किया गया है कि पहले क्या था कि अपील में लोगों को सिक्योरिटी के बतौर एडवान्स में जमा कराना पड़ता था और इस वजह से लोग रिवीज़न की दर्ख्वास्त दिया करते थे और इससे डिप्टी कमिश्नर के यहां कागजों का ढेर लग जाता था। और वह

(श्री सम्पतराम)

जल्दी से उन सबको डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकता था अब हमने यह किया है कि अपील में टैक्स पहले सारा जमा कराने का प्रोवीजन हटा दिया है। इसको थोडा ढीला किया है। टोकन रूप में कुछ जमा करा कर अपील करे। एक और भी बिजनैसमैन को सहूलियत दी है, इससे यह होगा कि टैक्स सही रूप में हमारे पास आए, कोई छिपा नहीं सके और उनको भी पूरा जमा कराने की परेशानी न रहे और अपील कर सके। इसमें सख्ती जरूर की गई है कि टैक्स सरकार को मिले इसमें किसी तरह का इवेजन न हो। अत: बिल को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है, यहीं पास होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल : मैं इसका जवाब दूँ?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : आप अगर आज्ञा दें तो। बोल तो सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Your right does not exist.

प्रश्न यह है कि इसे प्रवर-समिति में भेजा जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल, १६५६ को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे, मैं इसका विरोध करता हूं।

अभी अभी "यात्री कर" जैसे विधेयक के बारे में सदन में बहस चल रही थी तो माननीय उपमन्त्री महोदय ने यह विचार प्रकट किया था कि बहुत से विधेयकों का विरोध, विरोध के लिये करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विरोधी दल का ताल्लुक है, मेरी यह मान्यता है कि वह हर मुद्दे पर कानून की नजरिया से विचार करता है, केवल विरोध करना है इसलिये कभी नहीं करता। पर जहां तक राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेंट) बिल का ताल्लुक है माननीय मन्त्री महोदय ने सिलेक्ट कमेटी के रेफरेन्स के उत्तर में जो विचार प्रकट किये उनको सुनकर मैं आश्चर्य में रह गया और सोचने लगा कि आया माननीय उप मन्त्री महोदय ने इस कानून को पढ़ा भी है या नहीं। उद्देश्य और कारणों में यह लिखा कि हम सरल बनाने जा रहे हैं इसके प्रोसीजर को अपील में टैक्स का रुपया जमा कराना पड़ता था और रिवीज़न में कागज़ बहुत इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि इसलिये हम रिवीज़न का प्रोविज़न हटा कर अपील का रख रहे हैं और रुपया जमा कराने की बन्दिश को ढीला कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें कह कर वे शायद भोली-भाली जनता को बहका सकते हैं पर जहां तक कानूनी जानकारी का सवाल है, मैं उनको चुनौती दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही है तो उनके कहने और करने में बहुत अन्तर है। इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कानून के द्वारा रिवीज़न अब कोई नहीं कर सकता अपील ही कर सकेगा । मैं पूछना चाहूंगा कि किसी आदमी की अपील की अगर मियाद निकल गई, इस कारण कि वह आदमी यात्रा पर चला गया, विदेश में चला गया और पीछे वकील की उपस्थिति में निर्णय हो गया, और इसके बाद ३० दिन का समय निकल गया और वापिस यात्रा से नहीं आ सका और किसी कारण से रह गया, तो क्या वह फिर भी अपील कर सकेगा; नहीं कर सकेगा। असेसमेंट के खिलाफ रिवीज़न और एग्ज़ामिनेशन भी नहीं करा सकता क्योंकि इसका तो प्रोवीज़न पहले ही हटा दिया गया है । कोड आफ सिविल प्रोसीजर में भी हाईकोर्ट तक रिवीज़न का पॉवर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष इन्डियन इन्कम टैक्स एक्ट तक में रिवीज़न का पॉवर है। एक साल की मयाद है, रिवीज़न कर सकता है । एक साल की अवधि तक । अपील का समय अगर निकल गया है तो रिवीज़न साल भर तक कर सकता है और इसके अनुसार जितना रिलीफ मिलना है वह प्राप्त कर सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का प्रोविज़न इस कानून के अन्दर करके कि अपील राइट दिया गया है, रिवीज़न का राइट छीन लिया गया है । चाहे सेल्स टैक्स एक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स हो, पंचायत एक्ट हो, इण्डियन इन्कम टैक्स एक्ट हो, इण्डियन पीनल कोड हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड हो, इन सारे कानूनों के अन्तर्गत रिवीज़न के पॉवर्स मौजूद हैं । रिवीज़न का अधिकार लोगों को दिया गया है । उस सारे राइट से लोगों को डिबार करना और अधिकारों को छीनना और यह कहना कि हम लोगों के सुभीते के लिए इस प्रकार का रद्दोबदल करने जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बातें कहना सत्य पर पर्दा डालना है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उन्होंने रिवीज़न के बारे में निश्चय किया है उसके ऊपर पुनः गंभीरता से विचार कर लें । के २२ वें सेक्शन में संशोधन किया है और वह कि किसी भी एसेसी की और डीलर की अकाउन्ट बुक उसके रजिस्टर्स और उसके हिसाब-किताब की सारी चीजें कोई भी एसेसिंग ऑथोरिटी जब्त कर सकती है और गोडाउन में घुसकर सारी किताबों को कब्जे में ले सकती है । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह प्रोविज़न नहीं किया कि वे जब्त की हुई किताबें, रजिस्टर्स कितने दिनों तक वह असेसिंग ऑथोरिटीज़ अपने पास रख सकती हैं । नतीजा क्या होगा कि सेल्स टैक्स के डिपार्टमेन्ट की यह हालत है कि किसी भी अधिकारी की एसेसी से दुश्मनी पैदा हो गई और उसने उससे कह दिया कि मेरे लड़के की शादी है उसमें मोटर भेजना, और अगर उसने ऑर्डर दिया कि तुमको कपड़ा भेजना है और कपड़े के व्यापारी ने उसको उधार नहीं दिया तो आप जानते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा । मैं माननीय मंत्री महोदय को इस प्रकार के कई इन्सटान्सेज़ बता सकता हूं कि सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने एसेसी को परेशान किया, उनके हिसाब-किताब के सारे रजिस्टर्स को जब्त किया और इतना ही नहीं अकाउन्ट्स बुक को इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया । मैं समझता हूं कि किसी के हिसाब-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किताब के रजिस्टर्स को इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट को सौंपना या किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट को सौंपने का अधिकार उनको नहीं है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट लोगों की अकाउन्टस बुक को जब्त कर सकता है लेकिन जो सीक्रेट डॉक्युमेन्ट्स हैं उनको किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट को पास ओवर नहीं कर सकता, किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई चीज की जाती है तो यह ब्रीच ऑफ कान्फीडेन्स और ब्रीच ऑफ सीक्रेसी है। इसके अन्दर इस प्रकार का प्रोवीज़न नहीं है कि कितने दिनों के बाद जब्त की गई किताबें लौटा दी जायेंगी। इसके अन्दर कई पशोपेश सामने आ सकती हैं, कोई हिसाब लिखना हो सकता है, किसी की मियाद निकल सकती है और आदमी दावा नहीं कर सकता। फिर इसके बाद आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी ऑथोरिटी जब्त कर सकती है और एन्टर कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि एसेसिंग ऑथोरिटी में कई अधिकारी आ सकते हैं; आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि अमुक ऑथोरिटी केवल परमिशन के आधार पर किताबें जब्त कर सकती है और एन्टर कर सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजा क्या होगा कि हर कानून में संशोधन आप करते हैं और इससे एक ओर जहां लोगों को असुविधा होती है तो दूसरी ओर जो बड़ी चीज है वह यह है कि भ्रष्टाचार को सब जगह बढ़ावा मिलता है। आपने असेसिंग ऑथोरिटी को अधिकार दे दिये तो सेल्स टैक्स ऑफिसर भी एसेसिंग ऑथोरिटी हो सकती है तथा असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर भी एसेसिंग ऑथोरिटी हो सकता है। इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए लोगों के गोडाउन्स में एन्टर करेगा और सारी अकाउन्ट्स बुक को जब्त करेगा और जब तक चाहेगा जब तक उसकी इच्छित आकांक्षा पूरी नहीं होगी तब किताबों को अपने कब्ज़े में रखेगा। नतीजा यह होगा कि किताबें वापिस नहीं मिलेंगी, बिज़नेस टप्प हो जायेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिल के अन्दर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, किसी ऑथोरिटी का स्पेसिफिकेशन नहीं किया, कोई समय निर्धारण नहीं किया कि एसेसिंग ऑथोरिटी कितने दिनों तक किताबें रख सकती है। यह नहीं लिखा है कि कितने दिनों में किताबें वापिस दे दी जायेंगी। मैं इस बात का हामी हूं कि जो भी व्यक्ति टैक्स इवेड करता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप उनकी अकाउन्ट्स बुक को ले सकते हैं, उनके रजिस्टर्स को चैक कर सकते हैं और यह सारा करने के बाद अगर कोई व्यक्ति टैक्स को इवेड करता है तो उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन यह नहीं कि आप उनके रजिस्टर्स को दो साल तक नहीं लौटायें। आपको इसमें पीरियड प्रेस्काइब करना चाहिए था कि एक महीने के अन्दर, दो महीने के अन्दर, छः महीने के अन्दर सारी अकाउन्ट्स बुक और जितने भी डाकुमेन्ट्स जब्त किए हैं सारे के सारे स्क्रुटीनाइज करके वापिस लौटा दिए जाएंगे। इस प्रकार का पीरियड का स्पेसिफिकेशन नहीं किया। मैं समझता हूं कि आप पन्द्रह दिन की बात करते हैं, अगर एक महीने के लिए भी राजी हो जायें तो अच्छा होगा। पर मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय राजी नहीं होंगे। मैं समझता हूं

Page No.75

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय मन्त्री महोदय को यहां कोई सुझाव दिए जाएं, यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि मैं तो फुल्ली कॉम्पीटेन्ट हूँ, पर कोई भी डिप्टी मिनिस्टर ऐसा नहीं समझता कि मेरे पास पॉवर्स हैं। जैसा भी लॉ डिपार्टमेंट ने बिल बना दिया और हाउस में पेश हो गया, अगर वह पास नहीं हुआ तो हमारी प्रेस्टीज खत्म हो जायेगी, अगर ऐसा ही है तो फिर आप बिल अपनी कांग्रेस पार्टी में पास कर लीजिए, बहुमत आपका है, आप अपने आप छाप लगवा लीजिये। आवश्यकता क्या हैं इस सत्र की ? आप कानून सदन में पेश करते हैं उसके ऊपर सजेशन्स इन्वाइट करते हैं, उसके ऊपर डिबेट और डिसकशास भी अलाऊ करते हैं और अगर वह डिस्कशन और डिबेट के लिए ही नहीं है तो वेल्यु-एबल सजेशन्स का आप स्वागत करते हैं तो ये सजेशन्स आपके सामने हैं, लेकिन इन सजेशन्स को कोई भी इन्कार्पोरेट करने के लिये तैयार नहीं होता। . .

श्री उपाध्यक्ष : are we not going beyond the scope of the Bill. You are speaking on the co-operation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am speaking on the co-operation and corruption and everything Sir, लेकिन परिस्थिति ऐसी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किया क्या जाये ? अभी सदन में कुछ देर पहले यह प्रश्न उठा था कि यह फाइनेन्शियल बिल है और इसके बारे में मैं समझता हूं कि इन सब को पाइलेट करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री जी की है। दुर्भाग्य हमारा और राजस्थान का कि हमारे वित्त मन्त्री जी फाइनेन्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, फाइनेन्शियल बिल के बारे में नहीं जानते और उन्होंने सारी जिम्मेदारी केवल एक बात कह कर कि हमारे वित्त सचिव इतने योग्य हैं, इतने इन्टेलीजेन्ट हैं कि सारी बातों पर आंख मीच-कर दस्तखत कर देते हैं . .

श्री उपाध्यक्ष : I will again request the Hon'ble Member to speak relevant to the question.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes sir. I am speaking to the question. मैं निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष, महोदय कि इस प्रकार की सारी परिस्थितियों में हम कानूनों में संशोधन लाते हैं। लेकिन केवल कानून लॉ डिपार्टमेंट ने बना कर भेज दिया, कुछ संशोधन होनेचाहिये और यह कह कर कि हमने जनता की सुविधा के लिए किया है, अगर आप समझते हैं कि जो बातें मैंने रखी हैं उन सारी बातों से साबित हो गया कि अगर उनकी सुविधा का सवाल आपके सामने था, यदि आप चाहते थे कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकना है तो हमारी कही हुई बातों पर ध्यान देना चाहिये। हमारे माननीय मन्त्री महोदय यहां पर कह तो देते हैं कि विरोधी दल हर बात का विरोध करते हैं। पैसेन्जर्स गुड्स ट्रान्सपोर्ट बिज़नेस का और इस प्रकार का बिल होगा उसका विरोध करेंगे लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्या करें ? विरोध नहीं करें, आप हमारी बात नहीं मानते हैं। न मानें, लेकिन आपकी जो कमेटीज़ हैं, आपकी जो बनाई हुई कमेटीज़ रिपोर्ट देती हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी आप नहीं मानते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

३ म० प०

हैं। उनके ऊपर भी चढ़ कर आप काम करते हैं। आपने एक फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी बनाई, उसने रिपोर्ट दी कि राजस्थान के अन्दर सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल स्थापित होना चाहिये। आप सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल को भी बनाने के लिये तयार नहीं हैं। फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट के पेज १६४ पर है, उसने रिकमन्ड किया है कि राजस्थान के अन्दर सेल्स टैक्स की जो ऑथोरिटी है और असेसमेन्ट है उसके खिलाफ अपील का अधिकार केवल सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल को होना चाहिये, डिपार्टमेन्टल हैड्स को नहीं होना चाहिये, डिपार्टमेन्टल हैड कोई न्याय नहीं कर सकता। नीचे के अधिकारियों के साथ सम्पर्क रहता है उसके अन्दर वह किसी प्रकार के चेन्जेज़ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में उनको मानना चाहिये था कि इस प्रकार के सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल बनने चाहिये। सेल्स टैक्स एडवाइज़री कमेटी के लिए कहा तो उसको भी मानने के लिये तैयार नहीं है। कमेटी रिपोर्ट में है कि इन्टेलीजेन्स ब्रान्च रखनी चाहिये। कुछ डीलर्स हैं जो टैक्स इवेड करते हैं, इन सारी बातों के बारे में जानकारी करके राज्य सरकार को यह रिपोर्ट दी कि इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट कायम होना चाहिये। उसको आपने नहीं बनाया, केवल आपने तो चैक पोस्ट कायम कर दी। चैक पोस्टों पर क्या होगा कि बाहर से जब सामान आये तो आप चैक पोस्ट के ऊपर उन चीजों की जांच करेंगे। अगर कोई मोटर गाड़ी आ रही है और उसके यात्रियों के पास सामान है तो चैक पोस्ट के उपर गाड़ी रोकी जायेगी, पैसेन्ज़र्स को उतारा जायगा और नतीजा क्या होगा... गाड़ी दो घन्टे लेट होगी। परेशान होंगे पैसेन्जर्स केवल इस बात के कारण। चैक पोस्ट के ऊपर या चुंगी की चौकी के ऊपर, अगर माना कि, किसी ने दे दिया तो मन्त्री महोदय को उन दिनों की याद दिलाना चाहता हूं जब कि राजस्थान में रियासतों में कस्टम लगा हुआ था। उन कस्टम की चौकियों पर किस प्रकार की चोरियां हुआ करती थी। कस्टम की चौकियों पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोल बाला था। लाखों-करोड़ों रुपयों का माल इधर से उधर जाता था। यह मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के चैक पोस्ट कायम किये गये तो चैक पोस्ट कायम करने का कारण आपके मन में यह भावना हो सकती है कि राजस्थान में आने वाला गुड्स है, माल है उस पर सेल्स टैक्स देना होता है, तो उसको चैक करना होगा, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जिस प्रकार की मशीनरी गवर्नमेंट की आज है, जिस प्रकार के कर्मचारी लोग काम करते हैं, उस आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चैक पोस्ट कायम करेंगे, आज भी इस प्रकार की चुंगी-चौकियां बनाई गई हैं, उन चौकियों पर रहने वाले कर्मचारी माला माल हो जायेंगे। चौकियों पर रहने वाले कर्मचारी भ्रष्टाचार के शिकार बनेंगे। चौकियों पर रहने वाले कर्मचारी यात्रियों को परेशान करेंगे, घण्टों बस को रोकेंगे, माल का चैकिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यात्रियों में सभी प्रकार के लोग हो सकते हैं। बच्चे पुरुष और महिलाएं भी हो सकती हैं। महिला यात्री होंगी तो मैं

Page No.77

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समझता हूं कि २ घण्टों में उनको सामान का चैकिंग खत्म नहीं होगा । आखिर ये सारी बातें हो सकती हैं, तथा और भी बातें हो सकती हैं, उन को डिटेन भी किया जा सकता है, रोका जा सकता है । दूसरी बन्दिशें रखी हैं, वे ४ घण्टों का टाइम लगायेंगी, कहेंगे कि दूसरा काम कर रहे हैं । तुम्हारे सामान को चेक करने की जिम्मेदारी तो नहां है...

श्री उपाध्यक्ष : Should I again persuade you to come to the question ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This question is very important.

श्री उपाध्यक्ष : But not with so many diversities.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Life is full of diversities, Sir.

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की जो बातें इसमें रखी हैं वे बातें कहने में बड़ी सरल लगती हैं । बड़े ढंग से रेशमी चद्दर में रखने की कोशिश की है कि सेल्स टैक्स में जो एमेंडमेंट किया जा रहा है वह बड़ा फॉर्मल है, नोमीनल है और प्रोसीजरल है । इसके अलावा बहुत बड़े चेन्जेज़ नहीं हैं । मैं समझता हूं कि जो कुछ भी किया जायगा वह फॉर्मल, नॉर्मल नहीं, सारी बातें एब्नॉर्मल हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारी बातों के बारे मे हम विचार कर लें और विचार करने के साथ में समझ में नहीं नहीं बैठे तो इस संबंध में लॉ डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट से विचार कर लें और विचार करने के बाद में जो मैंने सुझाव दिए हैं रिविज़न के बारे में, चैक पोस्ट के बारे में इन्टस्ट्रियल की तरह सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के सेटअप के बारे में, इन सारे प्रोविज़न्स को इन्कॉरपोरेट करने के बाद इस कानून को इस सदन में लायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम भी साथ में होंगे, और जो हम पर आरोप लगाया जाता है कि केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं तो वह दूर हो जायगा, नहीं तो मैं भी आरोप लगाऊंगा कि हमारी बात नहीं मानते हैं और वह केवल इसलिए नहीं मानते हैं कि उनकी बात नहीं मानना है, यह बात तय करके, सोच कर, समझ कर यहां सदन में बैठे हैं । आप लॉकअप करके अपने दिमाग को बन्द करके नहीं बैठें और अपने दिमाग को ओपन में रखें । आपको ओपन टू करेक्शन होना चाहिये और जो सुझाव और जो बातें यहां कही गई हैं उन सुझावों को इन्कॉरपोरेट करना चाहिये । इस भावना के साथ साथ जो कुछ मैंने सुझाव रखे हैं उन पर विचार करेंगे और फिर उत्तर देंगे क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्लाई नहीं होगा । इसलिए इन सारी बातों और सुझावों पर विचार करें । इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयकको विचारार्थ लिया गया ।

Is there any amendment on clause 7 ?

Page No.78

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Yes, Sir, I have got an amendment on clause 7.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ से लेकर ६ तक स्वीकार किए जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ से लेकर ६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ७।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एमेंडमेंट पार्ट (ए) के लिए दिया था लेकिन मैं सारी क्लॉज़ ७ को ऑपोज़ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Dr. Bhadur Singh.? The amendment is bout sub-clause 7 (a).

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : अमेंडमेंट्स हम लोगों को नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष : डिलिट का है।

श्री पी० के० चौधरी : It was not wrongly supplied, which ought to have been circulated.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : The amendments have not been circulated to the Hon' ble Members.

श्री उपाध्यक्ष : Is the objection so seriously taken up ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir, I take it very seriously. My objection is, why my amendment was not taken up. I was given to understand that it is an effective motion making an effective change in the provisions of this Bill.

श्री उपाध्यक्ष : Then you can oppose the clause.

श्री पी० के० चौधरी : I am opposing the clause, as well as I would like to register my views that it is a case in which the Assembly Secretariat has withheld the amendments. It is, I think, the first case where that has not been circulated.

श्री उपाध्यक्ष : It is first time...

श्री पी० के० चौधरी : On a part of the cluase asked to be deleted it is the first time that it has been withheld with the explanation that it is an effective amendment...

श्री उपाध्यक्ष : It was withheld only because the Secretariat wanted to consult you. I will look into the matter and I assure that it will not re-occur-

श्री पी० के० चौधरी : I will now oppose the whole clause 7 as such.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : He is moving any amendment ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Mr. P. K. Chaudhary.

Page No.79

श्री पी० के० चौधरी : Pardon.

श्री उपाध्यक्ष : You can oppose the clause.

श्री जनार्दनराय नागर : He is not moving any amendment.

श्री उपाध्यक्ष : He is opposing the clause.

श्री जनार्दनराय नागर : I wanted to know...

श्री पी० के० चौधरी : The amendment is there.

श्री जनार्दनराय नागर : So, is he moving the amendment ?

श्री पी० के० चौधरी : I am opposing the clause.

श्री उपाध्यक्ष : Yes please, begin.

श्री जनार्दनराय नागर : So he is now opposing the clause.

श्री पी० के० चौधरी : क्लॉज ७ में, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन १२ का एमेंडमेंट किया जा रहा है और वहां पर ३ साल के अन्दर असेसमेंट का जो क्लॉज़ था, टाइम बढ़ा कर ४ साल का करना चाहते हैं। उसके साथ साथ में जो पार्ट (बी) है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो एमेंडमेंट लाया जा रहा है उसका रिजल्ट यह होता है कि...

श्री जनार्दनराय नागर: On a point of order, sir, shall we have the right to support the clause.

श्री पी० के० चौधरी : Yes, every body can.

श्री उपाध्यक्ष: Yes, that is a common right.

श्री जनार्दनराय नागर : No Sir, shall we have the time to support the motion.

श्री उपाध्यक्ष : Yes you will have.

श्री जनार्दनराय नागर : Thank you, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : I think the Hon'dle member has never opposed the bill.

श्री जनार्दनराय नागर : I am simply opposing your opposing the Clause.

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय सदस्य को अपनी सीट पर आकर बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : I am not entertaining it. There should not be any exchange of views direct. I thought it must have been a serious point of order.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय In original Section 12 they are trying to make a substituition.

(a) For the words "three years"

(श्री पी० के० चौधरी)

the words "four years" shall be substituted, and.

(b) for the words "assess the tax payable on the turnover which has escaped assessment or levy the correct amount of registration fee or exemption fee after issuing a notice to the dealer and after making such enquiry as he considers necessary, the words "may serve on the dealer liable to pay the tax in respect of such turnover or such registration fee or exemption fee a notice in the prescribed form and may proceed to assess or reassess the amount of the tax or levy the correct amount of registration fee or exemption fee from such dealer' shall be substituted."

उपाध्यक्ष महोदय, इसको सब्सटिट्यू करने के बाद इसका मतलब यह होता है कि किसी कोर्ट में केस है या कैसा भी केस है, इस अमेन्डमेन्ट से इतना लेटिट्यूड दिया जाता है कि न केवल ४ साल के अन्दर अन्दर असेसमेन्ट करेंगे लेकिन ४ साल के अन्दर नोटिस सर्व कर देंगे और उसके बाद असेसमेन्ट चाहे १० साल बाद करें या १५ साल बाद करें उसमें ऐतराज नहीं होगा, ऐसे पॉवर्स दिये जाते है। इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स को आप देखेंगे तो उसमें कहा है "The period fixed for such assessment is three years and unlike the provisions of the Rajasthan Agricultural Income Tax Act, 1953 or of sales tax laws in other States, is so worded that any assessment beyond the said period of three years may be held to be invalid. It is therefore proposed to raise the period of three years to four years and to alter the provision so that if a notice is issued within that period the process of making the assessment may continue even beyond that period.

उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह होता है कि ४ साल के अन्दर एसेसमेन्ट नहीं होता, लेकिन चार साल पूरे होने से एक दिन पहले वे एक नोटिस सर्व कर देंगे, उसके बाद १५ साल बाद भी असेसमेन्ट करें तो भी वह वेलिड होगा। इसमें यह भी कहा कि किसी कोर्ट में डिस्प्यूट है और उसका फैसला तीन या चार साल में होता है और फैसला होने के चार साल पूरा होने से एक दिन पहले भी नोटिस देंगे और नोटिस देने के १५-२० साल बाद भी असेसमेन्ट करेंगे तो वह वेलिड माना जायगा। इस तरह का अमेन्डमेन्ट सदन में लाना और वाइड पॉवर्स देना सिर्फ इनएफिशियेन्सी को प्रोत्साहन देना होगा। ऐसे वाइड पोवर्स देने नहीं चाहिये। यह एब्सर्ड मालूम होता है। नोटिस देने के बाद १०-१५ साल तक भी असेसमेन्ट नहीं करेंगे तो हैरेसमेन्ट करने की गुंजायश ज्यादा रहती है क्योंकि इतने समय तक रेकार्ड रहता नहीं है। अगर आपको अमेन्डमेन्ट ही लाना था तो लूप होल्स हैं उनके लिए लाना चाहिये था। आज कुछ केसेज़ चल रहे हैं, जैसे कुछ बसेज़ वालों ने खुद के पेट्रोल पंप लगा लिये हैं, वे उसमें से पेट्रोल लेते हैं और उनको सेल्स टैक्स देना नहीं पड़ता है क्योंकि taxes on sales and taxes on consumption. तो गवर्नमेन्ट उनसे टैक्स वसूल नहीं कर पाती

(श्री पी० के० चौधरी)

है जो हाज़रों गैलन पेट्रोल लेते हैं वे इवेड कर जाते है, उनसे आप सेल्स टैक्स नहीं ले सकते तो यहां पर कोई इफेक्टिव चीज़ लानी चाहिये। जैसे मेन्युफेक्चर्स को सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्शन दिया है लेकिन वे मेन्युफेक्चरर्स होने के साथ साथ डीलर्स भी हैं, वे रॉ मेटीरियल का टैक्स नहीं देते है। इस तरह के इवेज़न ऑफ टैक्स को दूर करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए, न कि चार साल के अन्दर नोटिस देकर १०-१५ साल तक एसेस ही न करें। It is absurd मैं ता कहता हूं ऐसे कि that should be abolished and that should be sacked up. I cannot magine that within 4 years. They will issue letters and do nothing......तो यह जो सेक्शन १२ का हिस्सा उन्होंने रखा है, नोटिस देना पर्याप्त होगा, वह नहीं रखना चाहिये, इसको हटाना चाहिये। चार साल में असेसमेन्ट करने का अमेन्डमेन्ट रख दें तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है, चार साल के बजाय आप ५ साल में असेसमेन्ट कर दीजिये या ६ साल कर दीजिये, लेकिन चार साल के अन्दर नोटिस देने से असेसमेन्ट चालू रहेगा और उसके लिये टाइम लिमिट नहीं हो, ऐसा बिल पास नहीं करना चाहिये। मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्रीजी पुनर्विचार करेंगे। पार्ट (१) पास होने के बाद पार्ट (२) पास होता है तो उसका इफेक्ट यह होता है कि....

श्री संपतराम : Do you agree with part (a)

श्री पी० के चौधरी : I can agree **but after** part (b) is taken along with part (a) it becomes indefinite notice so that, I feel, has to be reconstituted.

जो उनका इन्टेन्शन यह न हो कि चार साल के अन्दर नोटिस देने के बाद १० साल बाद असेसमेन्ट करें तो उनको रीकास्ट करना चाहिये, नहीं तो इफेक्टिव काम कुछ नहीं करेंगे, नोटिस सर्व करेंगे। अमेन्डमेन्ट उनको लाना है तो जो केस चल रहे हैं एग्जम्पशन के लिये, बसेज़ वाले अपने पंप लगा देते है और अपने पंप से पेट्रोल लेते हैं और गवर्नमेन्ट को सेल्स टैक्स का एक पैसा नहीं देते है और जो मेनुफेक्चर कम डीलर्स हैं वे सामान बेचते हैं और सेल्स टैक्स नहीं देते हैं उनसे लेना चाहिये। सेल्स टैक्स बढ़ाना है तो उनको काबू में करना चाहिये। आज रेवेन्यू का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हिस्सा सेल्स टैक्स है। ७ करोड़ रुपया लैंड रेवेन्यू से आता है तो ३। करोड़ रुपया सेल्स टैक्स से आता है। It is nearly 4th or 3rd of the magnitude which is a reflection on our intelligence. यह ऐसी इम्पेर्टेन्ट चीज़ है कि हमें सेल्स टैक्स के इन्सीडेन्स को ज़्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। ऐसी हालत में जो लूप होल्स है उनको चेक करना चाहिये। न कि वाहियात अमेन्डनेन्ट लावें।

इसलिये मेरा सुझाव है कि इसको रीकंसीडर करके पास किया जावे।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, इसके पार्ट ए में हमने ३ साल से ४ साल का अमेन्डमेन्ट करने की व्यवस्था की है। इसका मतलब यह है कि जैसे एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के केसेज़ ३ साल में नहीं आते हैं तो एक साल और बढ़ा

(श्री सम्पतराम)

दिया जाय ताकि इस अर्से में नोटिस में आवे तो अमेन्डमेन्ट हो सके। दूसरी स्टेट में क्या कायदा है उसको मंगाकर देखा तो बॉम्बे में ५ साल है, वेस्ट बंगाल में ६ साल है, बिहार में कोई टाइम लिमिट नहीं है। उनको देखते हुए हमारे यहां भी ३ साल से ४ साल करने का यह मूव है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चार साल से १ दिन पहले भी नोटिस देंगे तो १५ साल तक एसेसमेन्ट करते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मान लीजिये चार साल का पीरियड रखा और १५ दिन पहले या ३ दिन पहले नोटिस में आया और उसको नोटिस दे दिया और यदि प्रोविज़न हटा देते हैं तो हम दो-तीन दिन में तो एसेसमेन्ट नहीं कर सकते इसलिए बाद में असेसमेन्ट का प्रोविज़न रखा गया है। ऐसी कहीं नहीं होगा कि चार साल में नोटिस देने के बाद बहुत अर्से तक एसेस नहीं किया जायगा या इवेज़न को बढ़ाने की कोशिश की जायगी। यदि एक दिन ही चार साल में रहता है और ऑथोरिटी को मालूम होता है तो नोटिस देकर बाद में एसेसमेन्ट किया जा सकेगा।

इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिये कि राइट्स दे दिये तो १५-२० साल में असेसमेंट कम्प्लीट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जब एक एक्ट में प्रोवीजन करती है तो एक कन्ट्रोलिंग पॉवर होती है, यह देखना होता है कि केसेज़ को डिस्पोज़ ऑफ कैसे करें। यह लेटीट्यूड है, इसके मायने यह नहीं समझने चाहिए कि विदआउट एन कन्सीडरेशन टाइम लिमिट बढ़ जायगी। इसके अलावा ऐसे केसेज़ पकड़े जायेंगे, तो अच्छा होगा और टैक्स का इवेज़न रुक जायगा। इसलिए इसको टाइट करने की बात है। दूसरी स्टेट्स में इसके पेरेलल प्रोविजन्स हैं जो कि एडवांस्ड स्टेट कहलाये जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें विरोध करने का रीज़न नहीं होना चाहिए और इसको पास कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ ८ से १५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ ८ से १५ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ से लेकर १५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिसेम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लाज १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंड्मेंट) बिल, १६५६ को पारित किया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मैंने कुछ मुद्दे बिल को विचारार्थ लिये जाने के समय उठाये थे। माननीय उपमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया इसलिए मैं बोलूंगा क्या ? बता दीजिये। पर्टिक्युलरली क्लेरीफिकेशन क्लाज १४ का कर दीजिये, जिसमें कहा है :

"Provided that no revision under this sub-section shall be entertained upon the application of a dealer-

(a) if he could have appealed under section 13 and no appeal has been filed by him, or

(b) if an appeal is pending before the appellate authority"

In case no appeal is filed and if that period expires, he is debarred an opportunity under the provisions of this law. I would therefore request the Hon'ble Dy. Minister to consider it. If the time for appeal expires there should remain a provision for reconsideration irrespective of the fact that the man files an appeal or not. आपने लिख दिया है कि अपील पेश नहीं की है तो अपील पेश न करने के कारण रिवीज़न नहीं होना चाहिए। आप कन्सीडर कर लीजिये, विचार कर लीजिये, रिवीजन का प्रोविजन होना चाहिए । आपने लिखा है कि अपील को टाइम में रिवीजन नहीं होगा, इसके लिए ३० दिन का पीरियड़ प्रोवाइडेड है। I mean you should prescribe some time limit or period for filing an appeal. I will, therefore, once again request you to incoropoate this provision also in it.

श्री सम्पतराम : अभी जो एक-दो आपत्तियें उठाई उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भी हिन्दुस्तान में ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें सेल्स टैक्स काफी दिनों से है और वहाँ टैक्स रियलाइज करते जा रहे हैं; लेकिन बम्बई के अन्दर रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं है, जिसमें अपील लाई (lie) करती है उसमें रिविजन का प्रोविजन नहीं है। इसी प्रकार उड़ीसा में प्रोविजन नहीं है, यू. पी. में प्रोविजन नहीं है। बिहार में प्रोविजन नहीं है। यह व्यवस्था थी कि असेसिंग अथॉरिटी के असेसमेंट करने के बाद यदि कोई आदमी चाहे तो अपील में जा सकता है, अगर वह चाहे कि रिवीजन में जाना है तो कमिश्नर के यहां रिवीजन के लिए जा सकता था। होता यह था कि जो अपील करता था उसे टैक्स का रुपया जमा कराना पड़ता था और जो रिवीजन में जाता था उसे रुपया जमा नहीं करना पड़ता था। इससे यह ख्याल हुआ कि हमने रुपया जमा कराने की बंदिश लगा रखी है। तो जितने भी असेसीज़ हैं वे डिप्टी कमीश्नर्स को अपील न करके सीधे कमीश्नर के यहां अपील करते थे। जब यह बात देखी तो जो रुपया जमा कराने वाली बात थी उसको थोड़ा ढीला

(श्री सम्पतराम)

किया । जो अपील का प्रोविजन था उसको रिलेक्स कर दिया । वह हार्ड नहीं रहा वह हार्ड नहीं रहा तो यह सोचा की जहां अपील लाइ करती है, वहां रिवीज़न लाइ नहीं करेगा । जो इन्कम टैक्स है, उसके बारे में पता नहीं कि ऐसा प्रोविज़न है या नहीं, लेकिन बड़े बड़े स्टेट्स के रेफरेन्स मैंने दिये, उनमें नहीं है । सी आर. पी. सी. की दफ़ा ११५ में इस प्रकार की व्यवस्था है, कि जिसमें अपील लाइ करती है, उसमें रिवीजन लाइ नहीं करती, मैं श्योर नहीं हूं । लेकिन स्टेट्स के बारे में क्वाइट श्योर हूँ इसके अलावा जो अपील का अधिकार दिया है, उसमें ये ये फेक्ट्स देखने में आते थे कि रूपया जमा करवाने की हार्डशिप के कारण उदयपुर के कमिश्नर के यहां लोग जायं । बीकानेर में डिप्टी कमिश्नर है, जोधपुर में डिप्टी कमिश्नर है, फिर वे उदयपुर जाते हैं, तो इसमें क्या सेन्स है । इसलिए जो ऑफिसर्स हैं, उनको ज्यादा देख-भाल करने का मौका मिले, एक जगह कागज़ सेन्ट्रलाइज़ न हो, इसको करने के लिए और जो असेसीज़ हैं, उनको अपील करने की ठीक तरह से ऑपोर्चुनिटी मिले, इन सारी बातों को देखते हुए यह प्रोवीज़न रखा है । यह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्लेरिफिकेशन और कर दीजिये । आपने कहा कि पहले अपील का प्रॉवीजन रखा था, उसमें रुपया जमा करना पड़ता था और रिवीज़न में रुपया जमा नहीं करना पड़ता था इसलिए अपीलें पेश नहीं करते थे । आपने अपील की फैसिलिटी दे दी है, उसको आपने रिलेक्स कर दिया है । जो जमा करा सकता है, उसको अपील की फैसेलिटीज़ मिल गई हैं, बिना जमा कराये भी उसे अपील की फैसेलिटीज़ मिल गई हैं । इसके अलावा आपने बर्डन की बात कही रिवीज़न के केसेज़ जो बर्डन हुआ था वह अपील में नहीं होगा । मैं समझता हूं वह बर्डन ज्यादा होगा । रिवीज़न का प्रोवीज़न इसलिए भी होना चाहिए कि किसी आदमी की मियाद निकल जाय, फोर सम रीज़न्स पीरियड निकल जाय; that is a discretionary power and that vests in the revisionary authority, I don't object to it if the revisionary authority is satisfied that there were such conditions which satisfy it. Naturally the revisionary authority should have powers.

लैंड रेवेन्यू एक्ट में हम देखते हैं, टीनेन्सी एक्ट में हम देखते हैं कि फर्सट अपील लाई करती है, वहां सैकन्ड अपील का प्रोवीजन नहीं है, वहां रिवीजन की पॉवर्स हैं । आपने यह भी कहा कि केसेज़ इकट्ठे हो जाते हैं और सारी चीजें होती हैं, क्योंकि रिवीज़न में पैसा जमा नहीं कराना पड़ता । वह दिक्कत अब चली गई, क्योंकि अपील में पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा । अगर अपील हो जाय और रिवीज़न की प्रोवीजन रख दे तो कुछ सर्कम्सटान्सेज़ में ऑडर्स रिवाइज़ किये जा सकते हैं । इसके साथ ही रिवीजन की पॉवर्स लिमिटेड होती है, अपील में सारे केसेज़ रीओपन हो सकते हैं । ११५ दफा सी. पी. सी. है, लैंड रेवेन्यु एक्ट है, टीनेन्सी एक्ट है, इसमें डिस्क्रीशनरी पॉवर्स हैं जो सुपीरियर ऑथोरिटी में वेस्ट करती हैं, वहां अपिललाई नहीं करती हैं । कोर्ट ऑफ लॉ में, a revision may be entertained by the

Page No.85

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

superior authority. So if you can do it, that is right. But if you are adament, I have no objection, So far as instances of other States are concerned, I can say...

श्री उपाध्यक्ष:He has grasped that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वे विचार कर रहे हैं, कुछ लिख कर आया है।

श्री सम्पतराम : कुछ लिख कर नहीं आया है। मैंने विचार करके ही कहा था। अगर अपील के केसेज़ ज्यादा आते हैं तो वहां सुनने वाले पांच ऑफिसर्स होते हैं। हर एक डिविज़न में डिप्टी कमिश्नर है उनमें यह काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिवीजन में सारे केसेज़ एक ही व्यक्ति के पास आ जाते हैं, वे सेन्ट्रलाइज़ हो जाते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सारे नहीं आयेंगे।

श्री सम्पतराम : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कर दिया है और जो प्रोविजन रखा है वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

३. ३७ म० प०

राजस्थान (वित्त कृषिआय-कर)(एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) विधेयक, १९५६.

(विचारार्थ एवं पारण)

श्री सम्पतराम (उपमंत्री वित्त विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री सम्पतराम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

३. ३८ म० प०

राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १९५६

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री आबकारी तथा कर विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट

(श्री सम्पतराम)

(एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स अमेंडमेंट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स अमेंडमेंट बिल, १६५६ जो सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार अब इस तह पर उतर आई है कि राजस्थान के किस कोने में और कहा पैसा है कि जिस पैसे को खींच कर राजस्थान के खजाने में जमा किया जाय। राजस्थान की सरकार ने सेल्स टैक्स के कानून को बनाकर व्यापारियों से टैक्स के रूप में रुपया खींचा। यात्री-भाड़ा कर कानून बनाकर जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनसे रुपया खींचा बेटरमेंट लेवी और एन्टर्टेनमेंट टैक्स के नाम पर उन्होंने किसानों से रुपया खींचने की कोशिश की और मैं यह समझता हूं कि अब एक एक कर के उन लोगों का नम्बर है जो संविधान के आर्टिक २२६ के अन्तर्गत राजस्थान के हाइ कोर्ट में रिट फाइल करते हैं और जिनको २ रु० कोर्ट फीस लगानी पड़ती है, वहां अब उनको १० रु० देना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष. एक ओर एक एक कर राजस्थान सरकार ने सब को छीना, अब सबको मारने की साजिश की है; जैसे दो-तीन लोग इकट्ठे हो गये और उनको ४ भले आदमी आते हुए मिले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें से सबसे पहले ब्राह्मण को पकड़ा और कहा ब्रह्मणजी आप तो देवताजी पण्डितजी हो हमारे, आप तो हमें शिक्षा दीक्षा देते हो, वैश्य से कहा कि आप हमें वख्त जरुरत रुपये पैसे से मदद देते हो, क्षत्रिय से कहा आप हमारी रक्षा करते हो, पर यह उल्लू का पट्टा शूद्र क्या काम आता है और इस तरह उस शूद्र को ठोक दिया ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात आप पहले भी कई बार कह चुके हैं।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने आपके लिये थोड़े ही कहा है, मैंने जो अभी बताया उस चौथे में तो आप नही आते।

(हंसी)

अब तीन बचे तो शंठ पुरुष ने कहा कि यह उल्लू का पट्टा क्षत्रिय क्या करता है, आप दोनों तो काम में आते हैं और इस क्षत्रिय को भी ठोका, उसको मार लिया। अब दो बचे। शंठ ने कहा कि आपतो पण्डितजी हो, पूजा-पाठ व्याह, शादी करवाते हो पर यह उल्लू का पट्टा बनिया किस काम का है और उसको भी ठोक दिया, मार लिया। फिर पकड़ा पंण्डितजी को और कहा कि तुम क्या काम के व्याह कराते हो तो बहुत पैसा लेते हो उनको भी ठोक दिया और मार लिया इस तरह उस शंठ पुरुष ने चारों को ठोक कर धराशायी कर दिया। राजस्थान सरकार भी इसी तरह एक एक कर के सब को ठोक रही है। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से किसानों को मारा, सेल्स टैक्स से वैश्यों को मारा, किसी को इन्कम टैक्स से ठोका और अब राजस्थान सरकार उन लोगों को जो डेमोक्रेसी के हामी हैं; राजस्थान में लोकतन्त्र को पनपाना चाहते हैं, जो पोलिटिक्स में पार्ट लेते है; पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटियों में भाग लेते हैं, राजस्थान सरकार की ओर से जो नाना प्रकार की ईर्रेग्युलेरिटीज़ की जाती हैं, उनके लिये वे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लोग हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं कि राजस्थान सरकार हमारे राइट्स का इस प्रकार हनन करती है। हम पोलिटिकल वर्कर्स हैं, हमारे फण्डामेंटल राइट्स को मारने के लिये, हमारे जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनको छीनने के लिये राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की चौथी साजिश की है। संविधान के आर्टिकल २२६ के अन्तर्गत हाई कोर्ट में रिट करने के लिये दो रुपये की फीस लगती है, उन २ रुपयों की जगह राजस्थान सरकार १० रुपया कर रही हैं, तो आखिर कौन रिट करेगा ? देश की आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि देश का संविधान आया; पर देश का संविधान ही तो सब कुछ नहीं कर सकता, उसका पालन होना चाहिये। संविधान में जो राइट्स दिये हैं, जो कॉन्स्टिट्युशनल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनकी रक्षा का प्रश्न है, पर इनकी कौन रक्षा करेगा और जब कभी एग्ज़ीक्यूटिव की ओर से इन अधिकारों का हनन होता है तो हमारे संविधान में व्यवस्था है, उसको किसी भी नागरिक अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं, एस. डी. एम. कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट्स कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, वह सीधा उच्च न्यायालय में जा सकता है और दरख्वास्त दे सकता है कि इस प्रकार राज्य ने हमारे अधिकारों को छीना हैं, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं और इस दरख्वास्त के देने पर स्टेट का उच्च न्यायालय है वह सुनवाई करेगा और जो रिलीफ दिया जा सकता है वह रिलीफ देगा। राजस्थान सरकार के हाई कोर्ट में ही नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि फण्डामेंट राइट्स के हनन का जहां सवाल पैदा होता है; कॉन्स्टीट्युशन में है, हिन्दुस्तान के हर नागरिक को कंक्रीट पावर है, ३५ करोड़ भारतवासियों को राइट है, सेशन्स कोर्ट में, डिस्टिक्ट कोर्ट में एस.डी. एम. कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं, उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है, उनके मूलभूत अधिकारों पर कोई आघात पहुंचाता है तो प्रत्येक नागरिक ऐसे उच्च न्यायालय में ही नहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह गारन्टी संविधान में की हुई है। पर यह गारन्टी कोई कीमत नहीं रखती, अगर इसके संरक्षण की व्यवस्था नहीं हो।

राजस्थान सरकार ने लोगों को इस अधिकार से वंचित रखने के लिये एक ओर यह किया कि राजस्थान के हाई कोर्ट्स को राजस्थान के एक हिस्से में उठा कर रख दिया और अब राजस्थान सरकार जानती है कि वह आये दिन इस प्रकार की अनियमितताएं करती रहती है, मैं यह अनियमितता की बात कह रहा हूं और स्वायत्त शासन मंत्रीजी मेरी ओर देख रहे हैं कि मैं अभी हिन्डौन की नगरपालिका का जिक्र करूंगा। हिन्डौन नगरपालिका के चुनाव निश्चित कर दिये गये, तिथि घोषित कर दी गई, ५ अप्रेल को चुनाव होने जा रहे थे, नोमिनेशन्स हो गये, स्क्रटिनी हो गई, फाइनल लिस्ट डिसाइड हो गई और अखबारों में समाचार आने लग गये कि हिन्डौन नगरपालिका के चुनावों में कांग्रेस की स्थिति डांवाडोल है, कांग्रेस की वहां हार होगी...

श्री उपाध्यक्ष : we are discussing Court Fees Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No, sir, it is within the scope.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्योंकि आखिर क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ती है, उन परिस्थितियों पर प्रकाश नही डालूंगा तो मैं विषय के साथ ईमानदारी नहीं कर सकूंगा। तो हिन्डौन में देखा कि कांग्रेस हारेगी, भरतपुर में कांग्रेस हारी, २१ में से ५ सीटें मिलीं, अगर कांग्रेस को मिलीं

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (भरतपुर) : जनसंघ को कितनी मिलीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहरहाल कांग्रेस को २१ में से पांच सीटें मिलीं, अगर ५ से ही संतोष है तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मैं भरतपुर का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि यह विषय के बाहर की बात है, यह तो डी.सी.सी. पी.सी. सी. बैलों का जूड़ा टूट गया, बैल बैल लड़ते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो हिन्डौन का जिक्र करना चाहता हूं, हिन्डौन में चुनाव तिथि घोषित कर दी गई कि ५ अप्रेल को होंगे, सारी तैयारियां हो गई, चुनाव सभाएं होने लगीं, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी तीन तारीख को वहां आने वाला था, पर अभी परसों सूचना मिली कि वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं मैंने माननीय स्वायत मन्त्रीजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। आखिर राज्य करते हैं या क्या करते हैं आपको मालूम नहीं यह तो वही बात हुई :

"अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।"

इससे भी बुरी हालत है आपके राज्य में। पुलिस के अधिकारी पीटें और पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी, गृह मन्त्री कहें कि हमें मालूम नहीं, चुनाव स्थगित हो जायें और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मन्त्री कहें कि मुझे मालूल नहीं, तनख्वाह किस बात की लेते हैं हजार दो हजार रुपया माहवार की तनख्वाह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किस बात का लेते हैं? सारे चुनाव स्थगित हो गये और आपको पता नहीं।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से यह जानना चाहता हूं कि हिन्डौन नगरपालिका के चुनावों में जो केन्डिडेटस खड़े हुए हैं वे चुनाव करना चाहते हैं और सरकार ने उन चुनावों को रोक दिया है, वे इस आज्ञा को मंसूख करना चाहते हैं, तो कोई जरिया नहीं सिवाय इसके कि रिट पिटिशन करें। इस तरह का कोई यही एक उदाहरण नहीं, बीसियों दूसरे उदाहरण हैं। परबतसर में ऐसा हो जाय तो क्या करें, मालपुरा में ऐसा हो जाय तो क्या करें, कोई सीविल सूट फायल नही हो सकता और राजस्थान सरकार के तो सुधरने का सवाल ही नहीं।

ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह राजस्थान हाई कोर्ट में जाय मन्त्री महोदय को इस तरह के कई उदाहरण मालूम होगे कि नगरपालिका की सदस्यता से सदस्यों को हटा दिया जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इस तरह के १० मुकदमें डाइरेक्ट लोकल बोडीज़ के पास नहीं आते हो कि फला सदस्य को महज इस लिये सदस्यता से हटा दिया गया कि उसने अविश्वास का प्रस्ताव रखा था उस सदस्य को इसलिये हटाया गया कि वह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक या दो मीटिंग में गैर हाजिर रहा। वहां के चेयरमैन कहते हैं कि वह चार मीटिंग में गैर हाजिर था और वे कहते हैं कि गैर हाजिर नहीं थे और यह कहा जाता है कि हम इस प्रकार से सदस्यता से डिबार नहीं हो सकते। जिस समय सरकार के पास इसकी शिकायत की जाती है तो उनको जवाब दिया जाता है कि चैयरमैन कहते हैं कि वे चार मीटिंग में गैर हाजिर थे, उनको सदस्यता से अलग कर दिया है मगर वास्तव में बात क्या होती है ? बात यह होती है कि उसने उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव रखा, उसका यह नतीजा होता है। अब वे कहां जावें ? आपके सामने आते हैं तो आप उनकी कोई सुनवाई नहीं करते और किसी जगह जावेंगे तो भी आपके पास पूरे अधिकार हैं। आपका तो सारा काम टेलीफोन मिलते ही तय हो जाता है। मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि अगर कोई किसी प्रकार के इन्साफ के लिये चीज दिखाई देती है तो वह है हाई कोर्ट। अगर किसी के राइट्स को बचाने के लिये कोई साधक हैं तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अलावा कोई दूसरा उसके लिए चारा नहीं। आप देखते हैं कि पंचायतों के चुनावों में क्या हुआ ? सात बार चुनाव समाप्त हुए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं हुआ और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय को यह जानकर अफसोस होना चाहिये कि उसके बावजूद भी, लाख कोशिश करने पर भी सरपंच जो चुना गया उसको सरपंच नहीं रखने के कारण उसके दिमाग में बहुत बड़ा दुख पहुँचा और उस दुख के कारण दूसरे दिन वह शोक के मारे मौत का शिकार बन गया। लोगों को इतना दुख पहुंचा कि लोग मौत के शिकार तक हो गये। लोग न्याय के लिये आपके पीछे पीछे फिरते हैं मगर आप उनको न्याय नहीं दे सकते, आप, उनको रीलीफ नहीं दे सकते। इस सम्बन्ध में आपकी कुछ मजबूरियें हो सकती हैं, पार्टी का दबाव आप पर हो सकता है, कुर्सियों का लालच और मोह आपको हो सकता है केबिनेट का लालच हो सकता है, आपके हाथ कटे हुये हो सकते हैं। आपके हाथ कटे हुए होंगे, कलम आपकी चल नहीं सकती होगी, मगर हमें इसकी किसी की भी चिन्ता नहीं। हम यही चाहते हैं कि लोगों को जो उनके फन्डामेन्टल राइट्स हैं कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल राइट्स हैं वे उनको मिलने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जितनी रिटें इन मामलों में हाईकोर्ट में हमारे यहां पर हुई हैं हिन्दुस्तान के किसी भी दूसरे प्रान्त में नहीं हुई होंगी। हाईकोर्ट में जितने रिविजन्स और अपीलें किसी दूसरे मामलों की नहीं होती उतनी रिटें पंचायत और म्युनिसिपेल्टीज के चनावों के मामलों में होती है।

पंचायतों के चुनावों में किस प्रकार की धांधली होती है, यह किसी से छिपी नहीं है। नाबालिग को पंच डिक्लेअर कर दिया जाता है और ऐसे लोग पंच बना दिये जाते हैं जो पंच होने के योग्य नहीं होते हैं। ये सारी बातें होती हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय राजस्थान हाई कोर्ट में हुई रिटों के फैसले को पढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि उन्होंने पढ़ा होगा, तो उन्होंने इस प्रकार की शिकायतें कि किस प्रकार से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया है और किस प्रकार से अनियमितताएं बरती गई हैं, इन सारी बातों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को आप पावेगें। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि आपके यहां तो किसी को न्याय नहीं मिल सकता है और अगर कहीं न्याय मिल सकता है तो वह हाई कोर्ट में ही मिल सकता है। आप जानते हैं कि गांव गांव में स्वायत्त शासन की व्यवस्था है और उसके नाते गांव गांव में पंचायतें स्थापित होती हैं। जहां पर पंचायतें कायम होती हैं, वहां पर हर जगह दो दल कायम होते हैं। कभी कांग्रेस का दल और दूसरा दल और कभी कभी आपस में गांव वालों में दल बन्दी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दल के उपर सत्तारूढ़ दल का हाथ नहीं होता, जिस दल को सत्तारूढ़ दल का आर्शीवाद नहीं होता वह दल आप जानते हैं कि कहां जाए? उसके लिये कोई स्थान नहीं कि वह जाकर अपना न्याय कराए। आप जानते हैं कि अभी अजमेर में झगड़ा होता है प्रेसिडेन्टसिप के लिये। जब एक व्यक्ति चुनाव में आ जाता है तो फिर दूसरी बार चुनाव हो जाता हैं। इसके लिये आपके यहां तो किसी प्रकार का रीलीफ नहीं मिलता। अगर किसी को किसी प्रकार का रिलीफ मिलता है तो वही हाई कोर्ट में क्योंकि राजस्थान की सरकार उनके फैसलों को तय नहीं कर सकती क्योंकि वह दलबन्दी का झगड़ा होता है, एक एक को और दूसरे दूसरे दलों को समर्थन करते रहते है और जो लोग न्याय की कुर्सियों और न्याय के सिंहासन पर बैठे है उनका माइन्ड इम्पार्शियल होना चाहिये, मगर वह इम्पार्शियल नहीं होता। वैसे तो जुडिशियल ऑफिसर हमारे सदन में भी मौजूद हैं मगर उनका माइन्ड इम्पार्शियल नहीं होता है और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की हाईकोर्ट ही एक ऐसा स्थान है जहां हर एक व्यक्ति जा सकता है, जहां उसको न्याय मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति को, जिसके अधिकारों पर कुठाराघात होता है, अगर राजस्थान सरकार के अधिकारियों द्वारा ही न्याय मिल जाता है और न्याय मिलने की व्यवस्था होती है तो उसको हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती, मगर ऐसा होता नहीं। राजस्थान सरकार ने ऐसे कानून अवश्य बनाये हैं कि उनको कुछ सहायता दी जावेगी जब उनके फन्डामेन्टल राइट्स हैं, तो उनकी रक्षा के लिये कुछ राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। अगर कॉन्स्टिटयुशन के प्रति आपकी सद्भावना हैं, आपका संविधान के प्रति आदर है और आप यह चाहतें हैं कि जनता को जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिये गये हैं और जो मौलिक अधिकार संविधान में दिये गये हैं उनकी रक्षा हो तो मैं यह कहूंगा कि उनके लिये इसके अलावा कोइ रास्ता खुला नहीं और चारा नहीं कि वे हाई कोर्ट में जावें। यह तो एक ऐसा रास्ता है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। मगर फिर भी आप इस रास्ते में भी कुछ कंकड, कुछ पत्थर और कुछ कांटे और लकड़ियें डाल रहे हैं। आप दो रुपयों से २० रुपये कोर्ट फीस के लेकर यह चाहते हैं कि लोगों पर यह ज़्यादा बोझ पड़े और वे कम से कम हाई कोर्ट में रिट के लिये जावें। मैं यह कहूंगा कि यदि माननीय मंत्री महोदय से पूछें कि दूसरी जगह भी क्या इसी प्रकार से है तो वे कहेंगे कि दूसरे प्रान्तों में भी है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार एक बात की तुलना दूसरे प्रान्त से की जाती है उसी प्रकार दूसरे प्रान्त की सारी बातों की तुलनायें हमारे यहां से की जानी चाहिये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं यह कहना और पूछना चाहता हूँ कि दूसरे प्रान्तों की आमदनी क्या है ? वहां के लोगों की आर्थिक हालत क्या है ? वहां के लोगों का स्टेन्डर्ड क्या है ? इन सारी बातों के बारे में आप कुछ नहीं कहते । आप यह कभी नहीं कहेंगे कि बंबई, बंगाल और मध्य प्रदेश के लोगों की स्थिति राजस्थान से कहीं अच्छी है । यह बात आप नहीं कहते । आप यह कहेंगे कि वहां पर २५) का टैक्स है, वहां पर ५० रु० का टैक्स है, हमें उसकी नकल करना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई आदमी कूंए में गिरे तो हम भी क्या कूंए में गिरें । क्या दुनियां के किसी स्थान में बेवकूफ और गधे रहते हों तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी गधे बन जावें । हमें यह देखना है कि वहां की क्या परिस्थितियें हैं ? अगर उन सारी परिस्थितियों को बिना विचारे नकल करने की कोशिश की तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूगां कि नकल करने में भी घाटे में हीं रहेंगे, नकल करने में भी अक्ल की जरूरत होती है और नकल करने में अक्ल नहीं होती तो शक्ल ही खराब हो जाती है । आप सोचिये कि बंबई, बिहार, आन्ध्र में १००) हो सकते हैं । मगर आप देखेंगे कि वहां पर इस प्रकार की गड़बड़ियें नहीं होती हैं । आप इसकी जांच करावें कि कितने फैसले इस संबंध के गवर्नमेंन्ट की ओर से किये जाते हैं और कितने मामलों में वे लोग हाई कोर्ट में जाते हैं । आप देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि वहां पर ऐसा नहीं होगा कि किसी नगरपालिका के अध्यक्ष को या सदस्य को इसलिये हटा दिया जाता है कि वह सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है । आपने तो सिर्फ वहां का एक ही पहलू यहां पर दिया है कि वहां पर २५), ५०) या १००) रु० फीस होती है इसलिये हमारे राजस्थान में भी १०) कम से कम कर दिये जाने चाहिये । यह तो वन साइडेड स्टेटमेंट है । आपको सारे पहलुओं पर विचार करना और बताना चहिये । राजस्थान के लोगों में गुट बन्दियें हैं और इस कारण हो सकता है कि उनको रिट पीटिशन में हाईकोर्ट में जाना पड़े । मैं समझता हूं कि गांवों के किसान और हरिजन भाई चुनावों में खड़े होते हैं और भाग लेते हैं । अगर किसी दल बन्दी के कारण किसी को अपने हकूक नहीं दिये जावेंगे तो फिर वह कहां जावेगा, आप तो उसकी फरियाद सुनने वाले नहीं । आज ५ साल के अर्से में यह मालूम हुआ है कि आप, जिस समय चुनाव होते है उस समय एक दफा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको न्याय देंगे, उसके बाद तो आप उनसे यह भी नहीं पूछते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ? आप तो केवल चुनावों के के समय सुनवाई करेंगे और वह भी थोड़े समय तक के लिये । आखिर ५ वर्ष तक उनको उनके हकूकों का संरक्षण कहां पर प्राप्त होगा । जो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के सिवाय कहीं नहीं मिल सकता । इसलिये मैं समझता हूं कि दो रुपये से १० रुपये नहीं होने चाहिये क्योंकि राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां पर हाईकोर्ट में इस प्रकार की बहुत रिटें हुई है । आप उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं कि लोग हाईकोर्ट में न आवें और आप यह चाहते है कि जिस प्रकार के रिमार्क हाईकोर्ट से फैसलों में सरकार के प्रति दिये जाते हैं वे कम हों । जब हमारे विधान में यह लिखा है कि सबको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सस्ता और सुलभ न्याय दिया जावे तो आपने उस सस्ते और सुलभ न्याय को एक कोने में बिठा दिया है अब आप उस न्याय को सस्ता नहीं रखना चाहते। दो रुपये कोर्ट फीस के जहां लगते थे उसके बजाय आप अब १०)रु. करने जा रहे हैं। आपने तो हमारा ध्यान नहीं रखा। आपने तो अपना एक ही ध्यान रखा है कि इससे आय बढ़ेगी। आप १०) से १०० करने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप दो ही रुपयों को रहने दीजिये। यह पर्याप्त है। इससे बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होगी। फाइनेन्स इकोनोमिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें उन्होंने रिकमन्ड किया है कि "In Rajasthan too, action may be taken on similar lines to rationalise the law relating to court fees" की जावे और यहां झगड़ों पर जन जीवन कष्टप्रद बनाने जा रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ व्यवस्था करते तो मैं उचित समझता।

एक दावे पर ज्यादा कोर्ट फीस लगा कर कोई पांच लाख का दावा करता है तो २॥ लाख का कोर्ट फीस लगा दें और फिर नारा लगाते हैं समाजवाद का किन्तु काम करते हैं पूंजीपति का। आज जो राजस्थान में स्वायत्त संस्थायें राजस्थान सरकार की नीति का शिकार बनती हैं उनको हाईकोर्ट में जाने के लिए, न्यायालयों में प्रस्तुत होने के लिए संविधान ने अधिकार दिये हैं, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उन पर आप कुठाराघात करना चाहते हैं। कोर्ट फीस को रेशनलाइज करने के लिए, यह सुझाव मेरा नहीं है, मेरा होता तो शायद नहीं मानते किन्तु यह सुझाव तो फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी का है। फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसको आपने फोलो नहीं किया, उसके अनुसार आपने कदम नहीं उठाया, उसको उठा कर आपने ताक में रख दिया, पता नहीं उसको पढ़ा होगा या नहीं, विधान सभा द्वारा निर्मित एस्टीमेटस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने की फुरसत नहीं तो फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने का सवाल ही नहीं होगा। उनको नहीं पढ़ेंगे उनको नहीं समझेंगे और इस प्रकार का संशोधन लाकर जो मूलभूत अधिकार प्रदान किये गये हैं उनका, न्याय का गला घोटेंगे। जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिये हैं, जो एक मंदिर में जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता तो है लेकिन रास्ते में कांटे बिछा दिये जाय, उस मंदिर में जाने के लिए डिप्राइव करना है और किसी के मार्ग में इस प्रकार से रोड़े अटकाना, बाधा पहुंचाना, उतना ही अपराध है जितना कि न्याय न देने का अपराध है। राजस्थान सरकार में, राजस्थान के मंत्रिमंडल में गुड सेन्स प्रिवेल करने वाली नहीं है, केवल उनके मन में एक ही बात है कि दूसरी जगह है इसलिए यहां भी होना चाहिये, लेकिन जो माननीय सदस्य हैं, गावों के क्षेत्रों से आये हैं, शहरी क्षेत्रों से आये हैं, गांवों में रहने वालों की आबादी ज्यादा है, म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों से सम्बन्ध रखने वाले ज्यादा हैं। उनके जो फन्डामेन्टल राइटस हैं, उनका जब अपहरण किया जाता है, उनके विरुद्ध जो रिटें होती हैं, राजस्थान में रिटों का सम्बन्ध ज्यादा है, सिविल में रिटें नहीं होती, क्रिमिनल केसेज में रिटें नहीं होती, दिवानी मुकदमों में रिटें नहीं होती किन्तु रिटें होती हैं उन सारे केसेज़

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों से सम्बन्धित होते हैं, जो गांवों में रहने वाली जनता है जब न्याय प्राप्त नहीं करती उन स्वायत्त संस्थाओं से तो उनके द्वारा रिटें पेश होती हैं, जिनका ताल्लुक गांवों से, गांव के रहने वाले किसानों, मजदूरों और हरिजनों से से पड़ता है, उन सबको संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं, मैं समझता हूं कि उन मौलिक अधिकारों का इसके द्वारा अपहरण कर रहे हैं, उनसे डिप्राइव कर रहे हैं, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, मंत्रीजी से तो आशा नहीं है और नहीं मानेंगे वे, जैसा उनको पढ़ाया जाता है वैसा ही वे कानून रख देते हैं, जो प्रोविज़न्स हैं उनका अमेन्डमेन्ट स्वीकार करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, जैसे उनके दिमाग को राज्य सरकार ने छीन लिया हो, आत्म विश्वास की कमी है और यदि आत्म विश्वास है तो वे इसको मंजूर करें, मैं दावे के साथ कहता हूं और विश्वास करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी उसको मंजूर करेंगे, उनको एक्स्टेन्शन मिलेगा, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, किन्तु गांवों की आबादी से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं वे उसका विरोध करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री महोदय सही ढंग से इसको स्वीकार न करें, किन्तु उनको मजबूर किया जा सकता है कि आप संशोधनों को स्वीकार करें और इस प्रकार से इस कानून को वापिस लिया जाय। आपको धन चाहिये, उसके लिए दूसरे तरीके हैं, जो तरीके सुझाये गये हैं और सुझाये जा सकते हैं। पैसे का बहुत घाटा है। उसके लिए एक एक करके सब को मारने की कोशिश न करिये। इन शब्दों के साथ आशा रखते हुए कि मेरी इस बात का मंत्री महोदय के दिमाग पर गहरा असर पड़ा होगा और सोचा होगा। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर संविधान की रक्षा और लोगों को जो न्याय मिलने के अधिकार हैं उनका अपहरण न हो, इसको दृष्टि में रखते हुए विचार करेंगे। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स अमेन्डमेन्ट बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाने वाला है। अभी इस पर मेरे पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो (बातें) मेरे पूर्व वक्ता ने, जिस प्रकार के मुद्दे रखे हैं उसके विरोध में उनमें बल प्रदान करेंगी। मैं देखता हूं कि राजस्थान के अन्दर पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, छोटी पंचायतें बहुत बनाई जा रही हैं, जो पंचायतें पहले थी उनको तोड़ कर दो तीन पंचायतों में बदला जा रहा है, दो हजार पर एक पंचायत बनाई जावेगी और इसका उद्देश्य जो बताया जाता है, इसका उद्देश्य यह कहा जा रहा है कि हम गांव वालों को सुलभ और सस्ता न्याय दे सकें, उसका सुचारु रूप से प्रबन्ध हो सके, इसलिए छोटी २ पंचायतें बनाई जाय जिससे कि लोगों को कठिनाई न हो। एक तरफ आवाज़ लगाते हैं न्याय सुलभ और सस्ता करने के लिए, पंचायतों का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, जो बड़े आकार में हैं उनको छोटे २ स्तर पर पहुँचा रहे हैं, आसानी से एप्रोच हो जाय इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, यह कांग्रेस सरकार का लक्ष्य है, यह कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर मैं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

देखता हूं कि आजकल जिस प्रकार से पंचायतों में झगड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार से पंचायतों के चुनावों में गड़बड़ियां हो रही हैं, यदि उनकी अपील की जाती है तो उनको तीन तीन साल बाद सुना जाता है, तो निर्णय नहीं होता और जब हाई कोर्ट में एप्रोच होते हैं, रिट करके किसी प्रकार स्टे आर्डर्स ले जाये जांय और जो गड़बड़ियां की जाती हैं उनको सुन कर उनमें सुधार लाया जाय, जो इस प्रकार से लोग हाई कोर्ट में पहुँचते हैं हमारी सरकार उन लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहती है, कोर्ट फीस को बढ़ा कर उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है। वे गलतियां करने वाले कौन लोग हैं? वे ही कांग्रेसी हैं, सरकार की ओर मुख किये हुए देखते हैं, सरकार के पिट्ठू हैं, दूसरे लोग हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच सकें, संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किये गये हैं आगे होकर, उनके लिए न लड़ सकें इसलिए सरकार कोर्ट फीस बढ़ाना चाहती है। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि एक ओर तो सरकार के द्वारा यह प्रयत्न हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, उनको अपनी पैरवी करने के लिए मुफ्त कानूनी मदद दी जावेगी। दक्षिण में जो प्रदेश है, जहां कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, किन्तु दूसरी सरकार है, उनकी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जो राज्य में गरीब लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, जो पैरवी करने में लाचार हैं उनको मुफ्त पैरवी करने के लिये मदद दी जायगी। मुझे इस बात की शर्म आती है कि जहां कांग्रेस की सरकार ने ११ साल में नहीं किया वहां एक साल में उस सरकार ने करके बता दिया। कांग्रेस एक बात कहती है, किन्तु उसको करती नहीं। उसकी कथनी और है तथा करनी और है। उसके मुख में राम है और बगल में छुरी है। एक तरफ तो वह किसानों की तरक्की व बहबूदी की बातें करती हैं और दूसरी तरफ वह उसके उल्टा ही करती है। संस्कृत में एक कहावत है कि सोने का घड़ा है, लेकिन उसमें विष भरा है। यही कनक घट है जिसमें विष भरा हुआ है और आज कांग्रेस का वैसा ही स्वरूप दिखाई देता है। आज हम कहने को तो कह सकते हैं, कि गरीब जनता की जीवन शक्ति को उठाना चाहते हैं, आज उसको इस स्तर पर लाना चाहते हैं कि उसको मुख से रोटी मिल सके, निवास अच्छा मिल सके, उसकी चिकित्सा हो, तन पर कपड़ा हो; लेकिन आज हम देखते हैं कि उसके तन पर कपड़ा नहीं है, वह धूप में नंगा खड़ा दिखाई देता है। ११ साल कांग्रेस के इस शासन के बीत जाने पर भी ये आशायें पूरी नहीं हुई, यह एक बड़े शर्म की बात है।

इन सारी बातों को लेकर मैं न्याय व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक बात कम से कम सामने रखें कि दक्षिण के एक प्रदेश की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोगों को न्याय सुलभ और सस्ता मिल सके, अपाहिजों और गरीबों को मुफ्त न्याय मिलने की भी व्यवस्था की है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश आंध्र मद्रास के उदाहरण देकर यह बताना चाहती है कि वहां भी ऐसा किया गया है इसलिए यहां भी ऐसा किया जाना चाहिये; यह दलील थोथी है, यदि १५ प्रदेश ही ऐसा कर देते तो बात कोई मानने की होती, तर्क में बल होता किन्तु केवल तीन प्रदेशों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का उदाहरण देकर कि वहां बढ़ाया गया है इसलिये हम बढ़ा दें, यह कोई न्याय संगत बात नहीं कही जा सकती है।

४ म० प०

मैं पंचायतों के बारे में भी थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक पंचायतों का सवाल है पंचायतें जब छोटे छोटे स्तर पर बना देंगे तो उन पंचायतों में जिस प्रकार के झगड़े होते हैं जिसके उदाहरण मेरे पूर्व वक्ता ने काफी दे डाले हैं। आपके सामने मैं भी कुछ उदाहरण रखना चाहूँगा। खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के। शाहबाद तहसील में सात साल हो गये....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member please, I would not like to be so liberal as to allow you to qhote so many instances in support of your contention.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं केवल यह कहना चाहता हूं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : He is making an election speech for Jan Sangha.

श्री दयाकृष्ण : This is not election speech. You are not a voter.

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question it self.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार दिया गया है कि हाई कोर्ट तक हर व्यक्ति पहुंच सके और वहां से वह न्याय प्राप्त कर सके। रिट की मांग कर सकते हैं मांग करने वालों में अधिकतर लोग हो सकते हैं पंचायतों के और नगरपालिकाओं के लोग हो सकते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि अगर पंचायतों और नगरपालिकाओं का यदि उद्धरण दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह प्रसंग से दूर जाने की बात नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रसंग से दूर हैं, आप अपने सवाल पर ही चलें तो उचित है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कुछ एग्ज़ाम्पल्स तो देने ही पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उनसे महरूम रहे तो अच्छा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं हिन्डोन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I am not concerned with any particular place, but only because the points are not relevant to the question.

श्री दयाकृष्ण विजय : अधिक विस्तार में न जाता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम न्याय को सुलभ करने के सिद्धान्त को मानते हैं और पंचायतों का विकेन्द्रीकरण करके छोटे छोटे स्तर पर पंचायतों का निर्माण कर रहे हैं उन पंचायतों के चुनाव लडनेवाले व्यक्तियों को यदि रिट करना हुआ तो वे हाईकोर्ट में जो राजस्थान के एक कोने में पड़ा हुआ है जहां पर उन लोगों का आसानी से पहुंचना मुश्किल है,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जिसमें खर्चा भी बहुत हो सकता है। हो सकता हैं मंत्री महोदय जवाब देते हुए यह कह सकते हैं कि रिट जो करने जा रहे हैं और यदि रिट के अन्दर बल है तो उसकी कोस्ट आवर्ड की जायगी जीत जाने पर, वह कोस्ट मिल जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय रिट करने वाले के पक्ष में ही जाय, यह किसी प्रकार की गारन्टी नहीं है। सत्य है जो सत्य होकर ही रहेगा, यह कोई नहीं कह सकता और जो कोस्ट दे रहे हैं वह मिल जायगी यह भी आशा नहीं की जा सकती क्योंकि कानूनी दांव पेचों में और जिस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीनियोरिटी का कोई प्रश्न नहीं, नियुक्ति के अन्दर किसी प्रकार की योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल यह देखा जाता है कि कांग्रेस में इसकी सेवायें कितने अर्से की है, उसी के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जब इस प्रकार से नियुक्तियां होती हैं तो उनसे न्याय की आशा की भी क्या जा सकती है, इस पर यह भी आशा करें कि जो रिट की जायगी उसके अनुकूल फैसला होकर उसकी कोस्ट मिल जायगी, यह संभव नहीं है। हाइकोर्ट इतना दूर पड गया है, इधर से जाने वाले व्यक्ति के लिये यह एक चिन्ता का विषय हो जाता है। वह सोचता है कि कोस्ट तो मिलना दूर रहा उल्टा उनका खर्चा ज़्यादा लग सकता है। आज जब कि हमारे इस प्रदेश में कांग्रेसी सरकार है जहां न्याय का रास्ता सब के लिये खुला रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट फीस २ रूपये से बढ़ाकर दस रूपया कर रहे हैं वह उचित नहीं है। आप अपने सामने उन प्रदेशों का उदाहरण रखिये जहां इससे भी कम लिया जाता है। आप केवल यह कहें कि दूसरे प्रदेश में ज़्यादा लिया जाता है हमें भी उतना ही लेना चाहिये यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं....

श्री श्रीभानसिंह : What are the Court fees at Kerala please ?

श्री दयाकृष्ण : I am not quoting that.

श्री उपाध्यक्ष : By nature it must be liberal.

श्री श्रीभानसिंह : I just say that the Hon'ble memder boes not know about the facts there.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं यह नहीं कहता कि आप उनका अनुकरण करें लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि छोटे लोगों को, गरीब लोगों को भी हाई कोर्ट तक पहुंचने में सहूलियत हो, इसीलिये मैं निवेदन कर रहा था। जहां संविधान में इस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं वहां इस प्रकार फीस बढ़ा देने से ओब्स्ट्रकशन खड़ा करना कोई न्याय की बात नहीं; अतः इस बिल को वापिस लिया जाय।

४.५. म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, इस मामूली से अमेन्डमेन्ट पर बड़ी बड़ी दलीलें दी गई, कांग्रेस और जनसंघ के सिद्धान्त भी बताये गये।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हमें देखना यह है कि हिन्दुस्तान के दूसरे भी प्रदेश हैं उनमें क्या कोर्ट फीस ली जाती है ? मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि एक्स एन्ड ऑब्जेक्टस में दिया हुआ है कोर्ट फीस के जितने भी नियम हैं वे सारे हिन्दुस्तान में करीब करीब समान ही हैं........

श्री भैरोंसिंह : उड़ीसा में कितना है, आपको बता दूँ , वहां यहां से भी कम है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (जारी) : धारा २२६ के अन्तर्गत जो अधिकार मिले हुए है वे बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना है कि जो रिट का अधिकार दे रखा है उसका एब्यूज तो नहीं हो रहा है । छोटे छोटे मसलों को लेकर आज कल हम देखते हैं कि सब लोग रिट करने पहुँच जाते है और उन १०० रिटों में ६५ ही नहीं बल्कि ६६ प्रतिशत खारिज हो जाती हैं । मेरे खयाल से इसमें कम फीस रखना, इसका एब्यूज करना ठीक नहीं होगा और केवल दो रुपये से बढ़ाकर दस रुपये फीस कर देने से रिट खत्म नहीं हो जायगी । फीस कम भी ली जाय तो हाई कोर्ट में जाने का जो प्रसेस है जिसके अन्दर, एक एक केस में कम से कम पांच पांच सौ रुपया खर्च हो जाता है । जो पांच सौ रूपया खर्च कर सकता है उसके लिये दस रुपया फीस के रुप में ज्यादा देना कोई भारी नहीं होगा । इससे यह कह देना कि यह फीस बढ़ा देने से गरीब लोगों के अधिकारों का हनन होगा, ठीक नहीं है । जैसा दो सौ तीन सौ रुपया वकीलों को दे सकते हैं वहां आठ रुपया ज्यादा लगा देने से अधिकारों का हनन होगा, यह कदापि माना नही जा सकता । यह केवल प्रचार की दृष्टि से कहा जा रहा है । सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है उसका एब्यूज न हो और ठीक समय पर और ठीक जगह न्याय मिल सके उसको देखते हुए यह फीस बढ़ाई जाती है तो कोई अनुचित नहीं होगा ।

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री) : सभापति महोदय, मैं तो यह समझता था कि यह इस तरह का अमेन्डमेन्ट है जिस पर ज्यादा विरोध होने की जरूरत नही थी; खास तौर से उन माननीय सदस्यों द्वारा जो लीगल प्रेक्टिशनर्स है, उनके द्वारा इस प्रकार की बात का कहा जाना उचित नहीं है । उनको तो इस स्पिरिट को एप्रीशियेट करना चाहिये था । जिन केसेज में एक वकील को ५०० और हजार रुपया तक दे सकते हैं वहां दो रुपये से बढ़ा कर दस रुपया कर देते हैं तो उसमें आपको आपत्ति क्या है...

श्री भैरोंसिंह : उनकी आमदनी को देखकर ही शायद आपने प्रेरणा ली है, इस प्रकार फीस बढ़ाने की ....

श्री सम्पतराम : वे जब एक वकील को हज़ार रुपया तक दे सकते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उनको देख कर ही आपके मुंह में पानी भर आया है ।

श्री सम्पतराम : अगर वकील लोग यह डिक्लेअर कर दें कि हम इतनी भारी फीस नहीं लेगें तो हम भी इस प्रश्न को उसी तरह से रख सकते हैं.....

श्री भैरोंसिंह : तो क्या वकीलों से आप प्रेरणा लेते हैं !

श्री सभापति : Orber pleasel there shoulb de no direct discuesions please.

श्री भैरोंसिंह : Discussion through tha chair, sir,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन पर टैक्स लगा दीजिये ....

श्री सम्पतराम : आज हम देखते हैं कि जो रिट केसेज़ होते हैं.,..

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जैसा कि अभी उप-मंत्री महोदय ने डिक्लेरेशन किया कि अगर वकील लोग यह कह दें कि हम फीस कम लेगें तो क्या सरकार इस स्थिति में है क्या कि वह भी फीस कम कर देगी।

श्री सभापति : इसकी कोई रिलेवेन्सी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : I think the speech of the Hon'ble deputy minister is quite relevant,but if the Hon. deputy minister thinks that his speech is not relevant, it is forhim to decide.

श्री सभापति : He is advancing an argument.

श्री सोहनलाल भटनागर : Because the proper...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑर्ग्युमेन्ट में फोर्स नहीं है। It is an argument for the sake of argument.

श्री सभापति : It is for the House to decide. That will be put to vote.

श्री सम्पतराम : जब इस सम्बन्ध में डिबेट हो रही थी मैं शान्ति के साथ सुन रहा था। सवाल टैक्स का चल रहा था लेकिन सारे राजस्थान का क्रिटिसिज्म कर डाला...

श्री भैरोंसिंह : अगर वकील लोग घोषणा कर दें तो सरकार इस स्थिति में है क्या कि वे भी फीस कम करने के लिये तैयार हैं।

श्री सभापति : It has got no relevancy to the matter.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With all respect to the Chair, I would submit that it has got all the relevancy. The Deputy Minister is saying something in the House and how can we say that it is not relevant ? He says that if Advocates make a declaration to reduce their fees the Government is prepared to withdraw this Bill. The withdrawal is conditional, otherwise he should say that it was by way of slip of tongue and he did not mean what he said, as is usual with him.

श्री सभापति : It is not within the scope of this House to discuss that the advocates shall reduce their fees.

श्री भैरोंसिंह : Let him say, Sir.

श्री सभापति : Now he will continue.

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं यह जिक्र कर रहा था और एक उदाहरण दे रहा था, लेकिन बीच में ही चेक अप कर दिया गया, हालांकि माननीय सदस्यों ने कितनी ही रिलेवेन्ट और कितनी ही इरेलेवेन्ट बातें कहीं। मैंने कहा था कि जहां रिट पिटिशन के अन्दर पांच सौ या हज़ार रुपया फीस के रूप में वकीलों को दिया जा सकता है, जहां दूसरी स्टेट्स में १०० रुपये तक कोर्ट फीस है। तो हमने भी अपनी फीस को बढ़ाने का इरादा रक्खा था। सबसे पहले हमें हाई कोर्ट को कन्सल्ट किया और उसने भी कहा कि १०) बढ़ाना वाजिब है। तो मैं तो उदाहरण के तौर पर कह रहा था कि वकील फीस कम कर देंगे तो गवर्नमेन्ट भी २) से ज्यादा नहीं करेगी। आप इससे यह न समझें कि वकीलों का रिप्रेजेन्टेटिव हूं।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : अगर वकील कम न करें तो सरकार की भी फीस कम न हो।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जिस समय सभापति कुछ कहें, डिप्टी मिनिस्टर को बैठ जाना चाहिये था।

(हंसी)

श्री **सभापति** : राइट।

श्री सम्पतराम : आपकी एडवाइज को मानता हूँ। जब मैं एक बात कहता हूं तो उछलते हैं, इससे काम कैसे चलेगा? दो रुपये से १०) करते हैं तो दूसरी स्टेटों की कन्डीशन को भी देखें। तो आप क्या यह चाहते हैं कि आन्ध्र में जहां १००) है वहां उससे आधे से पचास गुना हो। यह बिलकुल पचास गुना नहीं है। हो सकता है एक दो स्टेटों में ऐसा हो, जहां कम हो जिनकी तरफ संकेत करते थे। बिहार में क्या है? एक दो स्टेटों में कम भी हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : जितनी स्टेटों में है उनमें से अधिकांश में ज्यादा नहीं है, कम ही है। आप कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट दें, अगर सही नहीं है तो।

श्री सभापति : इस तरह से बार बार बीच में न टोका करें। I will request the Hon'ble Members not to interfere in the spech.

श्री भैरोंसिंह : गलत इन्फोर्मेशन दी जावे, उस समय ही अगर चैक कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट पेश किया जावे कि किसमें ज्यादा है और किसमें कम।

श्री सम्पतराम : मैंने यह बिलकुल नहीं कहा कि कम नहीं है। कुछ में कम भी हो सकता है।

श्री सभापति : There should be either some point of order or some point of information so that position may be clarified. That is no way to interrupt in a discussion by the Hon'ble Deputy Minister.

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इण्डिया में कुछ स्टेटस ऐसी हो सकती हैं जिनमें कम हो। मैं कभी इन्कार नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, क्या माननीय उपमन्त्री महोदय ने कभी यह जानने की कोशिश भी की है ऐसी कौन कौन सी स्टेटस हैं जिनमें रुपये से कम फीस ली जाती है ? इस जानकारी के बिना फिर किस आधार पर आप कहते हैं कि ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है और किससे प्रेरणा ली है और किससे प्रेरणा नहीं लेने की है ।

श्री सम्पतराम : इसमें प्रेरणा लेने न लेने का सवाल नहीं है । पंजाब में कम है। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है, या गवर्नमेन्ट इस कहने से डरती नहीं है । यह एग्जाम्पल के रूप में कहता हूं । लेकिन और बहुत सी स्टेटस हैं । मद्रास में २५) हैं, मध्य प्रदेश में २४) हैं, आन्ध्र में १००) हैं, बम्बई में १०) और उत्तर प्रदेश में ६२॥) हैं । तो ज्यादा भी हैं, कम भी हैं । पर सब बातों का ख्याल करके मोडरेट रेट हमने फिक्स की इस पर भी हाई कोर्ट की राय ली और इसके बाद में १०) रु० किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of information, Sir, हाई कोर्ट ने क्या राय दी और कितने की राय दी ?

श्री सम्पतराम : मैंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि कोई सुनता नहीं तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ । हमने प्रोपोज़ल रक्खा १० का, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहता हूँ, हाई कोर्ट ने दस रुपये की राय दी । कहा है दस रुपया ।

श्री सम्पतराम : हाई कोर्ट ने भी राय दी है, कहा है दस रुपया । हाई कोर्ट ने भी यही राय दी है कि १०) रखना चाहिये । यह वाजिब है । इसलिये सदन को इसे पास कर देना चाहिये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला ।

श्री सम्पतराम : चैयरमैन, सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ....

श्री भैरोंसिंह : चन्द्रकला का नाम लिया है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : संशोधन है मेरा । सभापति महोदय, इस छोटे से विधेयक में मेरा एक छोटा सा संशोधन है । यद्यपि मैं जानती हूँ कि जिस वातावरण में मेरा यह संशोधन सदन के बीच में आ रहा है उसमें उसका क्या भाग्य होगा । यह बजट सैशन है और बजट में हमने लाखों और करोड़ों की संख्या में ही सोचा और विचारा है । पर जब हम लाखों करोड़ों की बातें करते हैं तो दो, चार, पांच, दस बहुत कम लगते हैं और इसलिये जब दो से दस की बात आती है और मैं दस के पांच करने की बात कहती हूं तो स्वाभाविक है कि हम सबको लगे कि यह तो बहुत छोटी सी बात

(डॉ० चन्द्रकला)

है। इसमें ऐसी बात नहीं है और थोड़ी देर पहले कहा भी गया सरकार की ओर से कि यह तो बहुत जरा सा एक संशोधन है। हम दो रुपयों से दस रुपया कर रहे हैं जो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस संशोधन को देने में मुझे जो कारण दिखाई पड़े वे उस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण को पढने से मालूम हुए। इसमें लिखा हुआ है। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के अनुसार उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाने वाली याचिकाओं पर वर्तमान समय पर दिया जाने वाला शुल्क केवल २) रुपया है। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में यह निर्धारित है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले और इसको लक्ष्य में रखकर रिट याचिकाओं का शुल्क २) रक्खा गया है। तो हमारी सरकार का और हम सब का कर्तव्य हो जाता है कि हम उस नीति निर्देशक तत्व को बराबर ध्यान में रक्खें और किसी तरह जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, यह देखें।

अब जिस प्रकार किया गया और कहा भी जाता है कि हाई कोर्ट बहुत उच्च न्यायालय है वहां पर बहुत खर्चा होता है, वकीलों को लम्बी फीस देते हैं तो जहां पर पांच पांच हजार खर्चा कर सकते हैं, वहां दस रुपया कोर्ट फीस के रूप में नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं वकालत करती हूं बड़े खर्चे की। वह तो यही बात हुई कि कोई ऊंचाई पर नहीं जा सकती है तो जो ऊंचाई पर है उसको नीचा किया जावे, अगर कोई लम्बा है तो उसके पैर काट दो, हमारे नीचे आ जावेगा। यह मनोवृत्ति ठीक नहीं है और कम से कम प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले और जनतन्त्र की बात करने वालों को इस तरह के दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिये। हमें तो प्रयत्न यह करना है कि सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय किस तरह से लोगों को मिल सके। वह जब देखते हैं तो कम से कम जो यहां पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है उसमें भी यह मनोवृत्ति नहीं मालूम पड़ी, यही मनोवृत्ति मालूम पड़ी कि जनता जहां हजारों रुपया खर्च कर सकती है, दो से दस कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह से कहा जाए तो मुझे लगता है, यह सोचने का तरीका हमारा ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह भी कही गई कि दूसरे प्रान्तों में भी इससे अधिक शुल्क है। इसमें भी केवल दो एक प्रान्तों के नाम लिये गये जहां पर कि शुल्क ज्यादा है, पर ऐसे भी हैं जहां कम है। अनुकूलता में तो झट दूसरे प्रान्त का उदाहरण ले लेते हैं पर जहां प्रतिकूलता दिखाई पड़ती है वहां स्वयं उदाहरण बनने का प्रयत्न करने की बात कहते हैं। इसी सदन में जब यहां के एक एक सदस्य ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि और प्रान्तों में भी हाई कोर्ट दो जगहों पर हैं। बेंच दूसरी जगह पर भी है। हाई कोर्ट पर बहस का समय आया था तो उस समय सदन की भावना की कितनी कद्र की। तब और प्रान्तों का उदाहरण कहां चला गया था? पर दो को दस करना पड़े तो उदाहरण सामने आता है। जब अपनी बात कहनी होती है तब तो दो से दस का उदाहरण देते हैं, जल्दी करते हैं लेकिन कल ही तो अभी मोटर यात्रियों पर शुल्क की बात आई थी, दो नये पैसे से एक नया पैसा करने में कितना जोर आया और

(डॉ० चन्द्रकला)

शायद सारा जोर निकल गया दो का एक करने में। वह तो सदन की तीव्र भावना नहीं होती तो दो से एक पैसा भी नहीं किया जाता। एक नया पैसा, जिसकी कोई वकत नहीं।तो इसको करने में इतना जोर आया और दो का दस करने में कोई भी खयाल नहीं आता है। तो मैं तो कहती हूं कि सरकार और जनता दोनों बढ़ाने का काम है। काम हरएक का है। मैं शुल्क का विरोधी नहीं हूं, न कोई भी हो सकता है क्योंकि यह शुल्क जो है किसी की स्वार्थ सिद्धि में जाने वाली चीज़ नहीं है। जनता को ही सुविधाएं मिलने वाली हैं।

और जनता की सुविधा के लिए जो कुछ लिया जायेगा उसको जनता देगी, लेकिन जिनसे हम लेते हैं उनकी भी सुविधाओं और उनकी भी क्षमताओं का ख्याल हमें रखना होगा। होता यह है कि हम उनका ख्याल नहीं रखते हैं। सरकार यह समझती है कि हम तो प्रबंधक हैं और जनता के हम उपकारी हैं और हम उपकार करने के अधिकारी हैं और जनता को जिस तरह से चाहें उसी तरह से चलाते रहें। तो यह जनता और सरकार के बीच में जो खाई है उसको सरकार. इस तरह के काम करके और भी गहरी करती चली जा रही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो हम भले ही दो रुपये से दस रुपये करें, लेकिन उसके साथ ही साथ जनता को भी सुन लें और जनता का सहयोग भी लें और जनता का सहयोग तब ही लेंगे जब कि जनता का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आंध्र में जिस तरह से होता होगा यह तो वहां कि जनता जानती होगी। हमें कभी तो भारत के दूसरे प्रान्त दिखाई देने लगते हैं, तो कभी दुनियां के दूसरे देश दिखाई देने लगते हैं। पर जहां तक उन्नति की बात है, ऊंचे जाने की बात है तो हमें आसमान भी दिखाई पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं उसको भी तो हम देखें। हाई कोर्ट कितनी असुविधाजनक स्थान पर है और वहां जाने के लिए लोगों को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। यह तो दस रुपये का सवाल है, लेकिन जिस पर बोझा पड़ता हैं उस पर आखिरी बोझा जरा सा भी बहुत ज्यादा होता है। मैं तो यह कहूंगी सरकार को कि वह यह ख्याल रखे। हमारा जो संविधान है उसका बराबर पालन करना हमारा कर्त्तव्य है और उसका पालन करते हुए जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। जनता की सुविधाओं का,जनता के सामर्थ्य का आशाओं और अपेक्षाओं आदि का ख्याल नहीं रखा जाता है। रुपया तो आप लेंगे और जनता देगी, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे यहां पर न्यायालय एक कौने में स्थित है। वहां जाना पडता है और पहुँचना पड़ता है। आप दस रुपये और पांच रुपये की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बराबर अनुकुलता मिले। दूसरे प्रान्तों में ऐसा होता है, ऐसा होता है। पंजाब से लाये तो जब दूसरी जगह से कोई चीज़ लाते हैं तो यह भी कम से कम देख लिया करें कि यह राजस्थान है। आखिर यहां पर कोई चीज़ कम रखी गई है तो यह सोच समझकर ही रखी गई होगी। क्या पहले जिन्होंने रखी थी उनको राजस्थान के विकास का ख्याल नहीं था ? वे भी आखिर सोचने समझने वाले लोग थे। यह तो ठीक है कि हमारे सामने एक लक्ष्य है कि हमारी

(डॉ० चन्द्रकला)

आमदनी बढ़नी चाहिए किसी भी तरह से। टैक्स जिनसे लेते हैं उनकी भावना का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इन उद्देश्यों और कारणों में जो बातें मिलीं उनको देखते हुए मैंने इतना समझौता सा किया कि ठीक है दस रुपये तो बहुत ज्यादा है लेकिन यह मुश्किल हुई कि यह बजट के बीच में आया है। दो रुपये का दस रुपया आया तो थोड़ा लगता है पेश करने वालों को और सुनने वालों को। मैंने कहा कि दो रुपये का पांच रुपया कर दिया जाय तो यह भी कम नहीं है। पांच गुने के बजाय ढ़ाई गुना बढ़ाया है तो इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा तो यह होता कि सरकार बढ़ाती ही नहीं। आप जब कहते हैं कि बहुत से मुकदमे तो हेबियस कार्पस में लिए ही नहीं जायेंगे और रिट में ही दो रुपये लिए जायेंगे क्योंकि पंचायतों में ही बहुत से फैसले हो जायेंगे और हाईकोर्ट में बहुत कम पहुँचेगे। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या फायदा है, आप दो ही रखें अगर बढ़ाना ही है तो ५ रुपये मंजूर कर लीजिए....

डॉ० बहादुरसिंह: (धौलपुर) अगली साल बढ़ा लेना।

डॉ० चन्द्रकला: अगली साल बढ़ जायेगा। यह तो सरकार की धीरे धीरे बढ़ाने की पॉलिसी है। दो के पांच और पांच के दस इसी तरह से बढ़ते जायेंगे। वैसे यह सब हमारे ही काम में आने वाली आमदनी है। लेकिन फिर भी सरकार की यह नीति बहुत खराब है। यह सस्ते न्याय की कोई बात नहीं है और जनता का किसी तरह का भी कोई ख्याल नहीं है और हम अड़ते हैं और लड़े होते हैं दूसरे प्रान्तों की बराबरी में, चाहे हम उसके लायक हों या नहीं हों, चाहे अपने प्रान्त की ऐसी स्थिति है या नहीं? दूसरी जगह के आवागमन के साधन और बहुत सारी बातों के बारे में देखना नहीं है। एक बात जो हमें सधती हुई लगे तो दूसरे प्रान्तों की बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें अपने प्रान्त की ही स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और अपने आप सोचकर दूसरों से प्रेरणा लीजिये, दूसरे से निर्देशन लीजिए, मार्ग-दर्शन लीजिए। लेकिन योजनायें तो अपनी अनुकूलता को देखते हुए बने इन सब बातों को देखते हुए संशोधन मैंने रखा है कि दस रुपये के बजाय पांच रुपये कर दिये जायें। मैं आशा करती हूं कि इसको स्वीकार किया जायेगा।

श्री सम्पतराम (उपमंत्री): माननीय सभापति जी, यह प्रश्न तो बहुत साफ हो गया है और मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था इसलिए अब दुबारा देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे जो उठाये गये हैं जिनका जवाब देना भी आवश्यक है। जहां तक सस्ते न्याय का सवाल है सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है। हम केवल यही मामला समझ लें कि दो रुपये के बजाय दस रुपये कर रहे हैं तो उससे न्याय कोई बहुत मंहगा हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है, जब पंचायतें बनाई तो ऐसी व्यवस्था की गई कि लोगों को उन्हों के ज़रिये थोड़े समय में ही सस्ता न्याय मिल जाये। इसके साथ ही साथ हमारे यहां पर लिटीगेशन पैदा क्यों होते हैं, मुकदमे ज्यादा क्यों होते हैं, इसके लिए जो सारे सर्कमस्टान्सेज़ हैं, जो वातावरण है जिनकी वजह से हमारे यहां

(श्री सम्पतराम)

मुकदमे बनते हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए यह भी है कि जो समाज–व्यवस्था इस समय हमारे यहां विद्यमान है उसको हम बदलें। तो चेयरमैन महोदय, देखना होगा कि हमारे यहां कोऑपरेटिव मूवमेन्ट का मामला चला और जब यह मामला पूरे रूप से आयेगा तो आप देखेंगे कि पटवारियों की वजह से जो इर्रेग्युलेरिटीज़ के झगड़े हमारे सामने आते हैं वे स्वयं ही खत्म हो जायेंगे। आज १०७ और १४५ के बहुत से मुकदमे चलते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के केसेज़ इसलिए हमारे सामने आते है कि हमारी समाज़-व्यवस्था ही ऐसी है। तो ऐसी हालात जो कि लिटिगेशन को राइज़ करती हैं वे कम हों तो यह मानें कि दस के बजाय दो ही रखते हैं, इससे सस्ता न्याय हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है। यह तो हमारे समाज–व्यवस्था की कमी है और जब तक हम हमारी समाज-व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक सस्ता न्याय उपलब्ध नहीं हो सकेगा। आज जो कोई भी आदमी रिट में जायेगा उसका कारण तो यह है कि लोगों के चार्जेज़ बहुत ज्यादा हैं और दो रुपये के बजाय दस रुपये कर दिये जायें तो वह हाईकोर्ट में नहीं जायेंगे, ऐसी तो बात नहीं है। तो बहुत सोच–समझ कर दो रुपये से दस रुपये किये हैं और इसे सदन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

डॉ० चन्द्रकला: सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूँ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० चन्द्रकला ने रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

डॉ० चन्द्रकला: मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किए जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडप्टेशन) ऑर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय...

श्री सभापति : अब भी कोई बात रह गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स संशोधन विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में, विरोध में मैंने जो बातें रखीं हैं, मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन लचर दलीलों के साथ माननीय उप-मंत्री महोदय ने जवाब दिया वे बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है । सबसे बड़ी बात जो उनके दिमाग में है और जो सामने रखी है कि अन्य प्रान्तों में भी ऐसा है, अन्य प्रान्तों में हरिजन मन्त्री हैं, फुल फ्लेजेड, लेकिन यहां तो है ही नहीं । अन्य प्रान्तों में महिला भी मन्त्री हैं, लेकिन यहां तो है ही नहीं ।....

डॉ० चन्द्रकला : कई में नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अन्य प्रान्तों में ऐसे आश्वासन देकर बाद में नहीं लटकाये रखते हैं, लेकिन यहां तो यह है । तो मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, कि अन्य राज्यों के साथ इस प्रकार की तुलना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है । उत्तर प्रदेश विधान सभा में मन्त्री महोदय पर आरोप लगाया गया कि अमुक के लड़के ने इस प्रकार का कार्य किया है तो मुख्य मन्त्री कहते हैं कि जांच करवा रहे हैं, लेकिन यहां विधान सभा में यह होता है; लेकिन कोई बात नहीं है । वे कहते हैं कि हम जुडीशियल ऑफिसर हैं, स्वयं जांच करने के लिए आखिर दूसरी विधान सभाओं और दूसरे राज्यों की बात कहते हैं, और राजस्थान की जनता और बाकी की जनता का आर्थिक स्तर क्या है ? ये सारी बातें कहते हैं, ये सारी देखे बिना कि जो कुछ वहां है वह हमारे यहां पर लागू की गई है और इसके साथ में यह दलीलें दें कि ५००), ५००)रु० वकील लेते हैं तो यह तो वही बात हुई कि एक मेमना, बकरी ने सोचा कि सब मेरे को काटते हैं मेरा गोश्त खाते हैं,सारी दुनियां मुझे खाती है तो भगवान के पास चला जाय । वह वहां से ब्रह्माजी के पास गया तो वहां उनके मुंह में भी पानी आ रहा है,यह वह देखता है । गरीब को देखते ही सबके मुंह में पानी आता है । दुनिया से त्रस्त था । सारी दुनिया उसका गोश्त पकाती थी, उसको काटती थी । वह ब्रह्मा के पास गया । उसे देखकर उनके मुंह में पानी आ गया । उसने भगवान से कहा कि मैं परेशान हूं, सारी दुनिया मेरा गोश्त खाती है । तो ब्रह्माजी ने कहा कि तुझे देख कर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया । यही हाल वकीलों का है । उनको देख कर आपके मुंह में क्यों पानी आता है ? आपको तो चाहिए यह था कि एक कानून बना दें । सिविल सूट के लिए प्रोवीज़न कर दिया कि ७॥,३ २ या १ परसेन्ट के आधार पर वे लगें । इससे ज्यादा कानूनी फीस चार्ज नहीं की जा सकती । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार कानून बनादें कि रिट को फीस ५०,२५ या १० रुपये होगी, इससे ज्यादा चार्ज नहीं किया जाय । आप कानून नहीं लाते हैं; क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं, आपके दल के साथ में हैं । वह कानून लाने की हिम्मत नहीं है, मुंह में पानी आ रहा है । यह तो वही मिसाल हुई कि मुफ्त का चन्दन घिस मोरे नन्दना, वकील लूट रहे हैं तो आप भी तो लूट रहे हैं । आप तो एक हजार ले रहे हैं, वह तो २) ३) व १०) तक लेगा । मैं समझता हूं कि यह आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है । आप देहाती क्षेत्र से आते हैं तो आपको देहाती क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करना चाहिए ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह दलील देना कि हाईकोर्ट में जाने वाली सब रिटें खारिज होती है, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सब रिटें खारिज़ होती है। खारिज़ हुई है और कई चल भी रही है। आप भी जायेंगे तो खारिज़ हो जायेंगे

(हंसी)

हाई कोर्ट से। यह कोई चीज़ नहीं है। यह कोई दलील नहीं कि हाई कोर्ट में जितनी भी रिटें जाती है खारिज़ होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी पर्सेन्टेज़ खारिज़ हुई है ? कह दिया बैठे बैठे। आपने १०) रु० फीस की है, १२) रु० क्यों नहीं की है, २५) रु० क्यों नहीं की ? क्या आधार है, क्या लाजिक है, क्या रीज़निंग है ? हाईकोर्ट को लिख दिया कि हम २) रु० के बजाय १०) करने वाले हैं, क्योंकि बाकी प्रान्तों में ऐसा है। तो हाई कोर्ट क्या कह सकती है ? और कह दिया कि हाई कोर्ट से एग्जामिन करवाया है। इस सारे आधारपर वह करवाया नहीं है। हाई कोर्ट की मोहर लगा दी ज़बरदस्ती उसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि यह सब बिना किसी प्रकार की रीज़निंग के, लॉजिक के किया गया है। इसलिए फिर से निवेदन करूंगा कि सारी परिस्थितियों पर फिर से विचार करें। राजस्थान और राजस्थान के बाहर की परिस्थितियों बड़ी भिन्न है। मैं आपको जानकारी देता हूँ कि राजस्थान के बाहर अन्य प्रान्तों में इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं होती है कि पार्टी के आधार पर अविश्वास के प्रस्ताव पर सदस्यों को नगरपालिका की सदस्यता से मुअत्तिल किया जाय। वहां यह नहीं होता हैं, जैसा कि आपने बताया कि सवाई माधोपुर की नगरपालिका से ४ सदस्यों को सदस्यता से मोअत्तिल कर दिया, क्योंकि वे मीटिंगों में उपस्थित नहीं हुए और सारे राजनैनिक कारणों से उनको मोअत्तिल रखा। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और वह, ग्रान्ट हुई, और अब फिर चुनाव आ रहा है और चुनाव लड़कर मूछों पर ताव देकर सदस्य होकर बैठेंगे। (हंसी) अगर इसमें रिट पिटीशन का प्रोविज़न नहीं होता तो आप जैसा चाहे वैसा नाच नचाते। लेकिन आप तो हाई कोर्ट पर भी बैठना चाहते हैं और राजस्थान सरकार कई बार हाईकोर्ट के निर्णयों पर बैठने की कोशिश करती है। जैब कतरा प्रोफेसर है, हाईकोर्ट ने डेसीजन दे दिया लेकिन राजस्थान सरकार हाई कोर्ट से ऊपर है। राजस्थान सरकार में हाईकोर्ट से ऊपर बैठने की मनोवृत्ति डेवेलप हो रही है। मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है। अगर यह मनोवृत्ति डेवेलप होगी तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ? कॉन्स्टिट्यूशन कागजों का पुलिन्दा है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिये हुए अधिकार हैं वे काली पीली स्याही के अक्षरों में रंगे अगर सरकार प्रोटेक्शन देने वाली नहीं हैं। गारन्टी दी हुई है, लेकिन उस गारन्टी का कोई मतलब नहीं है। गारन्टी दी जाय तो गारन्टी करने के बाद उस गारन्टी का हनन होता है, तो दूसरी सेन्क्शन होनी चाहिये जो उस गारन्टी को इम्प्लीमेंट करा सके, जो राज्य सरकार को बाधित कर सके, बाध्य कर सके कि तुमको फण्डामेण्टल राइट्स को मानना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं जा सकते हो फण्डामेण्टल राइट्स को मनाने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के लिए मैं समझता हूं कि देश के संविधान में जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है यही व्यवस्था ही सारे संविधान में दिये हुए अधिकारों की रक्षा कर सकती है संविधान की यह जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था से आसानी से, सुभीते से न्याय प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है । उसका एक तरह से आपने खण्डन किया है । राजस्थान हाई कोर्ट के संबंध में जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह विचार प्रकट किया तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय. जवाब देंगे थर्ड रीडिंग के समय कि राजस्थान में दो जगह हाईकोर्ट क्यों न हो केरल जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बराबर है वहां हाई कोर्ट है और एक हाई कोर्ट की बेंच भी है । राजस्थान विधान सभा एकमत से पास कर सकती है कि दो स्थान पर रहना चाहिए । सेन्ट्रल गवर्नमेंट बावजूद विरोध के भी खत्म नहीं कर सकती । बाकी सारे हिन्दुस्थान में सारी स्टेटों में बेन्चेज़ हैं । ये दो तरीके कैसे हैं, यह दो बातें कैसी ? दो मुंह कैसे ? एक तरफ कहते हैं कि बाकी प्रान्तों की स्थिति है उस स्थिति के अनुसार चलना चाहते हैं । इन सारी बातों में राजस्थान की स्थिति विपरीत है । राजस्थान में इन्टीग्रेशन का प्रश्न है...

श्री **सोहनलाल भटनागर**: (सलूम्बर) कई रिट भी करते हैं ।

श्री **सभापति**: आप आरम्भ रखें ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि ऐसी कई बातें हो सकती हैं । मुझे पता नहीं कि सारी लोकल कन्डीशन्स को स्टेडी किया गया है लोगों को एश्योरेन्स देते हैं कि इन्टेलीजेन्ट लोगों को मिनिस्ट्री का एश्योरेन्स देते हैं और नहीं बनाते हैं तो वे रिट फाइल कर सकते हैं कि I should be taken to be a Minister. मैं बहुत इन्टेलीजेन्ट आदमी हूं । कोटा, बूंदी और झालावाड़ के क्षेत्रों से आया हूं (हंसी) तो उसका फायदा उठा सकते हैं । कह दिया गया कि १०) रू० कोर्ट फीस लगेगी । तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी सारी परिस्थिति को और दूसरी बातों को करें और उसीके आधार पर तुलना करें, यह बिल्कुल अलग है । वह ऐसी बात है जैसी कि माननीय सभापति महोदय, कि कॉलेज के कुछ विद्यार्थी थे, उन्होंने सोचा कि किसी एक लड़के को बेवकूफ बनाना चाहिए । कुछ लोग गमगीन हुए उस लड़के के पास आये । और कहने लगे कि भाई बड़ा दुःख है, बड़ा अफसोस है और वो आंसू बहाने लगे । उसने पूछा कि क्या बात है आखिर क्यों तुम रो रहे हो ? इस पर उन्होंने कहा,क्या करें भाई विधाता की मर्जी है । उसने कहा कि बात क्या है ? उन्होंने कहा कि तुम्हारी औरत राण्ड हो गई । उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, मेरी औरत विधवा कैसे हो सकती है मेरे रहते हुए । उसकी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है । वे बोले कि क्यों नहीं हो सकती । तुम्हारे जिन्दा रहते हुए तुम्हारी ताई विधवा हो गई.... और तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी भाभी विधवा हो गई और तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी माताजी विधवा हो गई या नहीं; तो उसने कहा कि हो गई । तो यह सब कुछ होते भी तुम्हारी औरत क्यों नहीं विधवा हो सकती । इसी तरह से हमारी राज्य सरकार कहती है कि आन्ध्र में ऐसा है, उत्तर प्रदेश में ऐसा है, दूसरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जगह ऐसा है तो यहां भी ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि आपका सम्बन्ध अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है तो आप इसको पहचानने की कोशिश करो, ऐसा मत कहो कि दूसरी जगह ऐसा हुआ है, इसलिये हमारे यहां भी ऐसा होना चाहिये। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और दलील देकर समाप्त न करें। राजस्थान की परिस्थिति अनेक प्रान्तों से भिन्न है, राजस्थान में राजनैतिक जागरण हो रहा है। पंचायतों के बारे में आप कह देते हैं कि सारे अधिकार उनको दे दिये। मुझे मालूम है कि पंचायतें ३२३ के मुकद्दमे को सुनने के बजाय ३०२ के मुकदमे भी सुनने को तैयार हो जाती है। यदि उनको कहते हैं कि ३०२ के मुकदमें तुम नहीं सुन सकते तो सरपंच महोदय कहते हैं कि वाह हम जब ३२३ तक के मुकद्दमे सुन सकते हैं तो ३०२ तो उससे छोटा है, यह मुकद्दमा हम क्यों नहीं सुन सकते। सरपंच अगर चाहे तो वह कह देता है कि फलां आदमी को पेड़ से बांध दो। चीफ पंचायत ऑफिसर उनको ऐसा नहीं करने को कहता है तो सरपंच कहते हैं कि हम तुम्हारे मातहत थोड़े ही हैं, हम तो चुने हुए हैं। इस तरह से पंचायतों में धांधली होती है। मन्त्री जी को पता है कि पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। हज़ारों की तादाद में पंचायतें कायम हो रही है। एग्जीक्युटिव साइड में वे अगर ऑर्डर दे दें कि फलां मकान तोड़ दिया जाय, फलां मकान का छज्जा तोड़ दिया जाय तो उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती।...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तहसील पंचायत में ऑर्डर की अपील होती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचायत के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने बृजमोहनलाल, कोटा, के केस में तय किया है कि उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। राज्य सरकार पंचायतों के मामले में इन्टर्फियर नहीं कर सकती।....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जो फैसला करती है उसकी तहसील पंचायत में अपील होती है। सेक्शन ७५ में सी. पी. ओ. को अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पंचायत और तहसील पंचायत को मैं एक ही स्तर पर रखता हूं, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। जहां पंचायत, तहसील पंचायत और उसके ऊपर आपकी पंचायत, ये सब एक ही बेल के तूंबड़े हैं। आपके सेक्रेटेरियेट से फायल गुम हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। आपको यह तक पता नहीं चलता कि आपने खुद ने ऑर्डर दिया है या डी० एल० बी० ने ऑर्डर दिया है? हिन्डोली के बारे में आप से पूछा गया तो आपने कहा कि मुझे पता नहीं, बाद में कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शायद डी० एल० बी० के यहां से ऑर्डर आया होगा और जब डी० एल० बी० से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आपके दफ्तर से ऑर्डर निकला है, आपकी बगल से ऑर्डर निकलता है, आपकी कमर से ऑर्डर निकलता है, तो भी आपको पता नहीं चलता। यह आपके यहां की हालत है। तो सबसे अच्छा यही है कि हाईकोर्ट को पॉवर्स दें क्योंकि पंचायत और तहसील

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पंचायत के आॅर्डर के खिलाफ न तो तहसील पंचायत आॅर्डर दे सकती है और न गवर्नमेन्ट अपील एन्टर्टेन कर सकती है और न कोई दूसरा कोर्ट एन्टर्टेन करता है। तो एक ही रास्ता है हाई कोर्ट में जाने का। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सारी परिस्थिति को विचार करके निर्णय करना चाहिये जिससे पुनरावृत्ति नहीं हो, फिर से कोई घटना न हो। कहीं रतनगढ़ के चुनाव से संबंधित फाइल गायब होती है तो कोई चुनाव के लिये रोते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोगों के दिल में प्रजातंत्र के लिये आस्था हो, श्रद्धा हो और लोग सोचें कि लोकतंत्र सफल होगा तो आपको यह सोचना होगा कि लोकतंत्र की नीव मज़बूत करनी है, मज़बूत बुनियाद खड़ी करनी है। लेकिन अगर आपने नीव मजबूत नहीं की, लोगों को विश्वास नहीं दिलाया तो किरायेदार नहीं आयेंगे, आप भले ही उसमें रह सकते हैं क्योंकि आपने पैसा खर्च किया हैं, लेकिन नींव मज़बूत नहीं होगी तो आपके भी पांव लडखड़ायेंगे और पता चलेगा, जैसे हमारे समर्थक नहीं हैं तो कितने दिन तक रह सकते है केबिनेट में, तो सपोर्टर्स के अभाव में जो स्थिति हो जाती है और उसके कारण कितने दिन कुर्सी पर टिक सकते हैं उसी तरह की हालत हो जाने वाली है। राजस्थान में डेमोक्रेसी के प्रति लोगों की आस्था हो, संविधान के प्रति श्रद्धा हो, यह अगर आप चाहते हैं तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में जा सके, चीप एंड इम्पार्शियल जस्टिस मिल सकें, इस तरह का प्रोविज़न करने के लिये आप पुनर्विचार करें। इस बात को चिन्ता न करें कि थर्ड रीडिंग हो रहा है। अब किस तरह से तरमीम करें, आप किसी भी स्टेज़ पर कर सकते हैं, अगर गुड सेन्स प्रिवेल करती है तो ६० वर्ष बाद भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं, इन सारी बातों के बाद आप में गुड सेन्स प्रिवेल करेगी।

श्री भैरों सिंह (श्री माधोपुर) : आने एपोइन्ट आॅफ आॅर्डर, सर सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि रतनगढ़ म्युनिसिपैलिटी की फाइल के कागजात चोरी चले गये सेक्रेटेरियेट से। यह मामला बड़ा सीरियस है इसलिये क्या मंत्रीजी इस पर प्रकार डालेंगे ?

श्री सभापति : इसका इससे कोई तालुक नहीं है। आप अगर इन्फोर्मेशन चाहते है तो अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भैरों सिंह : इसकी रिट हाई कोर्ट में चल रही है। आपके दफ्तर से फाइल चोरी चली गई, इस बात का संकेत माननीय सदस्य ने कर दिया है इसलिये...

श्री सभापति : I have given my observation, Hon'ble Minister please.

श्री सम्पत राम (उप मंत्री) : सभापति महोदय, मैं तो समझता था कि कोई नया पोइन्ट आयगा तो जवाब देने में थोड़ा मजा आयेगा, लेकिन मजा उनके लहजे में, बात कहने में सारे सदन को आया। वैसे उन्होंने जो छोटी बातें कहीं, उनके लिये आवश्यकता नहीं समझता कि सदन का समय लेकर जवाब दूं। संतोषजनक जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, जिससे सदस्य महोदय खुद संतुष्ट हैं। वैसे टाइम काफी था, उसको

(श्री सम्पतराम)

युटिलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत सी बाते कहीं ! मुझे विशेष बात कहनी नहीं है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स अमेन्डमेन्ट बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक ३१ मार्च, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ४७ मिनट पर दिनांक ३१ मार्च, ५९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ३० मार्च, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर ज़िले में बाढ़ और वर्षा से प्रभावित ग्रामों को क्षति संबंधी।

पुष्करणा हाई स्कूल (बीकानेर) के हिसाब में गोलमाल।

जागीरदारों द्वारा जागीरों की ग्रान्ट।

अजमेर सहित एवं उसके अतिरिक्त राजस्थान के स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारी एवं अधिकारी।

पटवारियों के खिलाफ रिश्वत की शिकायतें।

श्री श्री किशन नाकेदार का पेन्शन केस।

रूपवास एवं बयाना तहसीलों में पत्थर की खानों के ठेके।

बारां के पत्रकार की गिरफ्तारी।

कोटा नगर के लाडपुरा वार्ड में शराब की दुकान।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १६५६-६० में व्यय।

जागीर 'सहजगसर का मुआवज़ा।

५२३७ महाराजा कॉलेज होस्टल में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए क्वार्टर्स।

राजकीय अधिकारियों द्वारा खानों के ठेके।

जागीरदारों मुआफीदारों इत्यादि को मुआवज़ा।

समाज कल्याण खंड कायम करने के आधार भूत नियम।

दरबार गर्ल्स स्कूल, पाली का टूटा हुआ सामान।

सन् १६५७-५८ में बाली तहसील में अकाल सहायता।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चर्म उद्योग का प्रशिक्षण।

ग्राम भाग में १।४ के रेन्ट की माफी।

माउन्ट आबू पर विकास कार्य।

तहसील कोटपुतली के लैंड रिकार्ड के कर्मचारियों का फिक्सेशन।

ग्राम भंडाणे, तहसील दौसा में हरे दरख्त काटे जाने के सम्बन्ध में।

श्री कैलाशचन्द बांकीवाला को होजरी फैक्टरी के लिए दिया गया कर्ज

स्कम्भ

शाहपुरा उदयपुर डिविज़न के सिर्किट हाउस में सन्, ५२ से रजाइयों की चोरी।

स्थगित प्रश्नोत्तर ५२८३

संचोर विकास खंड द्वारा रेडियों की खरीद।

बीकानेर डिविज़न में नालीदार टीनों का वितरण।

सन् ५७-५८ में राज्य के मंत्रियों और उपमन्त्रियों को प्राप्त भत्ते।

राजस्थान में पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफिसर की संख्या तथा ग्रेड।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ५२८५

श्री श्रीराम बासोतिया सदस्य, विधान सभा, को दिनाक २८-३-५६ से २-४-५६ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

जन लेखा तथा प्राक्कलन समितियों का निर्वाचन ५२८५

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा जन लेखा समिति, १६५६-६० के लिये १० सदस्यों एवं प्राक्कलन समिति १६५६-६० के लिये १५ सदस्यों के निर्वाचन निर्दिष्ट रीति से किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो सदन द्वारा स्वीकृति हुए।

सदन की मेज पर रखे गयेपत्र ५२८६

१. श्री नाथूराम मिर्धा, यायायात मन्त्री, ने गृह (बी) विभाग विज्ञप्ति सं०डी०६७१५। एफ. १०।२ (६) एच.II। ५४ दिनांक ३ जनवरी, १६५६, जिसके द्वारा मेसर्स पूशालाल मानसिंघ (प्राइवेट) लिमिटेड, भीलवाड़ा, की चार मोटर गाड़ियों को १ अप्रैल १६५१ से ३० सितम्बर, १६५२ तक के काल के लिये रोट टैक्स से मुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रखा।

२. सचिव, विधान सभा, ने इस सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखा।

विधेयक जिस पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:- ५२८८

The Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolitition Bill, 1958.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-- ५२८८

1. The Rajasthan Land Acquisition (Amendment) Bill, 1959

2. The Rajasthan Appropriation (no.2) Bill, 1959.

3. The Rajasthan Court Fee and Stamp Duty Laws (extension) Amendment bill, 1958.

4. The Rajasthan Appropriation (no.3) Bill, 1959.

विधायी कार्य

विचारार्थ लिए गए विधेयक ५२९९

(१) राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, १९५९

उपरोक्त विधेयक पर आज खंड १२ से विचार आरम्भ हुआ।

खंड १२ से २१ तक बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खंड १ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

(२) राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम-टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५९ ५३५७

श्री सम्पतराम, उप मन्त्री, आबकारी व कर विभाग, इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री गिरधारी लाल ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन रखा।

उप मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री गिरधारीलाल का संशोधन अस्वीकृति हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५९ ५३७५

श्री सम्पतराम उप-मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री गिरधारी लाल ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

उप-मन्त्री के पश्चात् श्री गिरधारीलाल का संशोधन अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खंडशः विचार के तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(४) राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक १९५९

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(५) राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडप्टेशन) आर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १९५८ ५४०६

श्री सम्पतराम उप-मन्त्री, आब-कारी व कर विभाग, ने उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

मंगलवार दिनांक ३१ मार्च, ५८
की कार्य सूची

१. राजस्थन राज्यविद्युत बोर्ड के आय व्ययक अनुमान, १९५९-६० (वाद-विवाद)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ का उत्तर देखिये)

TEHSILWISE LIST SHOWING DISTRIBUTION OF TACCAVI DURING THE YEAR 58-59 IN THE FLOOD AFFECTED AREA IN BHARATPUR DISTRICT.

S. No	Name of Tehsil	House	Foud	6 distributeted. Fodder	Seed	Bullocks	Well	Total
1.	Bharatpur.	-	-	15655	7365	7420	-	30440
2.	Kumher.	-	-	7019	8450	9000	-	24769
3.	Kaman.	7295	-	200070	2080	-	-	29445
4.	Pahari.	2950	7033	3500	7085	3100	-	23668
5.	Bayana.	240	2625	6600	20100	8135	900	38600
6	Rupabas.	-	2167	2263	13893	4065	-	29388

१	२	३	४	५	६	७	८	९
7.	Dhol pur	–	16060	5000	22000	5000	–	48060
8.	Bari.	–	–	745	21057	6950	–	28752
	Total	10485	34885	60862	102330	43670	900	253122

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या ५० सी. एम. की सदन की मेज पर रखने की तालिकाएं ।

१. पूष्करना हाई स्कूल को सरकारी सहायता :

१९५१ : ५२	७०००
१९५२ : ५३	८७९८.१४.०
१९५४ : ५५	१०,०१३.१२.०
१९५५ : ५६	१४,०५०.८.०
१९५६ : ५७	२०,६६५
१९५७ : ५८	१४५६८

४. प्रबन्ध कारिणी सदस्यों के नामों की तालिका।

१	श्री धनसुखदास जोशी	प्रेसीडेन्ट
२	श्री जगन्नाथ जोशी	वाइस प्रेसीडेन्ट
३	श्री दुर्गालाल किराडू	,, ,,
४	श्री जानकी दत्त किराडू	सेक्रेटरी।
५	श्री गुलाब दास डूगेन	डिप्टी सेक्रेटरी।
६	श्री श्रीगोपाल आचार्य	मेम्बर।
७	श्री गोवर्धनदास कल्ला।	,,
८	श्री चम्पालाल आचार्य	,,
९	श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य	,,
१०	श्री लक्ष्मी नारायण पुरोहित	,,
११	श्री बुलाकीदास व्यास	,,
१२	श्री कन्हैयालाल	,,
१३	श्री सूर्यकरण हर्ष	,,
१४	श्री रनछोड़दास व्यास	,,
१५	श्री गंगाप्रसाद बिस्सा	,,
१६	श्री दुर्गा शंकर आचार्य	,,
१७	श्री बाबूलाल व्यास	,,
१८	श्री माधोदास व्यास	,,
१९	श्री मंगलचन्द आचार्य	,,

जो पुस्तकें खरीदी गईं उसकी सूचना

			रु०
१६५१ : ५२	नहीं	१६५४ : ५५	४७१५
		१६५५ : ५६	६२ १.०
१६५२ : ५३	८.१०.०	१६५६ : ५७	३०१
		१६५७ : ५८	२३१.६.६
१६५३ : ५४	नहीं		

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE CEILINGS AGREED TO BY THE PLANNING COMMISSION DURING 1959-60 UNDER THE SECOND FIVF YEAR PLAN

Head of Development		Ceiling agreed to by the Planning Commission.
1.		2.
Agricul tural Production		139.96
Minor Irrigation		60.00
Land Development		13.79
Animal Hnsbandry		42.34
Dairyin? & Milk Supply		5.17
Forests		33.92
Social Couservation		13.08
Fisheries		3.00
Cooperation & Warehousing		70.00
Miscellanecus		1.00
	Total	382.26
Community Development		177.22
Bhakra Nangal		227.00
Chambal		350.00
Irrigation		149.61
Power		163.65
	Total	890.26
Large & Medium Indnstries		·0.59
Village & Small Scale Industries		76.83
Mineral Deyelopment		5.00
	Total	82.42

१		२
Roads		200.00
Tourism		4.00
	Total	204.00
Education		277.35
		21.71
Health		205.00
Housing		56.49
Welfare of Backward Classe		45.00
Social Welfare		7.25
Labour & Labour Weftare		20.00
	Total	632.80
Statistics		3.32
Publicity		13.88
Area Development		20.00
	Total	37.20
	Grand Total	2406.16

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकि प्रश्न संख्या ७५८ का उत्तर देखिये)

प्रशिक्षित व्यक्तियों के नामों की सूची

क्र०	नाम	स्थान	राजस्थान बाहर से प्रशिक्षित
१	श्री गफूर मोहम्मद	भीलवाड़ा	राजस्थान से
२	श्री गणेश नारायण	जयपुर, दरीबा	,, ,,
३	श्री वीरम देव	ग्राम ऊंचा, भीलवाड़ा	,, ,,
४	श्री रामचन्द्र	,, चगेड़ी उदयपुर	,, ,,
५	श्री जगदीश नारायण	जयपुर, दरीबान	,, ,,
६	श्री महेश प्रसाद	,, ,,	,, ,,
७	श्री अब्दुल अजीज	,, ,,	,, ,,
८	श्री धन्ना लाल	भैसलाना. फुलेरा	,, ,,
९	श्री हजारी लाल	ग्राम चेगेड़ी, उदयपुर	,, ,,
१०	श्री रापू कावाजी	उदयपुर	कोरा केन्द्र, वर्धा
११	श्री नन्जाहीर जी	,,	,, ,,
१२	श्री मोतीराम रैगर	बस्सी, जयपुर	,, ,,
१३	श्री पासुराम	,, ,,	,, ,,
१४	श्री शंकरलाल शर्मा	बाड़मेर, जोधपुर	,, ,,
१५	श्री कन्हैयालाल रैगर	खोरा बीसल, जयपुर	,, ,,
१६	श्री मांगीलाल रैगर	,, ,,	,, ,,
१७	श्री भवानीलाल मंगाराम	कोटपूतली, जयपुर	,, ,,
१८	श्री रामचन्दा सुन्दरलाल	,, ,,	,, ,,
१९	श्री किशनलाल भूपसिंह	हिन्डौन सवाई-माधो०	,, ,,
२०	श्री राधाकृष्ण बुधाजी	बूंदी कोटा	,, ,,
२१	श्री प्रेमजी नारायण जी	उदयपुर	,, ,,
२२	श्री रहीदमोम्मद नूरद्दीन	बडलियास चित्तौड़	,, ,,

१	२	३	४
२३	श्री इस्माईल गुलाम रसूल जी	पारसोली चित्तौड़	,, ,,
२४	श्री वजीरअहमद मीरबख्श	बिचौल चित्तौड़	,, ,,
२५	श्री सालीगराम नथूवा	बयाना भरतपुर	,, ,,
२६	श्री काला हीरा	बड़लियास भीलवाड़ा	,, ,,
२७	श्री मांगीलाल गंगा	भीलवाड़ा	,, ,,
२८	श्री माजा हीरा	बड़लियास	,, ,,
२९	श्री नारायणलाल बालू रैगर	भीलवाड़ा	,, ,,
३०	श्री जगन्नाथ कानूराम	देवली, अजमेर	,, ,,
३१	श्री अच्छूताराम	जोधपुर	,, ,,
३२	श्री रामस्वरूप बलदेव भगत	अजमेर	,, ,,
३३	श्री रेतीलाल छगनलाल	किशनगंज	,, ,,
३४	श्री वेदचन्द्र लक्ष्मण	बांसवाड़ा उदयपुर	,, ,,

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक ३० मार्च, १९५९)

स्कंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५२५३	१०	ownne	ownned
५२७७	१	श्री सम्पतराम	श्री भैरोंसिंह
५२९२	अन्तिम से ५	सदष्य	सदस्य
५२९४	८	हरेक	हरएक
५३०४	७	पर्स्ट	फर्स्ट
५३१४	अन्तिम	कमेट	कमेटी
५३३८	,,	वा किराया	का किराया
५३४६	२	यपि	यदि
५३८०	१३	नजीरया	नज़रियें
५३९१	१६	bout	about
५३९४	१३	Hon'dle	Hon'ble
५३९८	२१	eflection	reflection
५४२५	१७	ghotie	quotie
५४२८	१४	boss	does
५४३१	२	Shoulbe fe	should be
५४३४	१२	Spech	Speech
५४५२	१४	फर्फ	फर्क
५४६०	१०	Abolition	Absolution
५४६२	१०	आशाय	आशय